BEORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

O.A. NO. 97 OF 2024

IN THE MATTER OF:-

Madan Lal ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ....Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply Affidavit on behalf of Respondent No.2	1-7
2.	**ANNEXURE-A** Copy of the Uttarakhand Minerals (Prevention of illegal Mining/Transportation and Storage) Rules-2021	8-23
3.	**ANNEXURE-B** Copy of the Notification dated 14.11.2023.	24-28
4.	**ANNEXURE-C** List of the Forces deployed at various districts	29-46
5.	**ANNEXURE-D** The tabular form of the cases and recoveries affected	47-50
6.	**ANNEXURE-E** Copies of few photographs	51-117
7.	**ANNEXURE-F** Copy of the portal	118
8.	**ANNEXURE-G** Copy of the Nomination	119
9.	**ANNEXURE-H** The details of the complaints received upon	120

	the above portal	
10.	**ANNEXURE-I** Copy of the Supreme Court order in SLP(Crl.) No. 10707/2019 and order passed by the Industrial Development (Mining) Department-I, Sachivalaya, Dehradun.	121-138
11.	**ANNEXURE-J** The implementation of MDTSS	139-140

New Delhi Filed by:-

Dated

(Adv. Anjali Rajput)
Pannel counsel for state of Uttarakhand

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPALBENCH,NEWDELHI
O. A.NO. 97 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Madan Lal ...Applicant

Versus

STATE OFUTTARAKHAND&ORS ...Respondents

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO 2, DIRECTOR, GEOLOGY AND MINING, STATE OF UTTARAKHAND IN COMPLIANCE TO THE DIRECTIONS PASSED VIDE ORDER DATED 08.05.2024 BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

Most respectfully showed:

I, Rajpal Legha (male), S/O Chandu Ram Legha, aged about 44 years, presently posted as Director, Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand, Dehradun, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case, and I am fully competent to file present Reply by way of Affidavit.
2. That the Hon'ble bench took cognizance of the present case upon letter petition sent by the applicant and hon'ble Tribunal vide order dated 05.04.2024 was pleased to pass following directions:

"3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. 4. In view of the

NOTARIAL
NOTARY
VIRENDER SINGH
Advocate
Dehradun District
Reg.No.4510112021
GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA
06/09/2024
NOTARIAL

averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of MoEF&CC Integrated Regional Office, Dehradun, Uttarakhand Pollution Control Board and the District Magistrate, Dehradun and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

3. That there after upon the receipt of the joint committee report the hon'ble Tribunal vide order dated 08.05.2024 was pleased to pass following directions:

"4. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of O.A. No. 97 of 2024 Madan Lal vs State of Uttarakhand &Ors. 2 Uttarakhand, (2) Director, Geology and Mining, Uttarakhand, (3) District Magistrate, Dehradun, (4) Mr. Diwan Singh S/o Mr. Mehar Singh, Gram Pradhan, Asoi, (5) Mr. Gyara Singh s/o Mr. Ram Singh, resident of Asoi and (6) Mr. Vijan S/o Mr. Dhan Singh, resident of Asoi (named in the report) who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. Notices be served on Mr. Diwan Singh, Mr. Gyara Singh and Mr. Vijan through the District Magistrate, Dehradun and for this purpose notices issued to them be sent to the District Magistrate, Dehradun by Email for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard within

NOTARY VIRENDER SINGH Advocate Dehradun Distt. Reg.No. 15/01/2021 GOVT OF UTTARAKHAND

fifteen days.

6. List for further consideration on 09.08.2024."

4. That at the outset it submitted that for effective prevention of illegal mining/transportation/storage, Uttarakhand Minerals (Prevention of Illegal Mining /Transportation and Storage) Rules-2021 have been promulgated by the Government's Notification No. 1874/VII-I/2021/158K-04 TC dated 10 November, 2021, under which action is taken against illegal mining/transportation/storage as per rules under the relevant provisions mentioned herein.That the copy of the Uttarakhand Minerals (Prevention of Illegal Mining /Transportation and Storage) Rules-2021 is annexed herewith as **ANNEXURE A.**

5. That with the sole objective to curb the illegal mining/storage of minerals amendment to the existing rules dated 10.11.2021 has been donevide notification no 2891/VII-A-1/2023-03(102) 2021 dated 14.11.2023. That the copy of the notification dated 14.11.2023 is Annexed herewith as **ANNEXURE B.**

NOTARY VIRENDER SINGH Advocate Dehradun District Reg.No.451011202 GOVT OF UTTARAKHAND (INDIA)

6. It is also submitted herein that in order to curb instances of illegal mining/transportation, **District Anti-Illegal Mining Force** has been constituted in each district of the state under the chairmanship of District Magistrate at district level and under the chairmanship of Sub-District Magistrate at Tehsil level, in which, apart from the Revenue Department, Forest Department, Police Department, Mining Department, environmentalexperts and local village head have been nominated as members.That the list of the Forces deployed at

various districts is Annexed herewith as **ANNEXURE C.**

7. That further it is submitted that an enforcement cell has been formed at the directorate level, which conducts surprise raids on illegal mining/illegal transportation/illegal storage. **This this financial year (April 2024 to july 2024), the enforcement cell took action in a total of 29 cases and a total amount of** Rs. 18.06 crore was recovered, against. That the tabular form of the cases and recoveries affected is annexed herewith as **ANNEXURE D.**

8. It is further submitted herein an effort to reach out to the complaints of illegal mining/transportation/ dregging Public sign Boards/unipoles have been installed in the mining/dredging areas of the state, in which the contact details of all the members of the District Anti illegal mining Force have been clearly mentioned.That the copies of few photographs are annexed herewith as **ANNEXURE E.**

NOTARY VIRENDER SINGH Advocate Dehradun District Reg.No.45/01/2 GOVT OF UTTARAKHAND (INDIA)

9. It is also submitted herein that in order to promptlyredress the complaints received from public regarding illegal mining, the Directorate has prepared and implemented online Complaint Redressal Portal on departmental e-mining portal dgmappl.uk.gov.in.That the copy of the portal is ANNEXUED herewith as **ANNEXURE F.**

10. It is also submitted herein that River Bed Mining in the State of Uttarakhand is carried out in a scientific and highly

regulated manner as per the provisions of State Mining Policy and Uttarakhand Minor Minerals Rules, 2023 taking due care of environment and ecology of the area. It is compulsory to obtain Environment Clearance under EIA Notification 2006 prior to sanction of Mining Leases. Excavation of river bed material (RBM) is carried out as per approved mining plan and the Sustainable Sand Mining Guidelines-2016 & Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (EMGSM-2020) of Ministry of Environment, Forest And Climate Change, Government of India within the demarcated area up to a depth of 03 meter or ground water level whichever is less. It is also compulsory to obtain Consent to Establish and Operate from State Pollution Control Board before commencing the Excavation of river bed mining. Excavation of RBM is done manually. The State Mining Policy and Rules does not permit use fo machines i.e. JCB, Poclane etc. for excavation of River Bed Material. River Bed Mining is not permitted during the Monsoon season from 01st July onwards up to 30th September and also from sunset to sunrise. Transportation of RBM is carried out on E-Transit Pass.

NOTARY GOVT OF UTTARAKHAND VIRENDER SINGH

11. That it is pertinent to mention that an Independent Complaint Redressal Committee has been constituted by the Government's Office Memorandum No. 1312, dated 10 August 2023. In which Mr. VK Maheshwari, retired judge, Mr. Darban Singh Garjyal, retired IAS, Mr. Vinod Singhal, retired IFS and Mr. Kalyan Singh Rawat, Padmashree, environmentalist have

been nominated.That the copy of the nomination is annexed herewith as **ANNEXURE G.**

12. That further to solve the issue of illegal mining and quick response C.M. Helpline 1905 is already effective at state levels from the year 2019 for complaints of general public. That the general public is also made aware of this helpline through various complaints. That the details of the complaints received upon the above portal is annexed herewith as **ANNEXURE H.**

13. That further the state has developed and implemented Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) since 2020 the purpose of which is to absolve the complaints of general public related to illegal mining at the shortest possible time. That monitoring of this system is done by Secretary, Geology and Mining Department, State of Uttarakhand every week and Hon'ble Chief Minister every month.

NOTARY
VIRENDER SINGH
Advocate
Dehradun District
Reg.No.45/01/2021
GOVT OF UTTARAKHAND (INDIA)

14. That it is also submitted that in compliance of the directions passed by Hon'ble Apex court in SLP(Crl) no 10707/2019 titled as Kanwar Pal Singh Versus State of Uttarpradesh&ors. the instructions have been issued to all the District magistrates to take action/register cases under relevant Penal Provisions and Prevention of damage to Public Property Act for the offenders found involved in illegal mining/dredging. That the copy of the Supreme Court order in SLP(Crl) no 10707/2019 and order passed by the Industrial Development (Mining) Department-1, Sachivalaya, Dehradun is annexed werewith as **ANNEXURE I.**

15. That for the future course of action that the department is under process of developing modern Mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) for effective prevention of illegal mining/illegal transportation and increase in revenue in the state. That the implementation of MDTSS is annexed herewith as **ANNEXUR J.**

16. That in compliance of the order dated 08 May 2024 passed by this Hon'ble Tribunal; the Present response/reply is filed for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY
VIRENDER SINGH
Advocate
Dehradun District
Reg.No.45(01)2021
GOVT OF UTTARAKHAND (INDIA)

Deponent

Verification:

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. That legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct

Verified by me on.......................... at.......................... on this....26....day of, September 2024.

SR. No...... 640
Date...... 26-09-2024

This affidavit is sworn before me by shri.. Rajpal Legha who is identified by Shri Sunil at Dehradun on 26/09/2024

Virender Singh
Advocate & Notary Dehradun

Time 05.04 PM

Deponent

Annexure- A

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1874/VII-1/2021/03(102)/2021
देहरादून, दिनांकः 10 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमित करते हुए राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा;

(ग) "वाहक" से किसी रीति, सुविधा या वाहन अभिप्रेत है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय, जिसमें यांत्रिक युक्ति, व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है;

(घ) "अनुसंधान कार्य" से बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए और उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चीकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिए किये गये कोई कार्य अभिप्रेत है;

(ङ.) "नियमावली, 1960" से अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गई खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन खनिज से भिन्न) रियायत नियमावली, 2016 अभिप्रेत है;

(च) "नियमावली, 2001" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गयी "उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(छ) "वैज्ञानिक परीक्षण" से बिना किसी वाणिज्यक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या खनिज विश्लेषण और उसके रासायनिक एवं खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिए किये गये परीक्षण अभिप्रेत है;

(ज) "जिला अधिकारी" से उस जिले के कलेक्टर या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें भूमि स्थित है;

(झ) "अभिवहन पास/ई–रवन्ना" से अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक द्वारा जारी किये गये पास अथवा विभागीय वेब पोर्टल से निर्गत ई–रवन्ना अभिप्रेत है;

(ण) "आदतन अपराधी" से ऐसे अवैध खनिज परिवहनकर्ता अभिप्रेत है, जो एक वर्ष में दो या इससे अधिक बार खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया हो, दोष सिद्ध हुआ हो एवं अर्थदण्ड/अन्य दण्ड से दण्डित हुआ हो;

(त) "बाजार मूल्य" से प्रचलित उपखनिज की रायल्टी का पांच गुना की धनराशि अभिप्रेत है;

(थ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(द) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ध) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, खनन/भूविज्ञान से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकारियों अभिप्रेत है;

(न) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जनपद स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक/उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;

(प) "खनन सत्र" से वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर, से 30 जून तक की अवधि अभिप्रेत है;

(फ) मैदानी क्षेत्र:–मैदानी क्षेत्र से जिला टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग अभिप्रेत है;

(ब) पर्वतीय क्षेत्र– पर्वतीय क्षेत्र से जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) अभिप्रेत है;

(भ) "जिला खान अधिकारी" से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का जनपद में खनन प्रशासन हेतु राज्य सरकार/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(भ) "रिटेल भण्डारण" से खनिजों (रेता, बजरी, आर०बी०एम०, बोल्डर, ग्रिट, डस्ट इत्यादि) का ऐसा भण्डारण अभिप्रेत है, जो कि निजी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी (प्लांट परिसर से बाहर हेतु), खनन पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक, रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक, सोपस्टोन ट्रेडर्स, सोपस्टोन पल्वराईजर अनुज्ञाधारक द्वारा विक्रय एवं प्लांटों के प्रयोजन से भण्डारित किया गया है, अभिप्रेत है तथा जिसे इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

(य) "लेखाशीर्षक" से राज्य सरकार के लेखाशीर्षक 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102–खनिज रियायती शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क अभिप्रेत है;

(र) "मोबाईल चैक पोस्ट" से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों के चैकिंग हेतु चलित (Movable) चैक पोस्ट से अभिप्रेत है;

(ल) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;

(व) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी०आर०ओ०, रेल विकास निगम लि०, टी०एच०डी०सी० लि०, एन०एच०पी०सी०, एन०टी०पी०सी०, सी०पी०डब्ल्यू०डी०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू०जे०वी०एन०एल० आदि अभिप्रेत है;

(2) "शब्द और पद" जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम मे दिये गये हैं।

प्रतिषेध

3. कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना, किसी खनिज का स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र/खनन अनुज्ञा क्षेत्र, प्लांट के भण्डारण अनुज्ञा स्थल/रिटेल भण्डारण अनुज्ञा स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर न तो परिवहन करेगा, न ही उसे ले जायेगा अथवा न ही परिवहन करायेगा और न ही ले जाने का कार्य करायेगा।

अभिवहन पास का प्रदाय और उसके लिए फीस

4. (1) खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक, राज्य सरकार या महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एवं रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) अभिवहन पास का प्रदाय, सम्बन्धित जिले के जिला खान अधिकारी या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तद्धीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा।

अभिवहन पास का जारी किया जाना

5. (1) अभिवहन पास, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार के विभागीय ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र "क" से मुख्य खनिज के लिए और नियमावली, 2001 के साथ संलग्न ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा।

(2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ०एस०) में अभिवहन पास जारी करेगा.

परन्तु राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।

(3) मुख्य खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र–"एन" में अभिवहन पास जारी करेगा।

अध्याय–दो
खनिजों का परिवहन

खनिजों के निरीक्षण हेतु जांच चौकियों की स्थापना

6. (1) खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट की स्थापना की जायेगी।

(2) (क) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल के प्रभारी अधिकारी को मौके पर अवैध रूप से परिवहन किये जाने रहे खनिज तथा वाहन का अधिहरण (Confiscate) करने का अधिकार होगा।

(ख) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल, ऐसे खनिज और वाहन की, जो उसके द्वारा अधिगृहित किये गये हैं, प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से उसे अधिगृहित किया गया है।

(ग) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल का प्रभारी अधिकारी, अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहन चालक/स्वामी को निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने एवं अपनी अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में रखने का निर्देश दे सकता है।

खनिजों का परिवहन

7. (1) खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग मे लाये जा रहे वाहनों के साथ अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का रखा जाना आवश्यक होगा। वाहन चालक/स्वामी, उक्त प्रयोजन के लिए मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा।

(2) खनिज ढोने वाले सभी वाहन चालक/स्वामी, मोबाईल चैक पोस्ट पर रुकेंगे और अभिवहन पास की जांच कराने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे। मोबाईल चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का विवरण निर्धारित पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेगा तथा प्रत्येक माह परीक्षण हेतु निदेशालय को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा अभिवहन पास से सम्बन्धित कोई सूचना पंजिका में जानबूझकर गलत अंकित करने अथवा सूचना त्रुटिपूर्ण होने व दोष सिद्व होने की दशा में मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 218 के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी।

(3) राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत संचालित वी०टी०एस० (Vehicle Tracking System) प्रणाली को खनन परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू कर सकेगी।

अध्याय–तीन
खनिजों का भण्डारण

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

8. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा;

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) वाहन, ऑफिस, तौल मशीन एवं प्लांट के क्षेत्र को छोड़कर अवशेष क्षेत्र में खनिज भण्डारण किया जायेगा, जिसकी रिटेल भण्डारण स्थलों में अधिकतम ऊंचाई 03 मीटर से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मी० ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण किया जा सकेगा।

(ख) आवेदक, खनिज भण्डारण हेतु उपखनिज की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से सूचित करेगा।

परन्तु, उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा :–

1. उपखनिज के रिटेल भण्डारण हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 25,000.00 (₹ पच्चीस हजार मात्र) देय होगा, जो वापस नही किया जायेगा।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण हेतु पृथक से शुल्क देय नहीं होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म

इकाई के जनपदीय अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त माना जायेगा

प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति /संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. संबंधित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी – सदस्य सचिव।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(6) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा परियोजना के निर्माण/टनल से निकले मक (Muck) के चिन्हित भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र **"एच–1"** में आवेदन, निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 50,000/– (₹ पच्चास हजार) सहित, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के संबंध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र **"एच–2"** पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी :–

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	संबंधित परियोजना के अभियन्ता (सिविल).	सदस्य

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन (Open Excavation) स्थल एवं रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञा

9. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये खनिजों के भण्डारणों की अनुज्ञा निम्नवत स्वीकृत की जायेगी:–

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।
2. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 01 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
3. हाट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
4. अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर स्वीकृत अनुज्ञा को ई–पोर्टल से जोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

उपयोगी उपखनिज के उपयोग की अनुमति

10. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा संबंधित परियोजना के टनलों के निर्माण कार्य से निकलने वाले मक (Muck) में से उपयोगी उपखनिज (usable material) के उपयोग की अनुमति रायल्टी की दोगुनी धनराशि एवं अन्य देयताओं के भुगतान की शर्त पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा 05 वर्ष जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अवशेष अनुपयोगी मक को स्वीकृत डम्पिंग साईट पर डम्प किया जायेगा। डम्पिंग साईट पर डम्प खनिज मात्रा के परिमाण को कुल उत्खनित मक की मात्रा से घटाते हुए उपयोगी मक/उपखनिज की गणना की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन Open Excavation) स्थल व रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

11. (1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 15 दिन के अन्तर्गत जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी के द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण महानिदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु, जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(3) नवीनीकृत भण्डारण अनुज्ञा के आधार पर ई-पोर्टल पर अद्यतनीकरण (Updation) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

भण्डारण के मानक एवं अन्य शर्तें

12. (1) कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा।

(2) रिटेल भण्डारण स्थल का सार्वजनिक स्थल, सरकारी वन, रेल मार्ग, नदी आदि से दूरी निम्न प्रकार होगी–

(i) पर्वतीय क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–100 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 100 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड.–नदी (Perennial River) से दूरी–50 मी0
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 25 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–25 मी0

(ii) मैदानी क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–300 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–300 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 300 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड– नदी (Perennial River) से दूरी–500 मी0
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 50 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–100 मी0

परन्तु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों मे स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट के परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु दूरी के मानक वही होंगे, जो इन प्लांटों की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट नीति के अनुसार होंगे;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि, जो उसकी नहीं है या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नहीं है, का उपयोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा।

(4) राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई-एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से भुगतान के आधार पर यथा स्थिति ई-फार्म "जे" अथवा ई-फार्म (ओ/एस) तथा आकस्मिक परिस्थिति हेतु मैनुअल "जे" प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तौल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की

रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण के समय रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर ₹ 250/– प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो कि अनुज्ञाधारक के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा कराया जाना होगा।

(6) अनुज्ञाधारक भण्डारण स्थल की चाहरदीवारी एवं अभिलेख रख–रखाव हेतु कार्यालय, धर्मकांटा, भरान (loading), भार उतारना (unloading) हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा।

(7) (i) स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को विक्रय की गयी मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारकों द्वारा विक्रय की गयी उपखनिज की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उसके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) खनिज सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड, मैग्नेसाईट, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञाधारकों एवं प्लवराईजर प्लांट भण्डारण अनुज्ञाधारकों पर उक्त खनिज की रायल्टी का 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(iv) प्रदेश के बाहर से आयातित होने वाले खनिज या उसके उत्पाद तथा ईंट या इनके कच्चे माल को राज्य में प्रवेश करने हेतु पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमी द्वारा ई–रवन्ना वेब एप्लीकेशन में उपखनिज का नाम, मात्रा ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा तथा अनुज्ञाधारक/खनन उद्यमी द्वारा उपखनिज का अभिवहन पत्र (रवन्ना) एवं जी0एस0टी0 नम्बर धारित बिल की मूल प्रति संरक्षित की जायेगी। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जनपदीय अधिकारी के पास ऑनलाईन/ऑफलाईन पहुंचने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/भण्डारणकर्ता आदि द्वारा बाहरी राज्यों से लाये गये उपखनिज (क्रय/विक्रय) की मात्रा को अधिकतम 01 सप्ताह की समयावधि के अन्तर्गत जांचोपरान्त उसके ऑनलाईन स्टॉक (Capacity in hand) में जोड़ दिया जायेगा। ऐसे खनिज (आर0बी0एम0 एवं बोल्डर छोड़कर) का लेखा एम0आई0एस0 पोर्टल पर पृथक से दर्शाया जायेगा। इस प्रकार परिवहन कर लाये गये खनिजों पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की दर से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क वेब पोर्टल पर Credit in करने से पूर्व जमा किया जाना अपरिहार्य होगा। उक्त व्यवस्था प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार महानिदेशक अथवा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे सभी पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमियों के अभिलेखों का परीक्षण (Scrutiny) कर किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इस नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(8) तकनीकी दल द्वारा राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं से संबंधित टनल/निर्माण स्थल से निकासी किये गये उपखनिज (Muck) की कुल मात्रा में से उपयोगार्थ उपखनिज की आगणित/सत्यापित मापन मात्रा, संबंधित टनल निर्माण के उपरान्त स्वीकृत मात्रा से कम अथवा अधिक पाये जाने पर, कम अथवा अधिक पाये जाने वाली मात्रा पर देय रायल्टी का समायोजन/भुगतान किया जायेगा।

स्वीकृत उपखनिज की मात्रा पर आंगणित रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य देयों का भुगतान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा त्रैमासिक किश्तों मे विभागीय लेखा शीर्षक मे अग्रिम जमा किया जायेगा। किश्तों का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत न किये जाने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा।

(9) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत स्थल से उपखनिज की निकासी/उपयोग हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(10) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग संबंधित परियोजना निर्माण कार्य में ही किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग अन्यत्र किये जाने की पुष्टि होने पर नियम 14(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ₹ 1.00 करोड़ (₹ एक करोड़) की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के साथ-साथ अनुज्ञा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

खनिजों का लेखा-जोखा रखना

13. (1) अनुज्ञाधारक, प्रत्येक समय क्रय किये गये, भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखा-जोखा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-"के" में रखेगा।

(2) अनुज्ञाधारक द्वारा ₹ 2.00 लाख से अधिक उपखनिज क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(3) अनुज्ञाधारक द्वारा समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।

(4) खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के क्रय-विक्रय एवं अवशेष खनिज आदि लेखा की मासिक सूचना आगामी माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं जिला खान अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डारण परिसर स्थित है, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र "एल" में प्रस्तुत करेगा।

(5) खनिजों के भण्डारण अनुज्ञाधारक के किसी भी प्रपत्र, ई-प्रपत्र, लेखा-जोखा, ई-लेखा-जोखा, बही रजिस्टर आदि अन्य आवश्यक अभिलेख मांग कर परीक्षण (Scrutiny) करने तथा परीक्षणोपरान्त अनियमिततताएं पाये जाने पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर, रिटेल भण्डारण, सोपस्टोन, मैग्नेसाईट आदि अनुज्ञाधारकों, सोपस्टोन ट्रेडर अनुज्ञाधारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोष के आधार पर 03 माह के भीतर अधिनियम की धारा

21 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2), धारा 22, धारा 23(क), धारा 23(ख) तथा धारा 24 के अन्तर्गत महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं जिलाधिकारी आदेश पारित कर सकेंगे।

जाँच एवं शास्ति

14. (1) रिटेल भण्डारण या प्लांटों मे भण्डारित खनिज की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तदधीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा धारा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नमित अधिकारी, जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो कि खान निरीक्षक से अन्यून न हो :–

(क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ख) भण्डारण में पड़े हुए खनिजो के स्टॉक को तौल सकता है, माप सकता है या उसकी माप ले सकता है परन्तु उक्त पैमाईश के दौरान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी;

(ग) कब्जे में रखे गये किसी भी दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है;

(घ) ऐसे दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपियां बना सकता है;

(ङ) खण्ड (ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका खनिज के किसी स्टॉक पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, बुला सकता है या उसका परीक्षण कर सकता है;

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाय;

(ज) खनिजों के भण्डारण में अनियमितता पाये जाने पर भण्डारण स्थलों को सीज (Seize) करते हुए भण्डारणकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकता है एवं नोटिस का प्रति उत्तर सन्तोषजनक प्राप्त न होने पर अवैध खनन पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुत कर सकता है।

(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (₹ में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा

			का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पोकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(3) महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जो उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) अवैध खनिजों के परिवहन में पकड़े गये वाहनों का मौके पर शमन करने हेतु अधिकृत होंगे।

(क) अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा शमन के उपरान्त वसूली गयी धनराशि को चालान के माध्यम से जमा कराते हुए रवन्ना/चालान प्रपत्र पर ट्रेजरी चालान संख्या, दिनांक, वसूली गयी धनराशि एवं तालिका में इंगित वाहन का प्रकार हस्ताक्षर सहित प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित की जायेगी।

(ख) अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहन का मौके पर शमन करते हुए वसूली गयी धनराशि को विभागीय सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(ग) खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये वाहनों के शमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये चालान एवं जमा की गयी धनराशि का विवरण महानिदेशक एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) (क). एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

(ख). रिटेल भण्डारणकर्ता/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता द्वारा अवैध ई-रवन्ना पर क्रय-विक्रय व परिवहन किये जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) (क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण

संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डारणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरुद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई–रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/ विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त ₹ 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

(ख) अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनिज खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उप नियम (5) (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर तो 10 प्रतिशत तक के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा क्रय एवं विक्रय खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में आगामी माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) अवैध खनन से संलिप्त वाहनों/अवैध भण्डारणों को जब्त करने तथा दण्ड अधिरोपित करने हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो खान निरीक्षक से अन्यून स्तर का न हो, अधिकृत होंगे, परन्तु जब्त/दण्ड अधिरोपित करते समय महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति/प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।

(च) भण्डारण स्थल के चारों तरफ चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया जाना होगा, जो खनिज भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी। भण्डारण की ऊंचाई का सत्यापन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भण्डारणकर्ता पर ₹ दो लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(छ) सरकारी निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा परियोजनाओं मे प्रयुक्त किये गये उपखनिज ग्रिट आदि हेतु वैध ई-रवन्ना प्रपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा को अवैध मानते हुए उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरण में परियोजना के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा सन्देहास्पद ई-रवन्ना प्रपत्रों की जांच करने हेतु जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा, जिसके द्वारा ई-रवन्ना प्रपत्र अवैध पाये जाने पर उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ज) राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित ₹ 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं खनिज की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के समक्ष किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह प्रावधान उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से दिनांक 30.11.2021 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

(झ) जो वाहन राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज एवं मुख्य खनिज को छोड़कर) का ढुलान करते हुए राज्य की सीमा में पकड़ा जायेगा, ऐसे वाहन में लदे आर०बी०एम०, बोल्डर एवं वाहन को जब्त कर

लिया जायेगा तथा जब्त किये गये आर०बी०एम०, बोल्डर को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारित करते हुए जब्त किये गये वाहन के संबंध में उपनियम (2) में दिये गये प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) रिटेल भण्डारणों व स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे जिला खान अधिकारी के द्वारा अनुज्ञाधारकों/प्लान्टधारकों के व्यय पर किया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(7) खदान के निकासी गेटों पर स्थापित धर्मकांटों पर आर०एफ०आई०डी० सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) निदेशालय स्तर पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु निगरानी प्रकोष्ठ (Monitoring Cell) की स्थापना की जायेगी।

अपील

15. इस नियमावली के अधीन महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर मण्डल आयुक्त के समक्ष प्रपत्र–"एम" में अपील कर सकेगा।

पुनरीक्षण

16. राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

अपील/ पुनरीक्षण हेतु शुल्क

17. नियम 15 के अन्तर्गत प्रत्येक अपील एवं नियम 16 के अन्तर्गत प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु शुल्क ₹ 10,000.00 देय होगा, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा, की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी।

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation/ Committee of Independent Experts) द्वारा वादों का निस्तारण

18. खनिजों से सम्बन्धित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रकरण शासन द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation Committee of Independent Experts) को सन्दर्भित किये जा सकेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

19. (1) राज्य में इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इस नियमावली की तत्स्थानी कोई विधि/नीति (जिन्हें इसके पश्चात् इस नियम में निरसित नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है।

(2) उपनियम (1) द्वारा निरसित नियमों का निरसन कर दिये जाने पर भी –

(क) निरसन और ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना, अथवा की गयी कोई नियुक्ति या घोषणा, अथवा दी गयी कोई छूट अथवा किया गया कोई अधिहरण या अधिरोपित की गयी कोई शास्ति या जुर्माना, कोई समपहरण, रद्दकरण, अथवा की गयी कोई अन्य बात या कोई अन्य

कार्रवाई, जहा तक इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन निकाली गई, किया गया या की गयी समझी जायेगी।

(ख) निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है;

परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/संचालित खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत अवधि तक वैध रहेगी, जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अनुसार आर०बी०एम० एवं बोल्डर का क्रय/विक्रय किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

Annexure -B

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या-2891/VII-A-1/2023–03(102)2021
देहरादून, दिनांक: 15 नवम्बर, 2023

अधिसूचना सं0 2882/VII-A-1/2023–03(102)2021, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या– 2887/VII-A-1/2023–03(102)2021
देहरादूनः दिनांकः 14 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 के उपनियम 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में निचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–1 के नियम 5(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–(5)(2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट /हॉट मिक्स प्लांट/ रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–''जे'' में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–''जे'' (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा; परन्तु राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।	खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–''जे'' में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–''जे'' (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा; राज्य के बाहर से खनिजों (उपखनिज/ मुख्य खनिज) का परिवहन किये जा रहे वाहनों पर रू0 07/– प्रति कु0 की दर से खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) निम्नानुसार अवधारित करते हुए अधिरोपित किया जायेगा :– अन्य राज्य से खनिज लेकर आने वाले वाहन के स्वामी द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के विभागीय पोर्टल https://dgmappl.uk.gov.in/ पर इन्टर स्टेट ट्रांजिट पास लॉगिन पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण मूल सूचनाओं यथा–वाहन

स्वामी/वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, निवास का पता, मोबाईल नम्बर के आधार पर किया जायेगा।

उक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त वाहन स्वामी/वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर लॉगिन आई०डी० व पासवर्ड उपलब्ध होगा।

लॉगिन आई०डी० व पासवर्ड के आधार पर परिवहनकर्ता ई–पेमेन्ट के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निर्धारित लेखा शीर्षक (0853–00–102–01–00) मे खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) की धनराशि को जमा कर सकेगा। प्रत्येक परिवहन के अवसर पर अभिवहन पास से सम्बन्धित विवरणों, जैसे–अन्य प्रदेशों के अभिवहन प्रपत्र का क्रमांक व दिनांक, प्रदेश व जनपद जो लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, को अंकित किये जाने के उपरान्त परिवहन किये जाने वाली मात्रा के अनुसार खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) की कटौती होने के साथ ही रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर अर्न्तराज्यीय अभिवहन पास (ISTP) जनित होगा।

अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड मे आने वाले खनिजों के वाहनों पर उस राज्य के वैद्य अभिवहन प्रपत्र के साथ–साथ उत्तराखण्ड की अर्न्तराष्ट्रीय अभिवहन पास (ISTP) की प्रति संलग्न होने पर ही सम्बन्धित खनिजों का परिवहन विधिमान्य होगा।

नियम 14 के उपनियम 5(क) का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–3 के नियम 14(5)(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–(14)(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर	यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु

प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार मे रॉयल्टी का दो गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का तीन गुना तक के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी दिये जाने के सम्बन्ध मे ई–रवन्ना पोर्टल मे संशोधन किये जाने हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया जायेगा। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं, को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/ निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई–रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में

का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ ई-रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।	उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) का नियमावली 2021 के प्रख्यापन से पूर्व अधिरोपित/ विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Annexure-69

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 469 /VII-A-1/2023/09(05)/2023
देहरादून,दिनांक: 22 मार्च, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
3. नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	-	सदस्य
4. जिला खान अधिकारी	-	सदस्य
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी	-	सदस्य
6. जिलाधिकारी द्वारा जनपद का नामित ऐसा व्यक्ति, जो उस क्षेत्र की परिस्थितिकी (Ecology) के संरक्षण में रूचि रखता हो।	-	सदस्य

उक्तानुसार गठित समिति में खनन क्षेत्र, जिस ग्राम सभा में स्थित होगा, उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) के सदस्य होंगे।

2- उक्तानुसार प्रत्येक जनपद हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) से अपेक्षा की जाती है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 का अनुपालन करते हुये अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

संख्या:- 469 /VII-A-1/2023/09(05)/2023,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त नोडल प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला खान अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

-: आदेश :-

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 469/VII-A-1/2023/2023/09(5)/2023 दिनाँक 22 मार्च, 2023 के माध्यम से मा.उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल@ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवम् रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में जनपद नैनीताल हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) निम्नानुसार निम्नानुसारगठित किया जाता है :-

1-	जिलाधिकारी, नैनीताल	–	अध्यक्ष।
2-	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल	–	सदस्य।
3-	प्रभागीय वनाधिकारी (सम्बन्धित क्षेत्र)	–	सदस्य।
4-	जिला खान अधिकारी, नैनीताल	–	सदस्य।
5-	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी	–	सदस्य।
6-	श्री मयंक तिवारी, निवासी बैलपड़ाव, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल/सदस्य, वाईल्ड लाईफ बोर्ड, उत्तराखण्ड	–	सदस्य।

इसके अतिरिक्त उक्त के अनुपालन में परगना स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल निम्नानुसार गठित किया जाता है :-

1-	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
2-	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	–	सदस्य।
3-	सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य।
4-	खान निरीक्षक, जनपद नैनीताल	–	सदस्य।
5-	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य।
6-	सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य।

उक्त जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवम् रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 13 /30-जी.सी./2022-23 दिनांक : 25 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
2- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद नैनीताल।
3- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद नैनीताल।
4- पुलिस क्षेत्राधिकारी, नैनीताल/हल्द्वानी/लालकुआँ/भवाली/रामनगर।
5- अपरनिदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्मइकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
6- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/समस्त सहायक परिवहन अधिकारी, जनपद नैनीताल।
7- जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक, जनपद नैनीताल।
8- उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

::आदेश::

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-469/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक मार्च 22, 2023 के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District anti illigal Mining Force) का निम्नवत् गठन किया गया है:-

1- जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य।
3- नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	-	सदस्य।
4- जिला खान अधिकारी	-	सदस्य।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी	-	सदस्य।
6- जिलाधिकारी द्वारा जनपद का नामित ऐसा व्यक्ति, जो उस क्षेत्र की परिस्थितिकी (Ecology) के संरक्षण में रूचि रखता हो।	-	सदस्य।
7- सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	-	सदस्य।

शासन द्वारा गठित जनपद समिति के अनुपालन में जनपद उधमसिंहनगर में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District anti illigal Mining Force) हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

1- जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर	-	अध्यक्ष।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर	-	सदस्य।
3- नोडल प्रभागीय वनाधिकारी, सम्बन्धित वन प्रभाग	-	सदस्य।
4- जिला खान अधिकारी, उधमसिंहनगर	-	सदस्य।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उधमसिंहनगर	-	सदस्य।
6- डॉ० आर०के० श्रीवास्तव (H.O.D.) Professor & Head (Department Of Environmental Since) जी.बी. पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उधमसिंहनगर।	-	सदस्य।
7- सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	-	सदस्य।

उक्त जिला स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District anti illigal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक: 30/03/2023

ह0-
(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, उधमसिंहनगर।

संख्या- 1460 /भू0खनि0ई0-उ0सिं0न0/मा0 उ0न्याया0/अ0ख0/2022-23 दिनांक 30 मार्च, 2023.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर।
2- नोडल प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी/पश्चिम/केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी/रामनगर जिला नैनीताल, रूद्रपुर उधमसिंहनगर।
3- जिला खान अधिकारी, उधमसिंहनगर।
4- प्रभारी अधिकारी, खनन, कलैक्ट्रेट, उधमसिंहनगर।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उधमसिंहनगर।
6- डॉ० आर०के० श्रीवास्तव (एच0ओ0डी0) (इन्वॉमेंटल सांइस) जी.बी. पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उधमसिंहनगर।
7- सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार।

30/3/2023
(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
उधमसिंहनगर।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या:–469/VII-A-1/2023/09 (05)/2023, दिनांक:–22 मार्च, 2023 के माध्यम से मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या:–17/रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक:–16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में जनपद चम्पावत हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) निम्नानुसार गठित किया जाता है:–

1– जिलाधिकारी, चम्पावत – अध्यक्ष।
2– पुलिस अधीक्षक, चम्पावत – सदस्य।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत – सदस्य।
4– प्र. खान अधिकारी, चम्पावत – सदस्य।
5– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर – सदस्य।
6– डा. बी.डी. सुतेडी, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, रा.स्ना.महा.वि. पिथौरागढ निवासी शान्त बाजार, चम्पावत (पर्यावरण प्रेमी) – सदस्य।

इसके अतिरिक्त उक्त के अनुपालन में परगना स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल निम्नानुसार गठित किया जाता है:–

1– सम्बन्धित उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2– सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी – सदस्य।
3– सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य।
4– प्र. खान अधिकारी, चम्पावत – सदस्य।
5– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर – सदस्य।
6– सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान– – सदस्य।

उक्त जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(नरेन्द्र सिंह भण्डारी)
जिलाधिकारी,
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत।

संख्या:–3698/तीस–खनन/2022–23, दिनांक:– मार्च 29 ,2023.

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत/तराई पूर्वी हल्द्वानी/ हल्द्वानी।
3– समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद चम्पावत।
4– पुलिस क्षेत्राधिकारी, चम्पावत/टनकपुर।
5– प्र. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद चम्पावत।
6– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर।
7– उपरोक्त समिति के नामित सदस्य, द्वारा– सम्बन्धित तहसीलदार, जनपद चम्पावत।

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

// आदेश //

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–469/VII-A-1/202309(05)/2023 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेश लाल/ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया जाना है।

अतः उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद पौड़ी में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु निम्नानुसार जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया जाना है:–

1.	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	–	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी	–	सदस्य
3.	प्रभागीय वनाधिकारी(संबन्धित क्षेत्र)	–	सदस्य
4.	जिला खान अधिकारी, पौड़ी	–	सदस्य
5.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी	–	सदस्य
6.	विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विभाग, हे0न0ब0ग0विश्व विद्यालय, (केन्दीय वि0वि0) श्रीनगर गढ़वाल।	–	सदस्य

उक्त के अतिरिक्त परगना स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु परगना स्तरीय खनन निरोधक दल का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

1.	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक	–	सदस्य
3.	सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य
4.	खान निरीक्षक, जनपद पौड़ी	–	सदस्य
5.	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6.	सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य

उक्त गठित जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवम् रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

// कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल //

संख्याः–320/30–खनन/2022–23 दिनांक पौड़ी 24 मार्च 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, औद्योगिक विकास(खनन)अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी।
3. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी।
6. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी/कोटद्वार।
7. जिला खान अधिकारी, पौड़ी।
8. उपरोक्त गठित अवैध खनन निरोधक दल के नामित समस्त सदस्यगण।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

:: आदेश ::

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या–504/VII-A-1/2023/ दिनांक 25 मार्च 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप 469/VII-A-1/2023/ दिनांक 22 मार्च 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – सदस्य
2– नोडल प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य
3– जिला खान अधिकारी – सदस्य
4– सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य
5– श्री विजय जड़धारी ग्राम जड़धार पट्टी बमुण्ड, तहसील टिहरी, टि0ग0। – नामित सदस्य

इसके अतिरिक्त तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया निम्न प्रकार किया जाता है:–

1– संबंधित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2– संबंधित पुलिस उपाधीक्षक – सदस्य
3– संबंधित सहायक वनाधिकारी,जो एस0डी0ओ0से न्यून न हो – सदस्य
4– जिला खान अधिकारी – सदस्य
5– सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य
6– संबंधित खनन क्षेत्र के प्रधान – सदस्य

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें, तथा कृत कार्यवाही को अवगत करायेंगें।

(सौरभ गहरवार)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या–2+8 /ऐ0जे0ए0/30–/12 (2019–23) दिनांक नई टिहरी 27, मार्च 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:–

1– सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून।
2– उप जिलाधिकारी टिहरी/नरेन्द्रनगर/धनोल्टी/प्रतापनगर/घनसाली/कीर्तिनगर/को इस निर्देश के साथ कि तहसील स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।
3– उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी/मसूरी/नरेन्द्रनगर।
4– जिला खान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– सम्भागीय परिवहन अधिकारी।
6– उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार ।

सेवा में,

सचिव,
खनन,उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून ।

दिनांक:27 मार्च 2023

संख्या:– 325/खनन–2023

विषय:– जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining force) के गठन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या:–469/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 22.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि मा0उच्च न्यायालय मे योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल उर्फ रमेश काम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद मे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining force) के गठन विषयक है:–

उक्त के अनुपालन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर जिला निरोधक दल का गठन निम्न प्रकार किया गया:–

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3–	नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी	सदस्य
5–	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
6–	श्री तन्मय वशिष्ठ,महामंत्री श्री गंगा सभा हरिद्वार	सदस्य

तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining force) का गठन निम्न प्रकार किया गया:–

1–	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक	सदस्य
3–	सम्बन्धित सहायक वनाधिकारी	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी	सदस्य
5–	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
6–	सम्बन्धित ग्राम का ग्राम प्रधान	सदस्य

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार

प्रतिलिपि:–1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,हरिद्वार को इस आशय से कि तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2– प्रभागीय वनाधिकारी,सा.वा0 वन प्रभाग,हरिद्वार को इस आशय से कि तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
3– अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/प्रशासन हरिद्वार ।
4– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद हरिद्वार को तत्काल अनुपालनार्थ।
5– जिला पंचायतराज अधिकारी,हरिद्वार को इस आशय से कि तदनुसार समस्त ग्राम प्रधानों को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।
6– जिला खान अधिकारी,हरिद्वार को अनुपालनार्थ प्रेषित।
7– श्री तन्मय वशिष्ठ,महामंत्री श्री गंगा सभा हरिद्वार ।

27.03.23

जिलाधिकारी,
हरिद्वार

:: आदेश ::

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या– 469/VII-A-1/2023/2023/09(5)/2023 दिनांक 22 मार्च 2023 के द्वारा मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेशलाल @ रमेश काम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्सय में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

1–	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
2–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य,
3–	नोडल प्रभागीय वनाधिकारी।	–	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी ।	–	सदस्य
5–	सम्भागीय परिवहन अधिकारी।	–	सदस्य
6–	अध्यक्ष, रेणूका समिति मातली	–	सदस्य

उक्त के अनुपालन मे तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया जाता है:–

1–	संबंधित उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
2–	संबंधित पुलिस उपाधीक्षक ।	–	सदस्य,
3–	संबंधित सहायक वनाधिकारी, जो एस0डी0ओ0 से न्यून न हो ।	–	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी ।	–	सदस्य
5–	सम्भागीय परिवहन अधिकारी।	–	सदस्य
6–	संबंधित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें, तथा कृत कार्यवाही को अवगत करायेगें।

(अभिषेक रूहेला)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी ।

संख्या: 4754/32–अवैध खनन/2023 दिनांक 24 मार्च 2023

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1– उप जिलाधिकारी भटवाड़ी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला को इस निर्देश के साथ कि तहसील स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें ।
2– पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी/बड़कोट ।
3– उप प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग/यमुना वन प्रभाग बड़कोट/टौन्स वन प्रभाग पुरोला।
4– जिला खान अधिकारी,उत्तरकाशी।
5– सम्भागीय परिवहन अधिकारी ।
6– उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण ।

जिलाधिकारी,

प्रेषक,

जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास(खनन)
अनुभाग–1,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्या 4368 /तीस–खनन/2022–23, दिनांक 27 मार्च, 2023

विषयः **जनहित याचिका संख्या–17/पी0आई0एल0/2023 रमेश लाल @रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–504/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 25.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेश लाल @रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल(District Anti illegal Mining Force) के क्रम में जनपद स्तर पर गठित की गई समिति के आदेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti illegal Mining Force) गठन सम्बन्धी आदेश की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(वन्दना)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

आदेश

सचिव उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग–1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–469/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेश लाल @रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल(District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में जनपद अल्मोड़ा हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल(District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किया जाता है:–

1. जिला अधिकारी, अल्मोड़ा	–	अध्यक्ष।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा	–	सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	–	सदस्य।
4. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, अल्मोड़ा	–	सदस्य।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा	–	सदस्य।
6. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के वन पंचायत सरपंच	–	सदस्य।
7. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य।

उक्त के अतिरिक्त तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोध दल(Anti Illegal Mining Force) का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
2. सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	–	सदस्य।
3. सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य।
4. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, अल्मोड़ा	–	सदस्य।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा	–	सदस्य।
6. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के वन पंचायत सरपंच	–	सदस्य।
7. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य।

उक्त जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल(Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 27/03/2023

(वन्दना)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या 4366 /तीस–खनन/2022–23, दिनांक 27 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
4. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. समस्त उप प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
6. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा।
7. समस्त वन पंचायत सरपंच, जनपद अल्मोड़ा(द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा)
8. समस्त ग्राम प्रधान, जनपद अल्मोड़ा(द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा)

(वन्दना)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

!!आदेश!!

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या– 469/VII-A-1/2023/09(5)/2023 दिनाँक 22 मार्च, 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेशलाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Ilegal Mining Force) का निम्वत् गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

1– जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2– पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
3– नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य
4– जिला खान अधिकारी	–	सदस्य
5– सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6– अध्यक्ष, पंचायत उद्योग, समिति घूनी।	–	सदस्य

उक्त के अनुपालन में तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया जाता है:–

1– सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2– सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक	–	सदस्य
3– संबंधित सहायक वनाधिकारी, जो एस0डी0ओ0 से न्यून हो	–	सदस्य
4– जिला खान अधिकारी	–	सदस्य
5– सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6– संबंधित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (Anti Ilegal Mining)अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 3335/तीस–अवैध खनन/2023 दिनाँक 25 मार्च, 2023

1– उप जिलाधिकारी चमोली/जोशीमठ/कर्णप्रयाग/गैरसैंण/थराली/पोखरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तहसील स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

2– पुलिस उपाधीक्षक चमोली/कर्णप्रयाग।

3– उप प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ/बद्रीनाथ/अलकनन्दा।

4– जिला खान अधिकारी, चमोली।

5– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कालेश्वर कर्णप्रयाग।

6– उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

Signed by Himanshu Khurana
Date: 26-03-2023 18:35:09

(हिमाँशु खुराना)

जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

संख्या– 4339/30–अवैध खनन(2022–23) दिनांक 25 मार्च, 2023

विषय– जनहित याचिका संख्या–17/पी0आई0एल0/2023 रमेश लाल/रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 504/VII-A-I/2023-09(05)/2023 दिनांक 25 मार्च, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनहित याचिका संख्या–17/पी0आई0एल0/2023 रमेश लाल/रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अवैध खनन् पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन (District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आख्या सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

:: आदेश ::

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 469/VII-A-I/2023-09(05)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 एवं शासन के पत्र संख्या– 504/VII-A-I/2023-09(05)/2023 दिनांक 25 मार्च, 2023 के द्वारा जनहित याचिका संख्या–17/पी०आई०एल०/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अवैध खनन् पर प्रभावी नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया जाता है :–

1–	जिलाधिकारी	– अध्यक्ष
2–	पुलिस अधीक्षक,	– सदस्य
3–	प्रभागीय वनाधिकारी	– सदस्य
4–	उप निदेशक/भू–वैज्ञानिक,	– सदस्य
5–	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,	– सदस्य
6–	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी, जिला गंगा संरक्षण समिति रूद्रप्रयाग	– सदस्य

उक्त के अनुपालन में तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया जाता है :–

1–	संबंधित उप जिलाधिकारी	– अध्यक्ष
2–	संबंधित पुलिस उपाधीक्षक,	– सदस्य
3–	संबंधित सहायक वनाधिकारी,	– सदस्य
4–	उप निदेशक/भू–वैज्ञानिक,	– सदस्य
5–	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,	– सदस्य
6–	संबंधित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	– सदस्य

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायेगें।

दिनांक: रूद्रप्रयाग।
25 मार्च, 2023

ह०/–
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

संख्या– 4329/30–अवैध खनन/(2022–23) दिनांक 25 मार्च ,2023

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग/केदारनाथ।
3– उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली।
4– पुलिस उपाधीक्षक रूद्रप्रयाग/गुप्तकाशी।
5– उप निदेशक/भू–वैज्ञानिक रूद्रप्रयाग।
6– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
7– उपरोक्तानुसार समस्त सदस्यगण।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

: आदेश :

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–469/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 22 मार्च 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/पी0आई0एल0/2023 रमेश लाल / रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत जिला/तहसील स्तर पर गठन किया जाता है:–

जिला स्तर:–

1. जिलाधिकारी बागेश्वर	–	अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
3. नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य
4. जिला खान अधिकारी	–	सदस्य
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6. श्री किशन सिंह मलड़ा (वृक्ष प्रेमी)	–	सदस्य

तहसील स्तर:–

1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
2. सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक	–	सदस्य
3. सम्बन्धित सहायक वनाधिकारी (रैन्जर)	–	सदस्य
4. जिला खान अधिकारी	–	सदस्य
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य

उक्त अवैध खनन निरोधक दल (Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्या– 562 /तीस–खनन/2023 दिनांक 25 मार्च, 2023

प्रतिलिपि:– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:–

1– सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर।
3– उपजिलाधिकारी, बागेश्वर/कपकोट/काण्डा/गरुड़।
4– सम्बन्धित सहायक वनाधिकारी (रैन्जर), बागेश्वर।
5– जिला खान अधिकारी, बागेश्वर।
6– सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागेश्वर।
7– उपरोक्त समिति के सभी नामित सदस्यगण।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

: आदेश 44 :

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 में कार्यालय ज्ञाप संख्या-469/VII-A-1/2023/09(6)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेशलाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1–	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
3–	नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी	–	सदस्य
5–	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6–	श्री कृष्णनन्दु मुण्डल, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार, 25 सुभाष रोड, देहरादून	–	सदस्य

उक्त के अनुपालन में तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया जाता है:-

1–	संबंधित उपजिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2–	संबंधित पुलिस उपाधीक्षक	–	सदस्य
3–	संबंधित सहायक वनाधिकारी जो एस0डी0ओ0 से न्यून न हो	–	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी	–	सदस्य
5–	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6–	संबंधित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2022389 FAX-2720025

पत्र संख्या 398/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 25 मार्च, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:–

1– उपजिलाधिकारी सदर/डोईवाला/ऋषिकेश/विकासनगर/मसूरी/कालसी को इस निर्देश के साथ कि तहसील स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
2– समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस), जनपद–देहरादून।
3– उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता/कालसी/देहरादून/मसूरी।
4– जिला खान अधिकारी, देहरादून।
5– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
6– उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

जिलाधिकारी

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन)
अनुभाग–1,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संख्या–2-3377/तीस–खनन/2022–23 दिनांक मार्च 25, 2023

विषय :– **जनहित याचिका संख्या–17/पी0आई0एल0/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या–504/VII–A–1/2023–09(05)/2023 दिनांक मार्च 25, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti illegal Mining Force) के क्रम में जनपद स्तर पर गठित की गई समिति के आदेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti illegal Mining Force) गठन सम्बन्धी आदेश दिनांक 25.03.2023 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

आदेश

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–469/VII–A–1/2023/09(05)/2023 दिनांक मार्च 22, 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti illegal Mining Force) का गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में जनपद पिथौरागढ़ हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

1. जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
2. पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी	–	सदस्य।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य।
6. श्री एम0सी0 पन्त, (चैयमैन रैडकास सोसायटी) निवास लिन्ठ्यूड़ा, पिथौरागढ़।	–	सदस्य।

इसके अतिरिक्त परगना स्थल पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल(Anti illegal Mining Force) निम्नानुसार गठन किया जाता है :–

1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
2. सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	–	सदस्य।
3. सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी	–	सदस्य।
5. सहायक सम्भागीय परिवन अधिकारी	–	सदस्य।
6. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य।

उक्त जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (Anti illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक मार्च 25, 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या–2-4021 /तीस–खनन/2022–23 दिनांक मार्च 25, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
4. जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़।
5. समस्त उप प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
6. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ़।
7. उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

Annexure-D

प्रर्वतन दल द्वारा अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति

क0सं0	प0सं0	जनपद का नाम	प्रकरणों की संख्या	प्रवर्तन दल के प्रकरण		
				अधिरोपित धनराशि (रुपये में)	जमा धनराशि (रुपये में)	अवशेष धनराशि (रूपये में)
1	1	ऊधमसिंहनगर	13	144457128.00	104059621.00	40397507.00
2	2	नैनीताल	9	193176601.00	75792499.00	117384102.00
3	3	देहरादून	7	7145490.00	820710.00	6324780.00
कुल धनराशि			29	**344779219.00**	**180672830.00**	**164106389.00**

मुख्यालय स्तर पर गठित प्रवर्तन दल (Enforcement Cell) द्वारा माह अप्रैल, 2024 में जनपद ऊधमसिंहनगर में किये गये औचक निरीक्षणों का विवरण

क्र0 सं0	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/भण्डारण स्थल का नाम एवं पता	प्रवर्तन दल द्वारा आरोपित धनराशि		
		अर्थदण्ड की धनराशि	अधिरोपित अर्थदण्ड के सापेक्ष जमा धनराशि	अधिरोपित अर्थदण्ड के सापेक्ष अवशेष धनराशि
1	अमर स्टोन क्रेशर, गांधीनगर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	35048951.00	15000000.00	20048951.00
2	आनन्द स्टोन प्रोडक्ट्स, गांधीनगर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	667384.00	667384.00	0.00
3	अनिल कुमार चौहान, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।	21000137.00	21000137.00	0.00
4	दाबका स्टोन क्रेशर, ग्राम इटव्वा गबरौला, तहसील जसपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	1193684.00	1193684.00	0.00
5	देवभूमि बिल्डर्स एण्ड स्टोन क्रेशर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	3999998.00	1500000.00	2499998.00
6	एकता स्टोन क्रेशर, ग्राम गुलड़ियापुर, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	1990000.00	0.00	1990000.00
7	गुरुनानक स्टोन प्रोडक्ट्स, जगतपुर, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	681248.00	681244.00	0.00
8	काशीपुर स्टोन क्रेशर, ग्राम ढकियाकलां, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	1000087.00	0.00	1000087.00
9	एल0एम0सी0 इन्फ्राटेक लि0, (भण्डारण) तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।	49120820.00	49120820.00	0.00
10	महादेव स्टोन क्रेशर, ग्राम बरखेड़ा पाण्डे, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	1116753.00	1116753.00	0.00
11	मॉडर्न नैचुरल स्क्रीनिंग प्लांट, ग्राम गांधीनगर, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।	14032200.00	4630626.00	9401574.00
12	श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर, ग्राम नूरपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।	456897.00	0.00	456897.00
13	ईश्वर सिंह पुत्र श्री मान सिंह ग्राम खमिया नं0 04, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर	14148969.00	9148969.00	5000000.00
	कुल योग	144457128.00	104059621.00	40397507.00

मुख्यालय स्तर पर गठित प्रवर्तन दल (**Enforcement Cell**) द्वारा माह अप्रैल, 2024 जनपद नैनीताल में किये गये औचक निरीक्षणों का विवरण

क्र0 सं0	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/भण्डारण स्थल का नाम एवं पता	प्रवर्तन दल द्वारा अधिरोपित धनराशि		
		अर्थदण्ड की धनराशि	अधिरोपित अर्थदण्ड के सापेक्ष जमा धनराशि	अधिरोपित अर्थदण्ड के सापेक्ष अवशेष धनराशि
1	ए0वी0 नैचुरल स्क्रीनिंग प्लान्ट, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।	693953.00	693953.00	0.00
2	गुरू हर राय स्टोन क्रेशर, ग्राम पीरूमदारा, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।	463102.00	463102.00	0.00
3	कटारिया स्टोन क्रेशर, ग्राम पापड़ी, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल	7590978.00	7590978.00	0.00
4	कोसी नैचुरल स्क्रीनिंग प्लान्ट, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।	21198654.00	10000000.00	11198654.00
5	महाबली स्टोन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम भवानीपुर छोई, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।	1185028.00	0.00	1185028.00
6	न्यू रामनगर स्टोन क्रेशर, ग्राम शिवलालपुर, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।	487341.00	487341.00	0.00
7	पन्नु स्टोन क्रेशर, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।	140000420.00	35000000.00	105000420.00
8	मै0 पुरेवाल स्टोन क्रेशर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।	237522.00	237522.00	0.00
9	वाचिका टैक्सटाइल प्रा0लि0, ग्राम उदयपुरी बन्दोबस्ती, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल।	21319603.00	21319603.00	0.00
	कुल योग	**193176601.00**	**75792499.00**	**117384102.00**

मुख्यालय स्तर पर गठित प्रवर्तन दल (**Enforcement Cell**) द्वारा माह अप्रैल, 2024 में जनपद देहरादून में किये गये औचक निरीक्षणों का विवरण

क्र0 सं0	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/भण्डारण स्थल का नाम एवं पता	अर्थदण्ड की धनराशि	अधिरोपित अर्थदण्ड के सापेक्ष जमा धनराशि	अधिरोपित अर्थदण्ड के सापेक्ष अवशेष धनराशि
1	मैसर्स ए0एस0 एसोसिएट्स, ग्राम ढकरानी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।	4727163.00	0.00	4727163.00
2	बी0एम0 ट्रेडर्स, ग्राम अटकफार्म, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।	305299.00	305299.00	0.00
3	जनक सिंह रावत, ग्राम डाकपत्थर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।	66316.00	66316.00	0.00
4	मैसर्स स्मार्ट च्वाईस मिनरल्स, ग्राम डाकपत्थर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।	349662.00	0.00	349662.00
5	मैसर्स विष्णु एसोसिएट्स, ग्राम कुन्जाग्रान्ट, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।	149096.00	149096.00	0.00
6	माँ यमुना कन्सट्रक्शन, ग्राम भीमावाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।	1247955.00	0.00	1247955.00
7	श्री दिनेश प्रसाद सेमवाल पुत्र श्री भगवती प्रसाद सेमवाल, नि0 34 नेशविलारोड, क्लेमेनटाउन, देहरादून	299999.00	299999.00	0.00
कुल योग		**7145490.00**	**820710.00**	**6324780.00**

Annexure-E

प्रेषक,

उपनिदेशक खनन,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,
ऊधमसिंहनगर।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 518 /भू0खनि0वि0–ऊ0सि0न0/अ0ख0नि0दलपत्रा0/विविध/2022–23 दिनांक 12–जुलाई, 2023

विषय:– अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन समय तक की कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0 1573/उ0ख0/भू0खनि0नि0/2023–24 दिनांक 11 जुलाई, 2023 जो समस्त जिला खान अधिकारी उत्तराखण्ड को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित जनहित याचिका सं0 17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुपालन में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक कितनी बैठकें आहूत की गयी है तथा कितने स्थलों पर साइन बोर्ड लगाये गये है, की सूचना मय फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) की दिनांक 19.04.2023 को बैठक आहूत की गयी, तत्सम्बन्धी जिलाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंहनगर के पत्र सं0 8475/न्याय सहा0–2(891)/2023 दिनांक 01/05/2023 के द्वारा जारी कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है, एवं कतिपय चुगान लाटों के साईन बोर्ड के यथास्थल फोटोग्राफ इस पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

उक्तानुसार सूचना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदय को ई–मेल के माध्यम से (dir.ukdgm@gmail.com) से सादर प्रेषित है।

संलग्न:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Krishna
डा0 ..... वैज्ञानिक
कृते उप निदेशक खनन,
ऊधमसिंहनगर।

पृ0सं0 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक खनन,
ऊधमसिंहनगर।

अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने पर इनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अवैध खनन निरोधक दल (District Illegal mining force) की जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर की अध्यक्षता में दिनांक 19.04.2023 को बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नलिखित उपस्थित हुए, जिसका कार्यवृत्त निम्नानुसार है:–

उपस्थिति:–

01– श्री मंजूनाथ टी०सी०, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर।
02– श्री वैभव सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर।
03– श्री जय भारत सिंह, अपर जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर।
04– श्री चन्द्रशेखर, एस०पी० अपराध/यातायात ऊधमसिंहनगर।
05– सुश्री अनामिका प्रशिक्षु आई०एस०।
06– डॉ आर०के० श्रीवास्तव (एच०ओ०डी) पी०बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
07– श्री मनिष बिष्ट, प्रभारी अधिकारी खनन ऊधमसिंहनगर।
08– श्री पी०के० सिंह ए०आर०टी०ओ०, (प्रर्वतन), ऊधमसिंहनगर।
09– श्री दिनेश कुमार, उपनिदेशक खनन ऊधमसिंनगर।
10– श्री प्रदीप कुमार एस०डी०ओ० रामनगर।
11– श्री अनिल कुमार जोशी, एस०डी०ओ० गौला।
12– श्रीमती चन्द्र कला ग्राम प्रधान शान्तिपुरी।
13– श्री विद्यान सिंह कोरंगा, ग्राम प्रधान शान्तिपुरी नं० 02।
14– श्री राहुल तिवारी, ग्राम प्रधान शान्तिपुरी नं० 04।
15– श्री कैलाश चन्द्र जोशी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधी शान्तिपुरी।
16– श्री नरेन्द्र सिरोही, ग्राम प्रधान कुढ़का काशीपुर।
17– श्रीमती राधा देवी, ग्राम प्रधान एकरौली सितारगंज।
18– श्रीमती रीति कोहली, ग्राम प्रधान नगला तराई खटिमा।
19– श्री हरनाम सिंह, ग्राम प्रधान दभौरा मुस्तहकम काशीपुर।
20– श्री मनोज सिंह राना, ग्राम प्रधान साधुनगर सितारगंज।
21– श्री राकेश कुमार ग्राम प्रधाननकुलिया सितारगंज।
22– श्री धर्मवीर, ग्राम प्रधान तुर्कातिसौर सितारगंज।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगणों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त कमेटी द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया:–

बिन्दु सं० 1– अपर जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि रिट याचिका सं० 17/2023 में दिनांक 06.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये है:–

Mr. Prakash Arya, the Divisional Forest Officer, Tarai West, Forest Division Ramnagar is present. He states that a large number of stone crushers have been set up on both sides of Kosi River. He submits that the Kosi River is accessible from numerous points, and it is practically impossible to check the illegal mining being carried out on the riverbed, and transportation of the RBM, which is being illegally mined. He submits that the RBM, which is being illegally mined, is being supplied to the stone crushers, which are utilizing the same. He further submits that, in case the stone crushers are regulated, and there is no taker of the RBM, which is illegally mined from the river, the illegal mining itself could be curbed. Mr. Rawat, learned Chief Standing Counsel submits that the District Anti Illegal Mining Force has been constituted in each district of the State, in terms of the judgment dated 03.09.2019 passed in Writ Petition (PIL) No. 107/2018, which was reiterated by us in our order dated 16.03.2023. We direct the District Anti Illegal Mining Force, Udham Singh Nagar to forthwith look into the aforesaid aspect and take appropriate steps. A further affidavit be filed before the next date, disclosing what directions have been issued by the District Anti Illegal Mining Force, and what steps have been taken in pursuance thereof. List on 27.06.2023. Interim directions to continue till the next date of listing.

उक्त के क्रम में उपनिदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया की मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश के अनुपालन में जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं राजस्व निरीक्षक क्षेत्र स्तर पर 03 अवैध खनन निरोधक दल (District illegal mining force) का गठन किया जा चुका है। उक्त समितियों द्वारा निरन्तर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया गया की जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही अमल में लायी जाये। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर उपनिदेशक खनन एवं उपखण्ड स्तर पर गठित कमेटी के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण से सम्बन्धित पंजिका तैयार करना सुनिश्चित करते हुए प्राप्त शिकायतों का उक्त पंजिका में अंकन करने उपरान्त 07 दिवस अन्तर्गत अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें, एवं समस्त उपजिलाधिकारी अपने स्तर से खनन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु राजस्व क्षेत्रानुसार टीम का गठन करेंगे।

(उपनिदेशक खनन एवं अध्यक्ष/सदस्य उपखण्ड स्तरीय समिति)

बिन्दु सं0 2– अपर जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया की अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरुद्ध आमजनमानस द्वारा शिकायत किस स्तर पर की जाये से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी न होने के कारण अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारणकर्ता भागने में सफल रहते है।

उपनिदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया की अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने हेतु निदेशक स्तर से पोर्टल/नम्बर यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने प्रस्तावित है।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया गया कि जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध खननकर्ता, परिवहनकर्ता एवं भण्डारणकर्ता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के नम्बर सार्वजनिक करते हुए जनपद क्षेत्रान्तर्गत बैनर/फ्लैक्सी लगाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कोई भी व्यक्ति अवैध खनन स्थल के फोटो एवं विडियो बना कर उपलब्ध करा सके या फोन कर उक्त की सूचना समय पर दे सके।

(उपनिदेशक खनन ऊधमसिंहनगर)

बिन्दु सं0 3– उपनिदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया की जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध परिवहन करने पर कार्यवाही करने उपरान्त सीज किये हुए वाहनों को पुलिस की सुपुर्दगी में देने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं अन्य द्वारा लेने से इंकार किया जाता है जिससे प्रवर्तन की कार्यवाही में अड़चन उत्पन्न होती है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय प्रकरणों पर वाहन को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया जाता है, किन्तु उक्त वाहनों के सुपुर्दगीनामा एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नही कराये जाते जिससे उक्त वाहनों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही किये जाने में बाधा उत्पन्न होती है।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया गया की प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान ही चालान एवं समस्त अभिलेख तैयार किये जाये, एवं वाहनों के साथ उनकी सुपुर्दगीनामा एवं अन्य अभिलेख भी सम्बन्धित को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर द्वारा स्वीकार किया गया कि सुपुर्दगीनामा एवं अन्य अभिलेख तैयार किये जाने उपरान्त वाहन को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया जाता है तो उक्त वाहनों को को पुलिस अपनी अभिरक्षा में ले लगी।

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर/समस्त उपजिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर/
उपनिदेशक खनन ऊधमसिंहनगर/ सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऊधमसिंहनगर)

बिन्दु सं0 4– उपनिदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया की जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने उपरान्त यदि किसी व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित लेखपाल, खान निरीक्षक अथवा खनन मोहर्रिर द्वारा तहरीर दी जाती है तो सम्बन्धित को उक्त एफ0आई0आर दर्ज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया की किसी के भी विरुद्ध एफ0आई0आर0 उच्च स्तरीय अधिकारीयों द्वारा लिखाया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही करने में विधिवत अड़चन उत्पन्न न हो।

अपर जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया कि यदि किसी भू-स्वामी (अवैध खननकर्ता/भण्डारणकर्ता) के विरुद्ध एफ0आई0आर0 लिखवाई जानी हो तो उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक (लेखपाल) के पास संरक्षित होते है, इसी प्रकार किसी अवैध परिवहनकर्ता के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जाती

है तो उससे सम्बन्धित समक्ष अभिलेख खान निरीक्षक/खनन मोहर्रिर के पास संरक्षित होते है, जिस कारण उक्त कार्मिक के द्वारा एफ०आई०आर० लिखवाने की कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया गया कि यदि भविष्य में किसी भी अवैध खननकर्ता, परिवहनकर्ता एवं भण्डारणकर्ता के विरुद्ध एफ०आई०आर० की कार्यवाही की जानी हो तो सम्बन्धित लेखपाल, खान निरीक्षक अथवा खनन मोहर्रिर सम्बन्धित के विरुद्ध की गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या की प्रति के साथ एफ०आई०आर० की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर द्वारा स्वीकार किया गया कि भविष्य में यदि राजस्व उपनिरीक्षक (लेखपाल) खान निरीक्षक/खनन मोहर्रिर द्वारा एफ०आई०आर० हेतु अनुरोध किया जाता है तो उक्त एफ०आई०आर० दर्ज कर ली जायेगी।

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर/समस्त उपजिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर/
उपनिदेशक खनन ऊधमसिंहनगर)

बिन्दु सं० 5— प्रभारी अधिकारी खनन कलेक्ट्रेट ऊधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद क्षेत्रान्तर्गत अधिकांश वाहनों एवं मशीनों पर जी०पी०एस० नही लगाये गये है, इसके अतिरिक्त कृषि कार्य वाले ट्रैक्टर ट्राली जिनका (कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन) नही है उनके द्वारा भी कृषि कार्य के अतिरिक्त उक्त वाहनों से खनन कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया गया कि विशेष अभियान चलाकर जिन वाहनों में जी०पी०एस० नही लगा है उन वाहनों में जी०पी०एस० लगवाना सुनिश्चित करते हुए जिन ट्रैक्टर ट्राली का कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन नही होने के उपरान्त भी खनन एवं अन्य कॉमर्शियल कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(समस्त उपजिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर/उपनिदेशक खनन ऊधमसिंहनगर/
सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऊधमसिंहनगर)

बिन्दु सं० 6— प्रभारी अधिकारी खनन कलेक्ट्रेट ऊधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया की जनपद क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गो में अधिकांश डम्पर, जे०सी०बी० एवं ट्रैक्टर ट्राली स्वामियों द्वारा बिना नम्बर प्लेट या नम्बर प्लेट छुपाकर आवागमन किया जा रहा है, जिससे एक तरफ वाहन दुर्घटना में बढ़ोत्तरी हो रही है वहीं दूसरी तरफ वाहन ट्रेस नही हो पा रहे है।

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाकर बिना नम्बर प्लेट या नम्बर प्लेट छुपाकर आवागमन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, एवं भविष्य में इस प्रकार कोई भी वाहन न चल पाये इस हेतु विशेष प्रबन्ध करना सुनिश्चित करें।

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर/समस्त उपजिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर
/उपनिदेशक खनन ऊधमसिंहनगर/सम्भागीय परिवहन अधिकारी ऊधमसिंहनगर)

अन्त में बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(युगल किशोर पंत)
जिलाधिकारी
ऊधमसिंहनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर।

Email Ddmusn.1995@gmail.com फोन नं०-05944-242344 / फैक्स-05944-250488

पत्र संख्या 845/न्याय सहा०-2(खनि)/2023, दिनांक 01/03/2023

प्रतिलिपि— समस्त अधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/4/23

(युगल किशोर पंत)
जिलाधिकारी
ऊधमसिंहनगर।

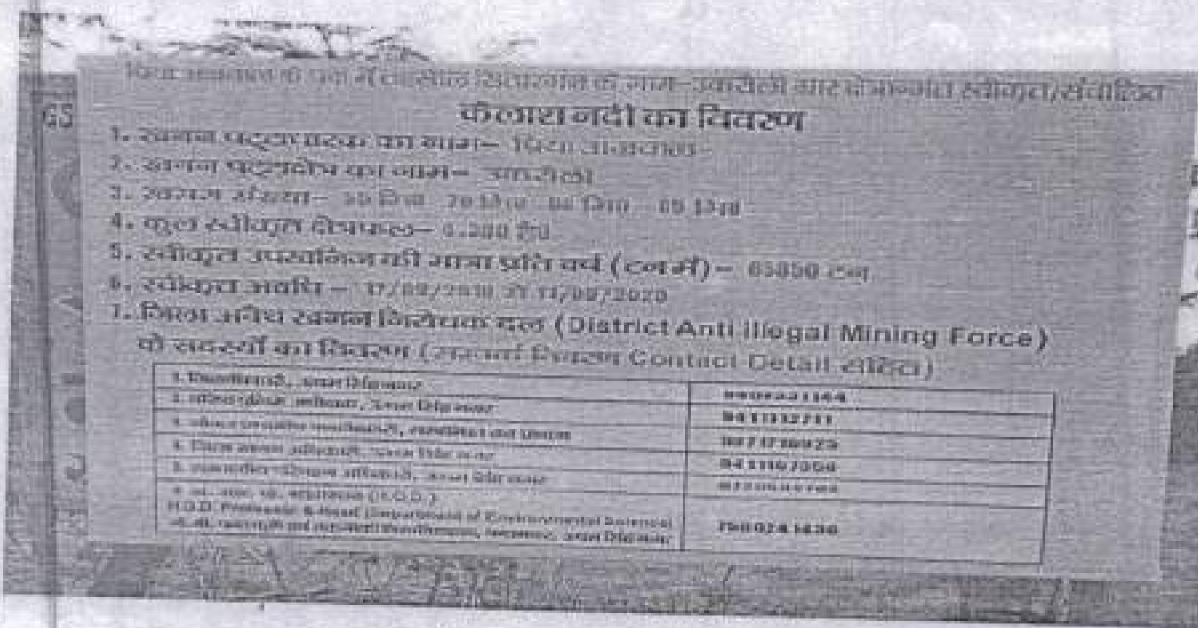

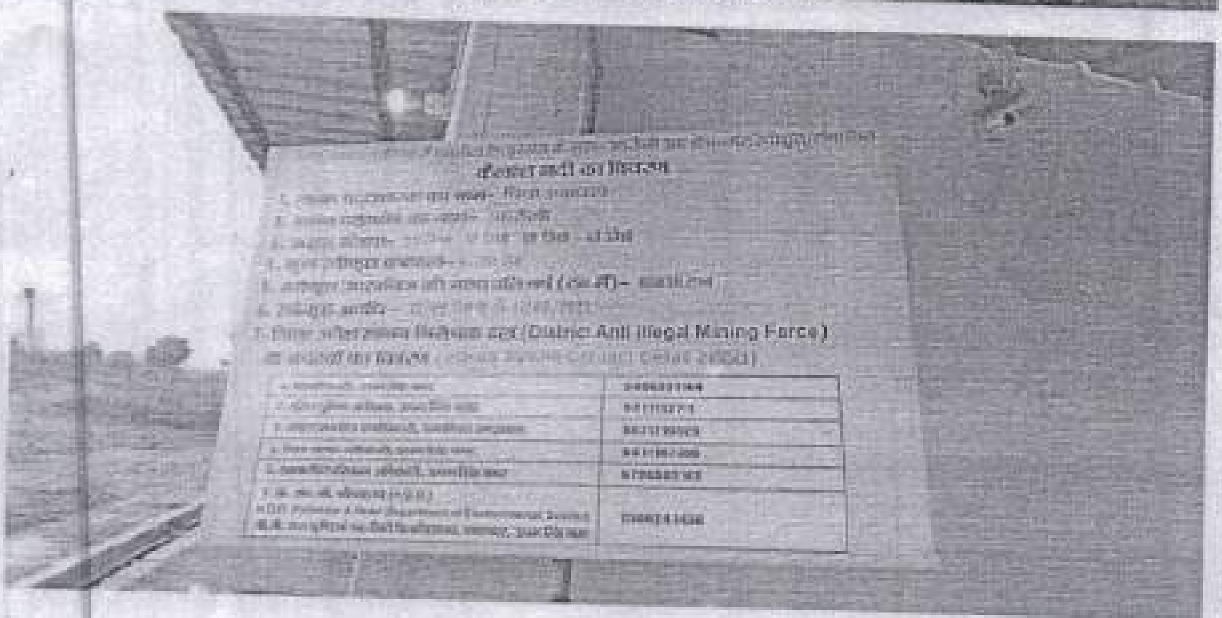

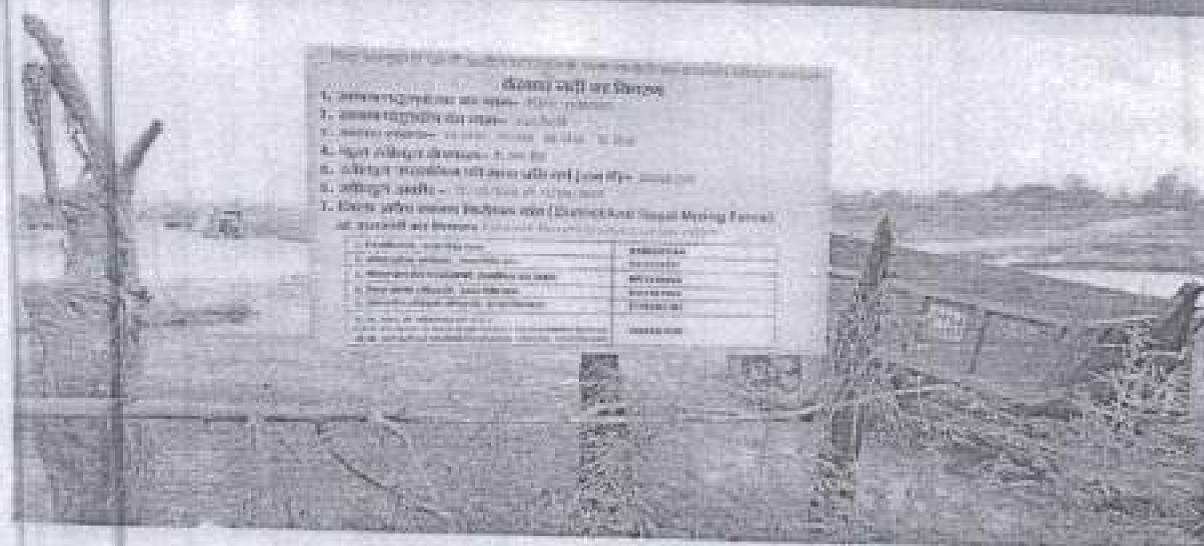

PRIYA AGARWAL , VILL- UKROLI, THE- SITARGANJ (4.390Hec.)

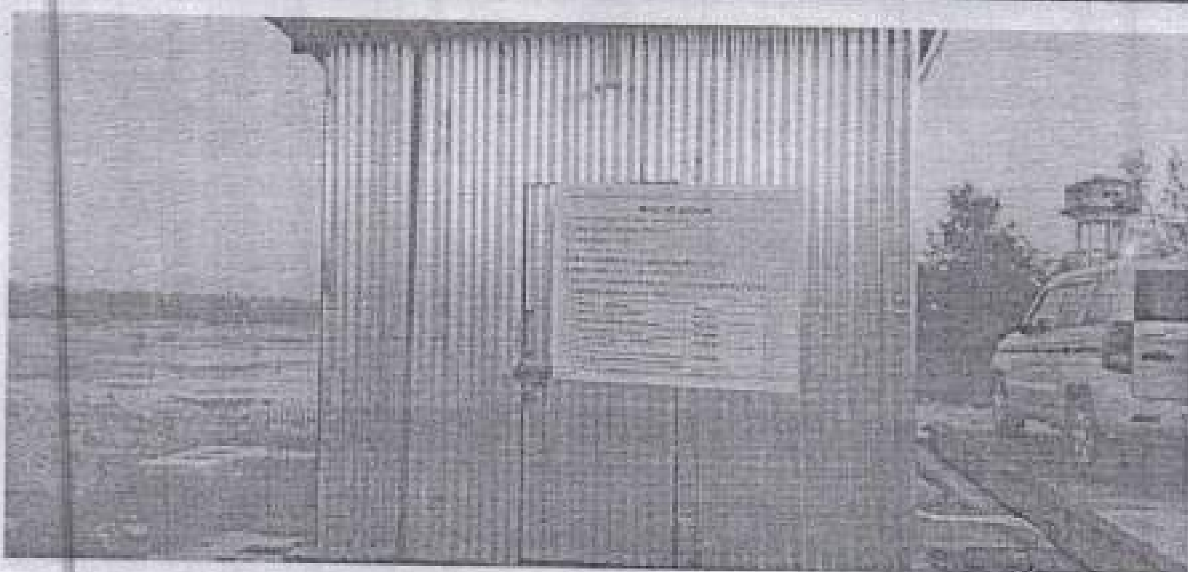

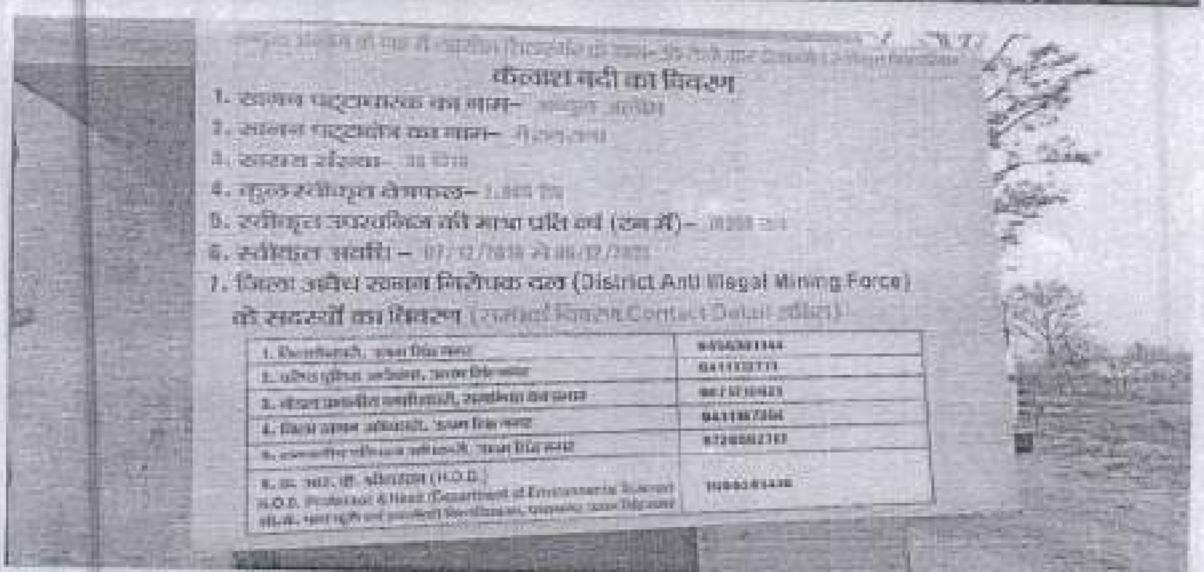

ABDUL ALEEM , VILL- MERAWARANA, THE- SITARGANJ (2.969Hec.)

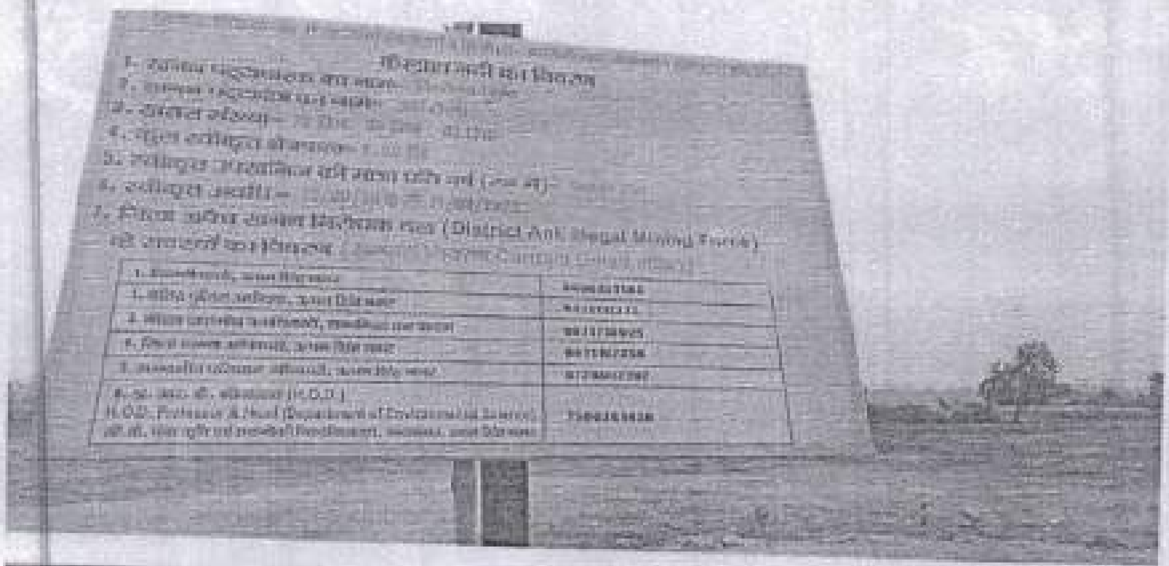

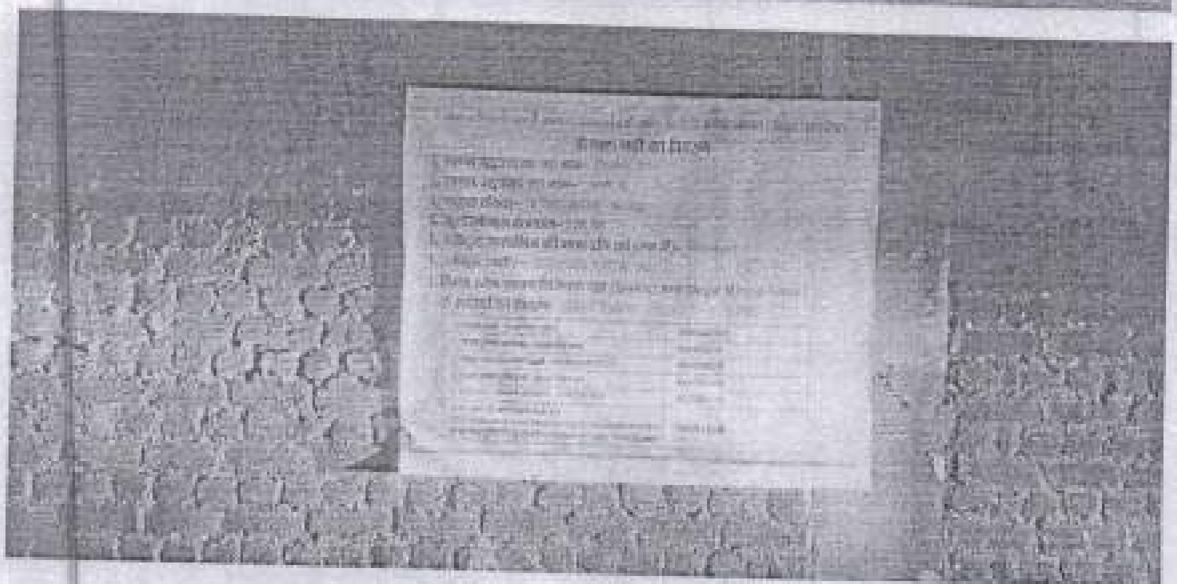

JITENDRA SINGH , VILL- UKROLI, THE- SITARGANJ (6.00Hec.)

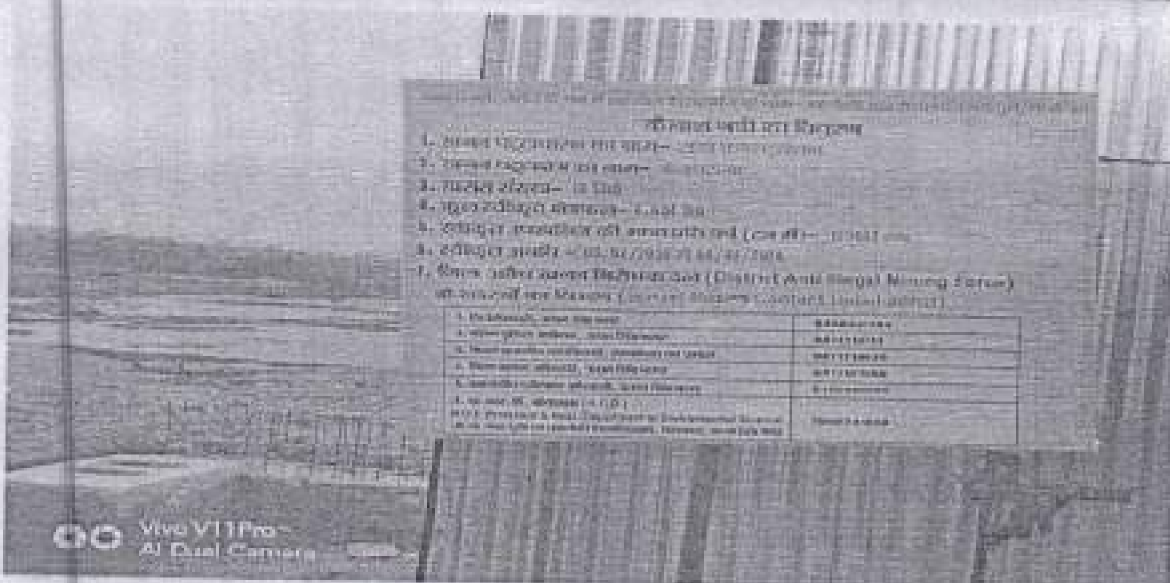

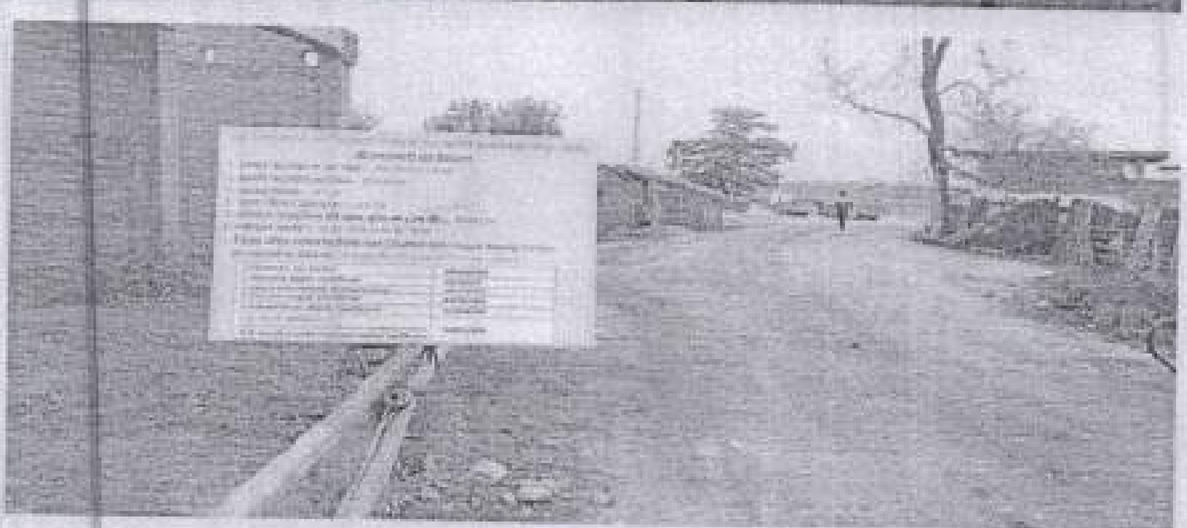

RAMA CONSTRACTION , VILL- MERAWARANA, THE- SITARGANJ (4.654Hec.)

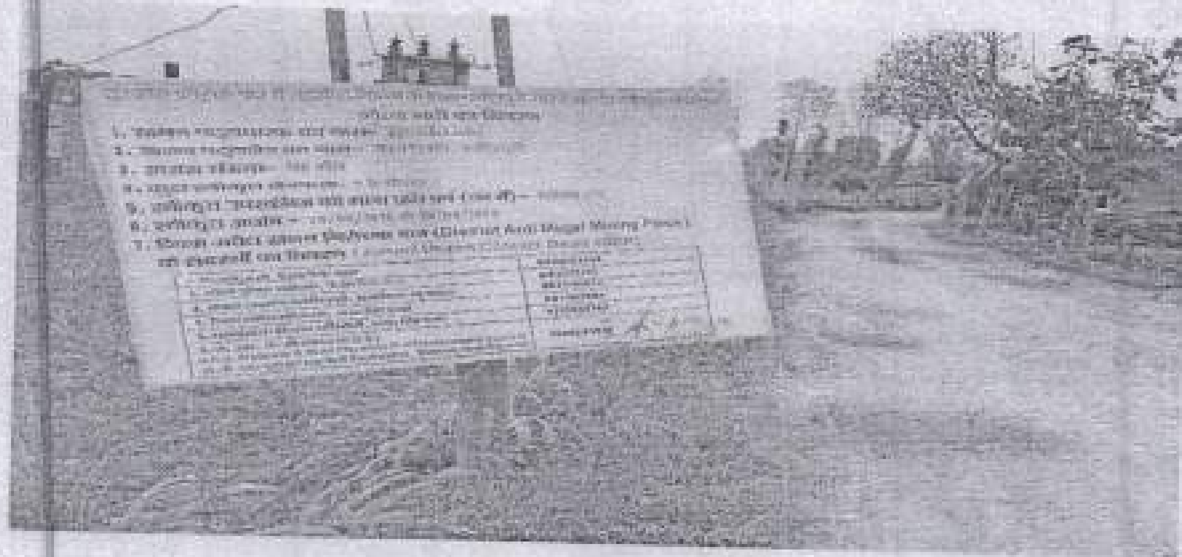

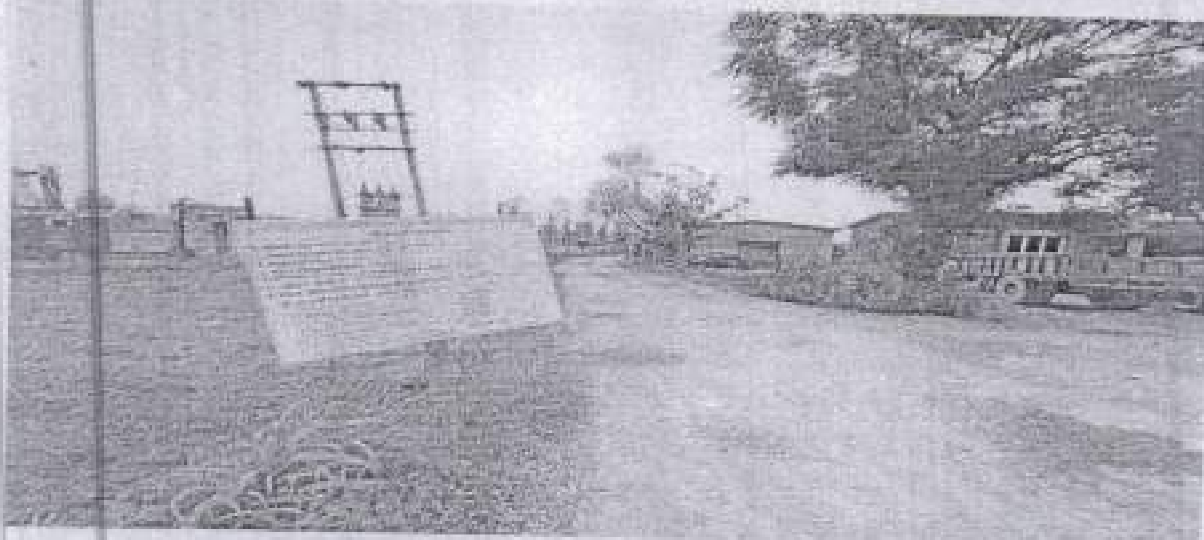

SUKHWANT KAUR , VILL- NEW PLOT SHANTIPURI, THE- KICHHA (5.00Hec.)

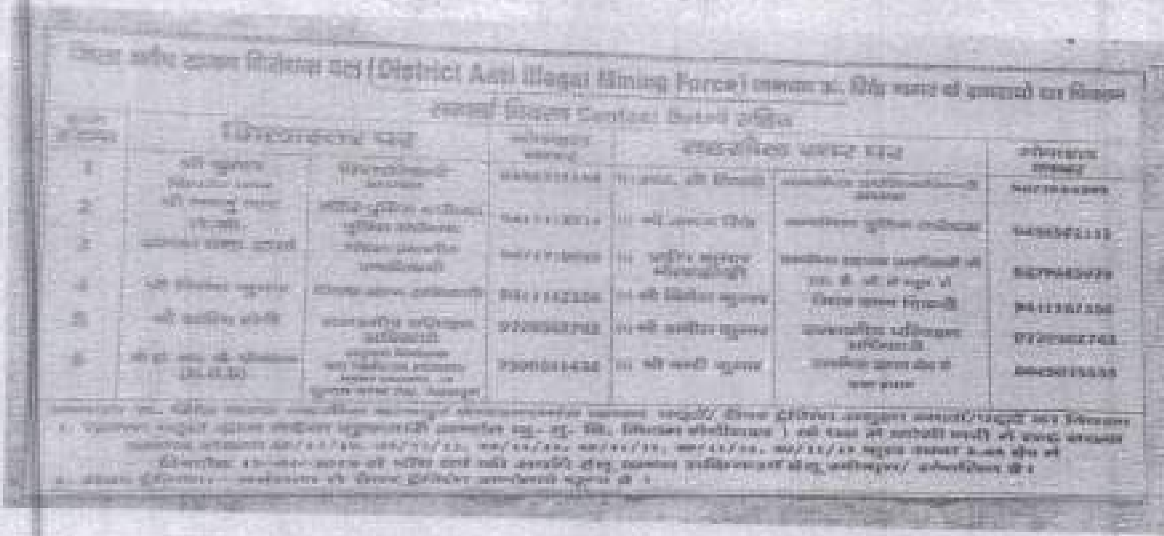

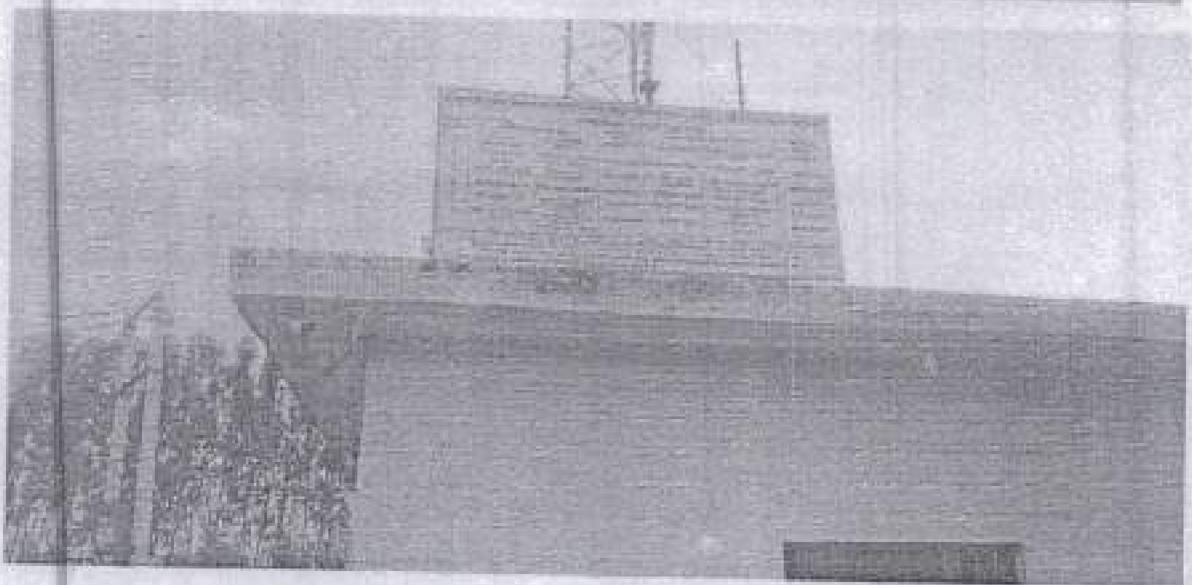

K.M.V.N. NAINITAL , VILL- MANDIYA GULJARI, THE-BAZPUR (2.69Hec.)

Anti Illegal Mining Force)
सम्पर्क विवरण Contact Detail सहित
जिलास्तर पर
तहसील स्तर पर
1
जिलाधिकारी आगरा
2
पुलिस अधीक्षक
3
4
जिला खान अधिकारी
9411167356
5
6
(H.O.D)
7500141436

प्रा.विद्यालय बैतखेड़ी

कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद टिहरी गढवाल।

संख्याः 134/भू०खनि०वि०-टि०ग०/विविध/2023-24, दिनांकः 13/07/2023

सेवा मे,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti-Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन समय तक की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 1573/उ0ख0/भू0खनि0नि0 /2023-24 दिनांक 11 जुलाई 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमे जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti-Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक की गयी बैठक, तथा कितने स्थलों पर साईन बोर्ड लगाये गये है, की सूचना मय फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा समय-समय पर आहूत बैठकों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारियों, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत औचक निरीक्षण/छापेमारी कर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये है, जिस हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल की बैठक दिनॉक 14.07.2023 को नियत है। एवं जनपद क्षेत्रान्तर्गत तहसील धनोल्टी के सौंग नदी क्षेत्र में एक साईन बोर्ड लगाया गया है, जिसके अन्तर्गत उक्त क्षेत्र के समस्त लॉटों का विवरण उल्लिखित है।

अतः उक्त साईन बोर्ड लगाये जाने की सूचना मय फोटोग्राफ सहित अग्रिम कार्यावाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 अमित गौरव)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(डॉ0 अमित गौरव)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

<u>जनपद टिहरी गढ़वाल, तहसील धनोल्टी के सौंग एवं चिफल्डी नदी क्षेत्रान्तर्गत संचालित खनन क्षेत्रों का विवरण :–</u>

पट्टाधारक का नाम	जी०एम०वी०एन० लि०	श्री कैलाश रावत	श्री दयाल सिंह	श्री संदीप सिंह	श्री युवराज सिंह
पट्टा क्षेत्र का नाम	छोटी	दुबड़ा	चिफल्डी	सौंग	बादल
खसरा संख्या	52	644	47मि०	10मि०, 19मि०, 21मि० एवं 508	1मि०
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल	1.50 है०	0.30 है०	1.20 है०	0.312 है०	0.336 है०
स्वीकृत उपखनिज की मात्रा प्रति वर्ष (टन में)	44,175	6,066	26,400	13,728	14,784
स्वीकृत अवधि	30.12.2018 से पाँच वर्ष	12.09.2018 से पाँच वर्ष	18.09.2018 से पाँच वर्ष	30 जून 2023 तक	30 जून 2023 तक

जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal mining Force) के सदस्यों का विवरण (सम्पर्क विवरण Contact Details सहित)

क्र.स.	जिला स्तर पर		मोबाईल नम्बर	तहसील स्तर पर		मोबाईल नम्बर
1.	डॉ० सौरभ गहरवार	जिलाधिकारी	9412078080	श्री लक्ष्मीराज चौहान	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी–अध्यक्ष	9412932428
2.	श्री नवनीत सिंह	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	9411114544	श्रीमती अस्मिता ममगाई	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक	9897174677
3.	श्री वी०के० सिंह	नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	9412050051	श्री उदयनंद गौड़	सम्बन्धित सहायक वनाधिकारी जो एस०डी०ओ० से न्यून हो	8650227149
4.	डॉ० अमित गौरव	जिला खान अधिकारी	9411536786	डॉ० अमित गौरव	जिला खान अधिकारी	9411536786
5.	श्री चक्रपाणी मिश्र	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	9068001213	श्री चक्रपाणी मिश्र	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	9068001213
6.	श्री विजय जखमारी	जिलाधिकारी द्वारा नामित ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र की परिस्थितिकी के संरक्षण में रूची रखता हो।	9411777758	श्री सुमन अजवाण (प्रधान छोटी/दुबड़ा) श्रीमती रेखा (प्रधान चिफल्डी)	सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	8006529930 9756928892

द्वारा ई-मेल सादर प्रेषित

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी,
देहरादून।

पत्रांकः 327/भू०खनि०वि०/विविध/2023-24 दिनांकः 13/07/2023

विषयः अवैध खनन पर प्रभावी नियन्त्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (*District Anti-Illigal Mining Force*) द्वारा अद्यतन समय तक की गयी कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1573/उ0ख0/भू0खनि0वि0/2023-24 दिनांक 11 जुलाई 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपरोक्त विषयक सचिव महोदय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड मे योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल एवं रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्या के सम्बन्ध उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मार्च 2023 के अनुपालन में अवैध खनन पर प्रभावी नियन्त्रण व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (*District Anti-Illigal Mining Force*) द्वारा अद्यातन कितनी बैठक आहूत की गयी है तथा स्थलो पर साईन बोर्ड लगाये गये हैं की सूचना मय फोटो ग्राफ सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन अवैध खनन पर प्रभावी नियन्त्रण व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (*District Anti-Illigal Mining Force*) द्वारा जनपद नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में संचालित खनन पट्टा स्थलों पर लगाये गये साईन बोर्ड की फोटोग्राफ इस पत्र के साथ संलग्न कर मेल आई0डी0 *dir.ukdgm@gmail.com* के माध्यम से महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 13/07/23
(ताजबर सिंह नेगी)
खान अधिकारी
नैनीताल।

संख्याः /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(खान अधिकारी)

वित्तीय वर्ष 2022–23 मे कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के पक्ष में स्वीकृत/संचालित चुगान पट्टों का विवरण

गोला नदी	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल ।	ग्राम भौर्सा तह0 व जिला नैनीताल	रेता, बजरी, बोल्डर	खसरा सं0 2519अ, रकबा 8.00 है0	शासनादेश सं0 1910 /VII-I/133 –ख /2015 दिनांक 22 जनवरी, 2016 पुनः नवीनीकरण हेतु शासनादेश संख्या 1224 /VII-A-I/ 133 –ख /2021–133 ख/2015 दिनांक 10 दिसम्बर 2021	1,76,000 टन	दिनांक 22.01. 2016 से 21.01. 2021 तक स्वीकृत तदोपरान्त (दिनांक 22 जनवरी 2016 की अवधि समाप्ति की तिथि 21 जनवरी 2021 से आगामी 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया गया)
गोला नदी	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल ।	ग्राम अनिया तह0 व जिला नैनीताल	रेता, बजरी, बोल्डर	खसरा सं0 622,रकब 2.00 है0	शासनादेश सं0 2194 (1)/VII-I/2019, दिनांक 12.10. 2019	1,65,672 टन	12.10.2019 से आगामी 05 वर्ष हेतु।
कोसी नदी	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल ।	ग्राम बर्धो तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल	रेता, बजरी, बोल्डर	खसरा संख्या 1256अ रकबा 0.320 है0	शासनादेश सं0 1317 /VII-a-I/ 2022–257ख/2013, दिनांक 18 अगस्त, 2022	19008 टन	15.01.2019 से आगामी 05 वर्ष की अवधि हेतु
कोसी नदी	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।	ग्राम चापड तह.बेतालघाट जिला नैनीताल	रेता, बजरी, बोल्डर	खसरा सं0 2078 रकबा 0.320 है0	शासनादेश सं0 1545 /VII-I/ 2022–05 (15), दिनांक 23 सितम्बर, 2022	60588 टन	23 सितम्बर, 2022 से आगामी 05 वर्ष हेतु।

उत्तराखण्ड वन विकास के पक्ष में तहसील हल्द्वानी जिला- नैनीताल (गौला नदी) में स्वीकृत खनन पट्टा का विवरण

1. खनन पट्टाधारक का नाम – उत्तराखण्ड वन निगम (खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग)
2. खनन पट्टा क्षेत्र का नाम – गौला नदी
3. खसरा संख्या – –
4. स्वीकृत क्षेत्रफल – 1473 हेक्टेयर
5. स्वीकृत उपखनिज की मात्रा प्रतिवर्ष टन में– 1,17,00,000.00
6. स्वीकृत अवधि – 01 मार्च 2023 से 05 वर्ष

जिला अवैध खनन निरोधक दल (District anti Illegal Mining Force) के सदस्यों की सम्पर्क विवरण सहित।

क्र0सं0	जिला स्तर		मोबाईल नं0	तहसील स्तर	मोबाईल नं0
01	श्री धीराज गर्ब्याल	जिलाधिकारी, नैनीताल (अध्यक्ष)	8171334455	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी (अध्यक्ष)	9411102121
02	श्री पंकज भट्ट	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल (सदस्य)	9411112712	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदस्य)	9411112241
03	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी (सम्बन्धित क्षेत्र) (सदस्य)	9410092712	सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)	8057794069
04	श्री राजपाल लेघा	अपर निदेशक (खनन विभाग) (सदस्य)	9927061952	खनन निरीक्षक, जनपद- नैनीताल (सदस्य)	8650210211
05	श्री संदीप सैनी	सम्भागीय परिवहन अधिकारी (सदस्य)	7830314857	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन (सदस्य)	9027115122
06	श्री मयंक तिवारी	[illegible] बोर्ड, उत्तराखण्ड (सदस्य)	8958979147	सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम प्रधान (सदस्य)	–

कु.म.वि. निगम के पक्ष में जनपद– नैनीताल तहसील बेतालघाट के ग्राम चापड़ क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत/संचालित लौट 2078 अ का विवरण

1. खनन पट्टा धारक का नाम :– कुमॉऊ मण्डल विकास निगम निविदाकार – नीरज सिंह
2. खनन क्षेत्र का नाम :– चापड़ तह. बेतालघाट
3. खसरा संख्या :– 2078 अ
4. स्वीकृत उपखनिज की मात्रा प्रतिवर्ष :– 60588 टन
5. स्वीकृत अवधि :– 23 सितम्बर 2022 से 5 वर्ष
6. जिला अवैध खनन निरोधक दल (District anti illegal Mining Force) के सदस्यों की सम्पर्क विवरण सहित

क्र.सं.	जिला स्तर		मोबाइल नम्बर	तहसील स्तर		मोबाइल नम्बर
1.	श्री धीराज गर्ब्याल (अध्यक्ष)	जिलाधिकारी	8171334455	श्री परितोष वर्मा (अध्यक्ष)	उपजिलाधिकारी	9412923570
2.	श्री पंकज भट्ट (सदस्य)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9411112712	श्री नितिन लोहनी (सदस्य)	[illegible]	9760273314
3.	श्री चन्द्रशेखर जोशी (सदस्य)	प्रभागीय वनाधिकारी	7579418745	श्री जगमोहन सिंह रावत (सदस्य)	[illegible]	9411302314
4.	श्री राजपाल लेघा (सदस्य)	अपर निदेशक	9927001952	श्री नवीन (सदस्य)	[illegible]	8650210211
5.	श्री संदीप सैनी (सदस्य)	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	7830354847	श्री संदीप वर्मा (सदस्य)	[illegible]	9837903787
6.	श्री मयंक तिवारी (सदस्य)	सदस्य वाइल्ड लाईफ	9412124607	श्री भुवन मेहरा (सदस्य)	[illegible]	9149294733

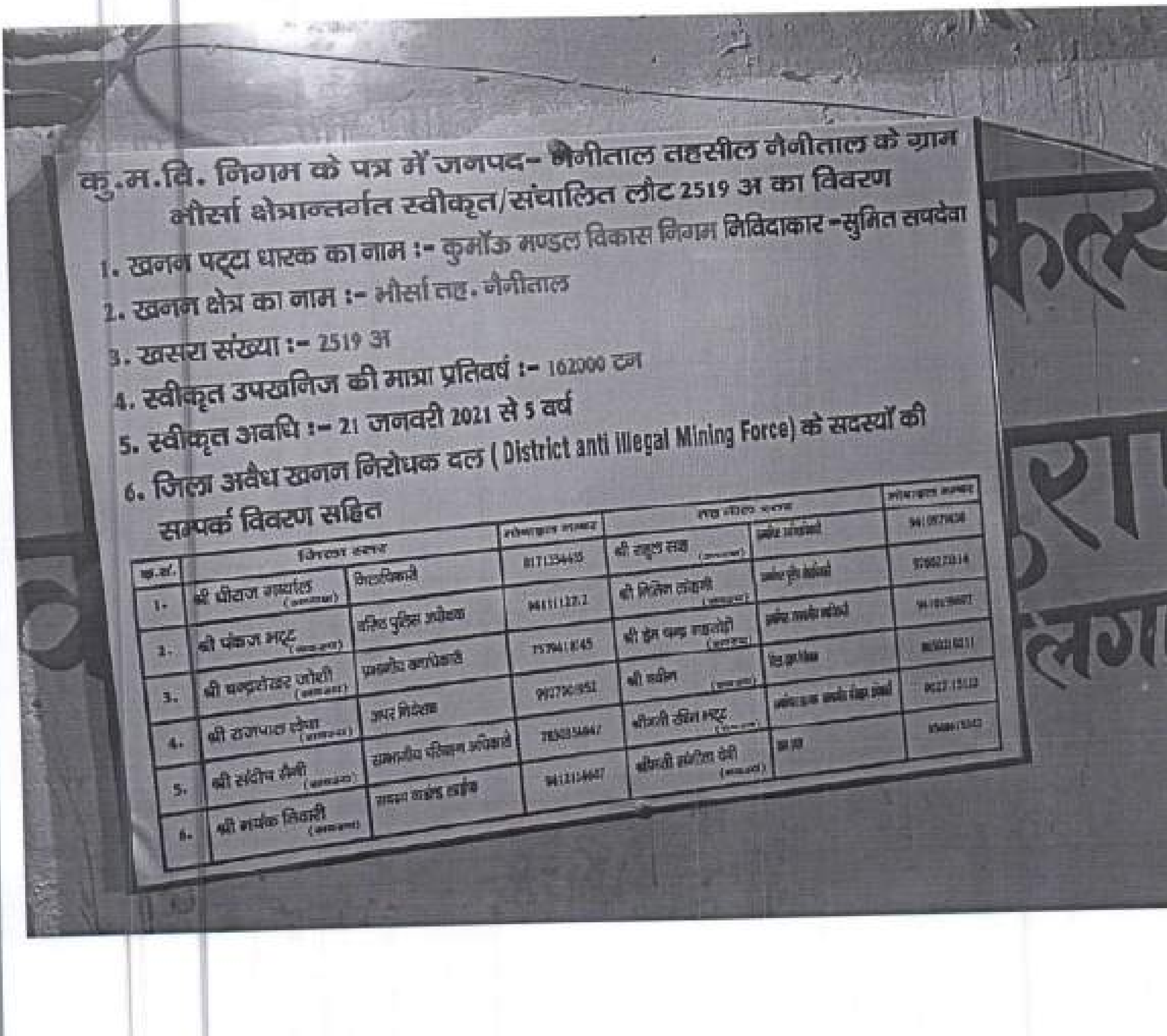
कु.म.वि. निगम के पत्र में जनपद- नैनीताल तहसील नैनीताल के ग्राम
भौर्सा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत/संचालित लॉट 2519 अ का विवरण
1. खनन पट्टा धारक का नाम :- कुमाँऊ मण्डल विकास निगम निविदाकार -सुमित सचदेवा
2. खनन क्षेत्र का नाम :- भौर्सा तह. नैनीताल
3. खसरा संख्या :- 2519 अ
4. स्वीकृत उपखनिज की मात्रा प्रतिवर्ष :- 162000 टन
5. स्वीकृत अवधि :- 21 जनवरी 2021 से 5 वर्ष
6. जिला अवैध खनन निरोधक दल (District anti Illegal Mining Force) के सदस्यों की
सम्पर्क विवरण सहित
क्र.सं.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
श्री धीराज गर्ब्याल
श्री पंकज भट्ट
श्री चन्द्रशेखर जोशी
श्री राजपाल लेघा
श्री संदीप नेगी
श्री मयंक तिवारी

कु.म.वि. निगम के पक्ष में जनपद- नैनीताल तहसील बेतालघाट के ग्राम बर्धो क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत/संचालित लौट 1256 अ का विवरण

1. खनन पट्टा धारक का नाम :- कुमाँऊ मण्डल विकास निगम निविदाकार - उत्सव चौधरी
2. खनन क्षेत्र का नाम :- बर्धो तह. बेतालघाट
3. खसरा संख्या :- 1256 अ
4. स्वीकृत उपखनिज की मात्रा प्रतिवर्ष :- 19200 टन
5. स्वीकृत अवधि :- 14 जनवरी 2019 से 5 वर्ष
6. जिला अवैध खनन निरोधक दल (District anti illegal Mining Force) के सदस्यों की सम्पर्क विवरण सहित

क.सं.	जिला स्तर		मोबाइल नम्बर	तहसील स्तर		मोबाइल नम्बर
1.	श्री धीराज गर्ब्याल (अध्यक्ष)	जिलाधिकारी	8171334455	श्री परितोष वर्मा (अध्यक्ष)	प्रभारी उपजिलाधिकारी	9412923570
2.	श्री पंकज भट्ट (सदस्य)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9411112712	श्री नितिन लोहनी (सदस्य)	प्रभारी पुलिस क्षेत्राधिकारी	9760273314
3.	श्री चन्द्रशेखर जोशी (सदस्य)	प्रभागीय वनाधिकारी	7579418745	श्री जगमोहन सिंह रावत (सदस्य)	[illegible]	9411302314
4.	श्री राजपाल लेघा (सदस्य)	अपर निदेशक	9927001952	श्री नवीन (सदस्य)	[illegible]	8650210211
5.	श्री संदीप सैनी (सदस्य)	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	7830354847	श्री संदीप वर्मा (सदस्य)	[illegible]	9837903787
6.	श्री मयंक तिवारी (सदस्य)	सदस्य वाईल्ड लाईफ	9412124697	श्री भुवन मेहरा (सदस्य)	[illegible]	9149294733

प्रेषक,

प्रभारी जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
जनपद देहरादून।

सेवा में,

निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड भोपालपानी
देहरादून।

संख्याः 298 /सूचना/भू0खनि0वि0दे0दून /2023-24, दिनांक 13 जुलाई, 2023

विषयः **अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन समय की कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 1573/उ0ख0/भू0खनि0ई0नि0/2023 दिनांक 11 जुलाई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा सचिव महोदय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल रमेश @ कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुपालन में अवैध खनन प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक कितनी बैठकें आहूत की गयी है तथा कितने स्थलो पर साईन बोर्ड लगाये गये हैं, की जनपदवार सूचना मय फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है जनपद देहरादून में अद्यतन जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) की कोई बैठक भी आहूत नही की गयी है तथा जनपद देहरादून के तहसील डोईवाला के ग्राम माजरी ग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत गढवाल मण्डल विकास निगम के पक्ष में जाखन नदी लॉट संख्या 13/2 कुल रकबा 16.57 है0 में स्वीकृत खनन लॉट में लगाये गये साईन बोर्ड से सम्बन्धित फोटोग्राफ इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Mhd. Kazim Raza
(मोहम्मद काजिम रजा)
प्रभारी जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक
देहरादून।

संख्याः /सूचना/भू0खनि0वि0दे0दून /2023-24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदया देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक
देहरादून।

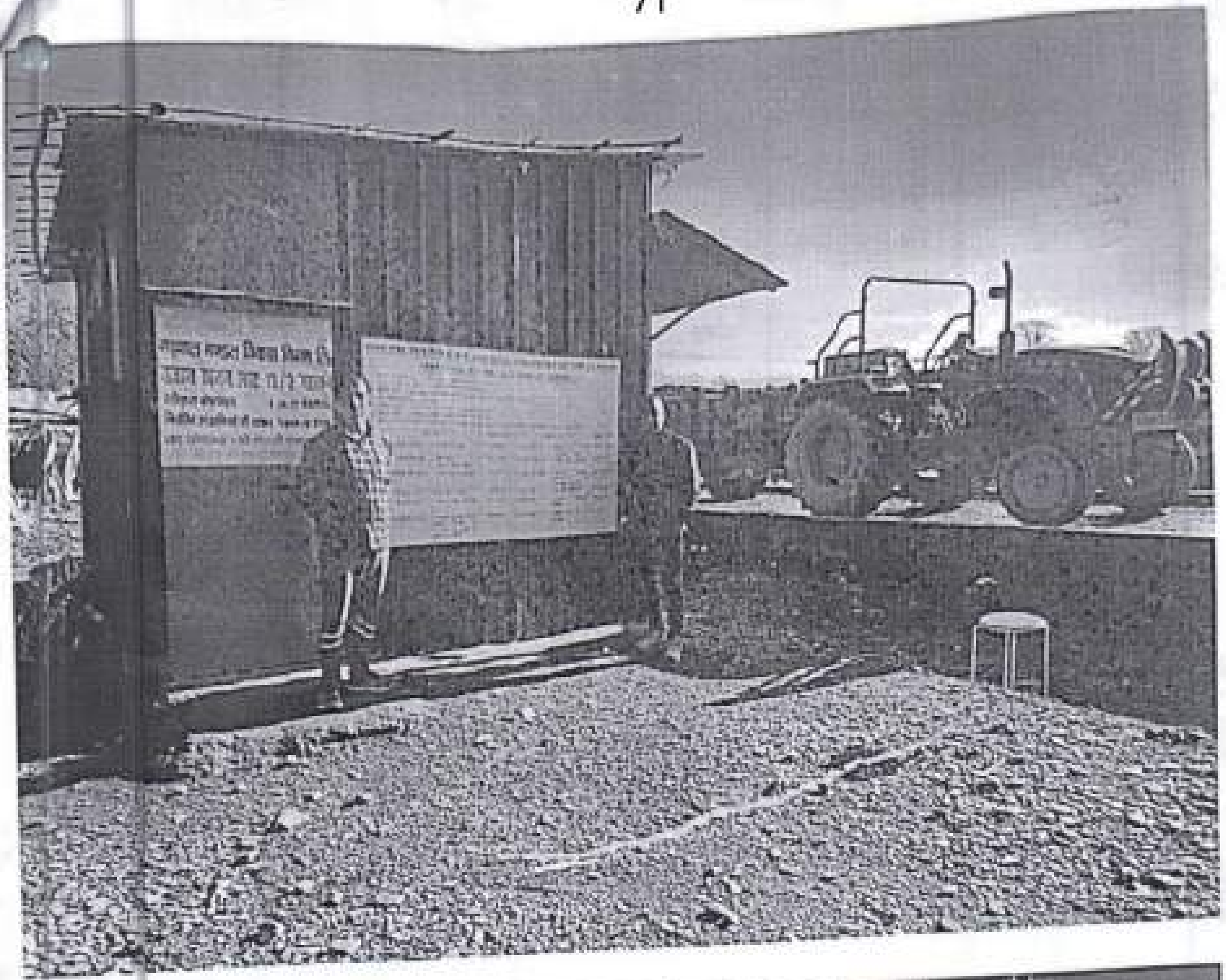

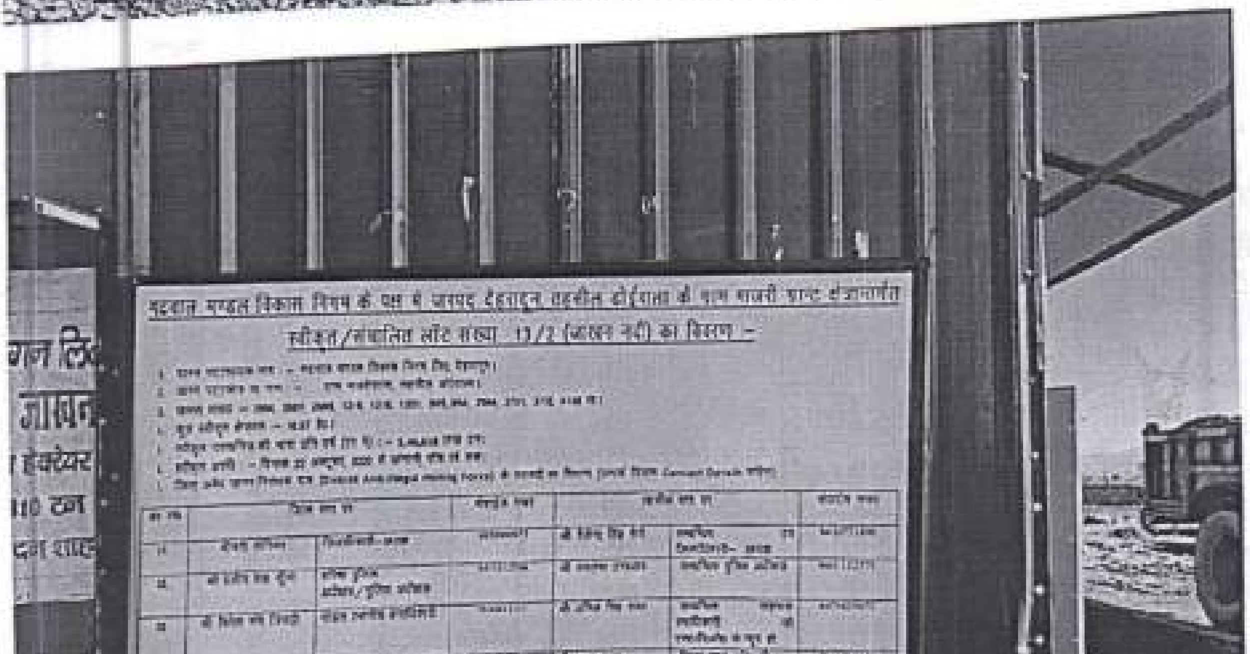

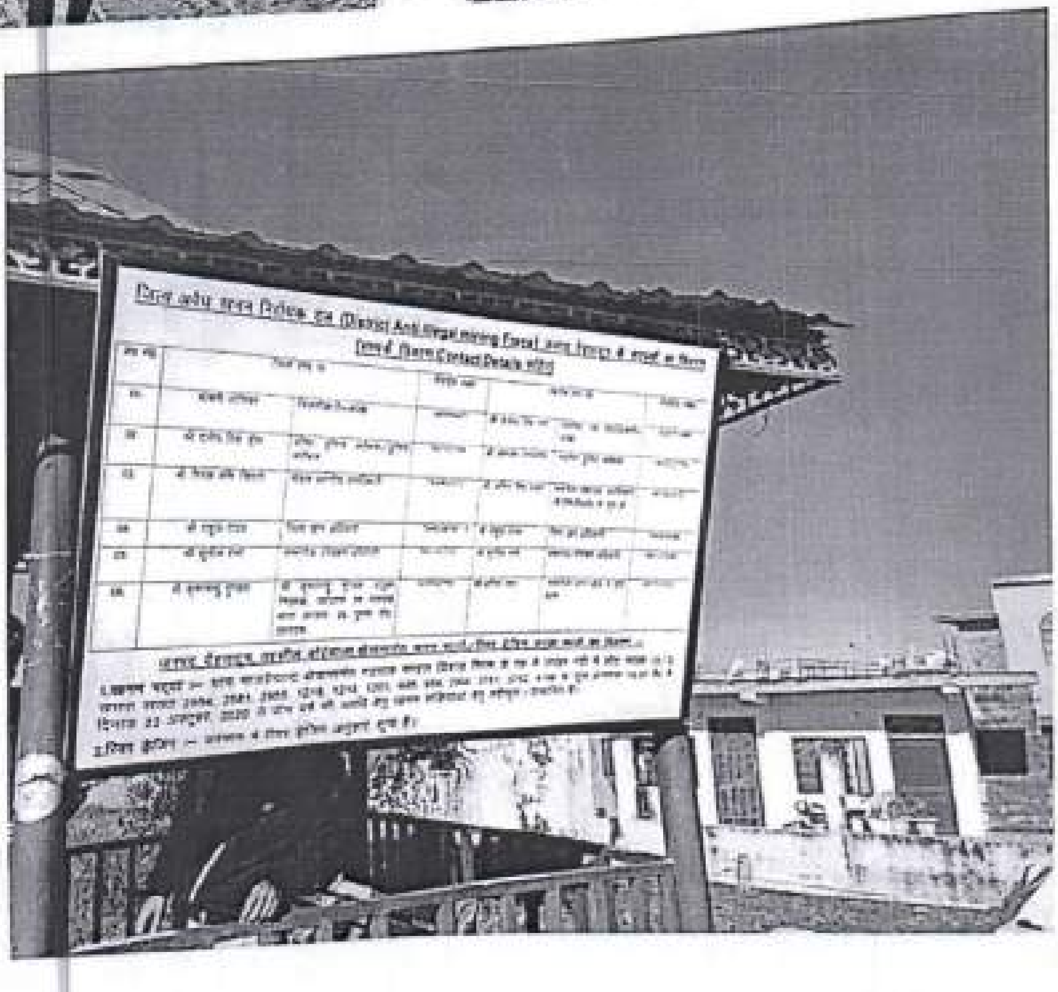

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,
जनपद बागेश्वर।

संख्या 213 /भू0खनि0वि0 / खनन / जन0बागे0 / 2023-24. दिनांकः 13-7-2023

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः- अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन समय तक की गयी कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 1573 / उ0ख0 / भू0खनि0नि0 / 2023-24, दिनांक 11 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि सचिव महोदय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित जनहित याचिका संख्या 17 / 2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुपालन में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक कितनी बैठकें आहूत की गयी है तथा कितने स्थलों पर साईन बोर्ड लगाये गये हैं, की जनपदवार सूचना मय फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर अन्तर्गत गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक यद्यपि पृथक से कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी है तथापि समय-समय पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों व अन्य बैठको में जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिये गये निदेशों के क्रम में वर्तमान तक की गयी कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या 204 / भू0खनि0वि0 / खनन / जन0बागे0 / 2023-24 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा महोदय को प्रेषित की गयी है। रिवर ड्रेजिंग हेतु स्वीकृत कुल 09 स्थलों पर तत्समय लगाये गये साईन बोर्ड की सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उपनिदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी

संख्या /भू0खनि0वि0 / खनन / जन0बागे0 / 2023-24, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उपनिदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी

जनपद बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2023–24 मे स्वीकृत रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा का विवरणः–

क्र0 सं0	रिवर ड्रेजिंग हेतु स्वीकृत क्षेत्र का विवरण	तहसील	नदी का नाम	क्षेत्रफल है0 मे	अवधि	अनुज्ञा स्थल/यूनिकलों पर जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti-Illegal Mining Force) के सभी सदस्यों के सम्पर्क विवरण (Contact Details) सहित स्थापित किया गया है।	अभियुक्ति
01	ग्राम तैलीहाट	गरूड	गोमती नदी	0.528	09.05.2023 से 30.06.2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–
02	ग्राम अकुणाई	गरूड	गोमती नदी	0.350	01.05.2023 से 30.06.2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	रू0 2.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित
03	ग्राम ककड़धार	गरूड़	गोमती नदी	0.420	01.05.2023 से 30.06.2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	रू0 2.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित
04	ग्राम सिटोली	गरूड	गोमती नदी	0.259	01.05.2023 से 30.06.2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	रू0 2.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित
05	ग्राम कठायतबाड़ा	बागेश्वर	सरयू नदी	0.600	12.05.2023 से 30.06.2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–
06	ग्राम जनकुड़ी खटगेड़ा	कपकोट	सरयू नदी	0.450	18.05.2023 से 30.06.2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–
07	ग्राम स्थल पोलिंग	कपकोट	सरयू नदी	0.600	12.05.2023 से 30.06.2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–
08	ग्राम रमाड़ी I	कपकोट	सरयू नदी	0.280	12.05.2023 से 30.06.2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–
09	ग्राम रमाड़ी II	कपकोट	सरयू नदी	0.200	12.05.2023 से 30.06.2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–

ग्राम – रमाड़ी प्रथम

ग्राम – रमाड़ी द्वितीय

ग्राम – कठायतबाड़ा

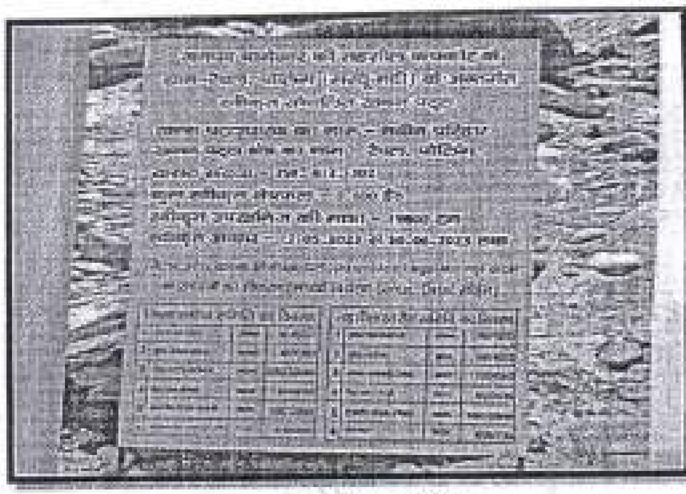

ग्राम – रैथल पोलिंग

ग्राम – अकुणाई

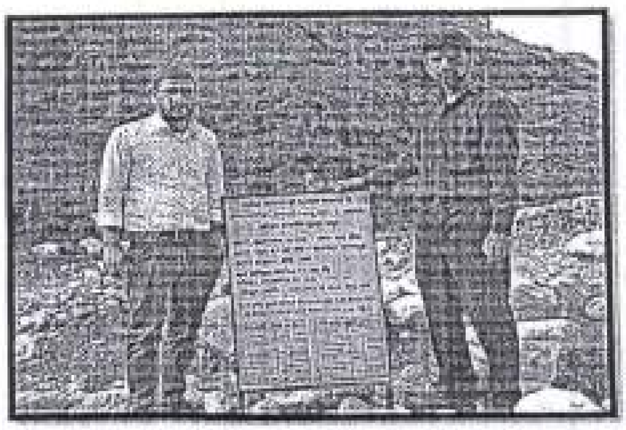

ग्राम – जनकुडी खटगेड़ा

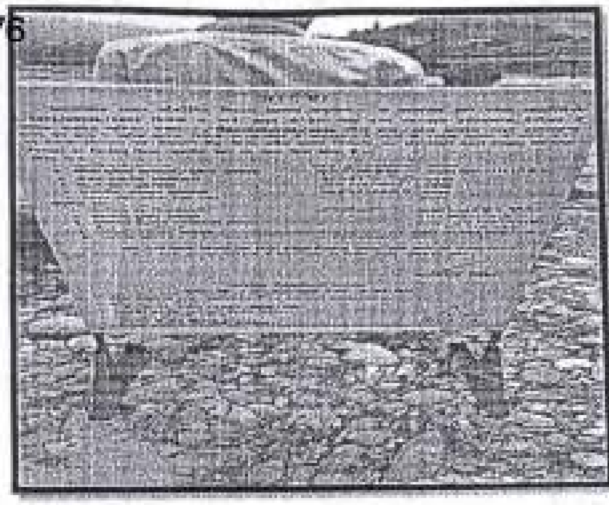

ग्राम – ककड़धार

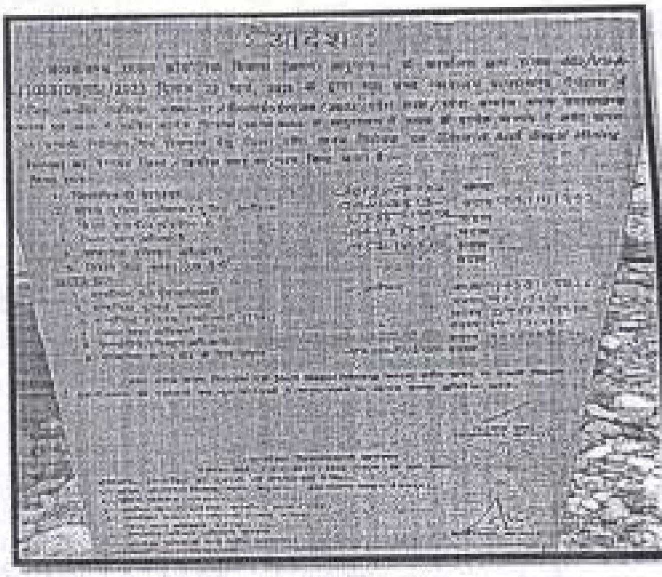

ग्राम – सिटोली

ग्राम – तैलीहाट

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
चमोली।

सेवा मे,

संयुक्त निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
भोपालपानी, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक : 286 /भू0खनि0वि0च0/अ0ख0परि0भण्डा0/2023–24 दिनांक 13 जुलाई 2023

विषय : **अवैध खनन पर प्रभावी नियत्रंण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन समय तक की कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के पत्र संख्या 1573/उ0ख0/भू0खनि0नि0/2023–24 दिनांक 11 जुलाई 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव महोदय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन मे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रतण व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक कितनी बैठकें आहूत की गयी तथा कितने स्थलों पर साईन बोर्ड लगाये गये है, की जनपदवार सूचना मय फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे जनपद चमोली से सम्बन्धित सूचना पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

Nazia Hasan

(नजिया हसन)
खान अधिकारी,
चमोली।

पृष्ठांक : /भू0खनि0वि0च0/अ0ख0परि0भण्डा0/2023–24, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

खान अधिकारी,
चमोली।

LEASES OF PRIVATE LAND

1- M/S Vishnugadh Peepalkoti Jal- Vidhyut Pariyojna, THDC, India

Village: - Gadi (Virhi), Chamoli

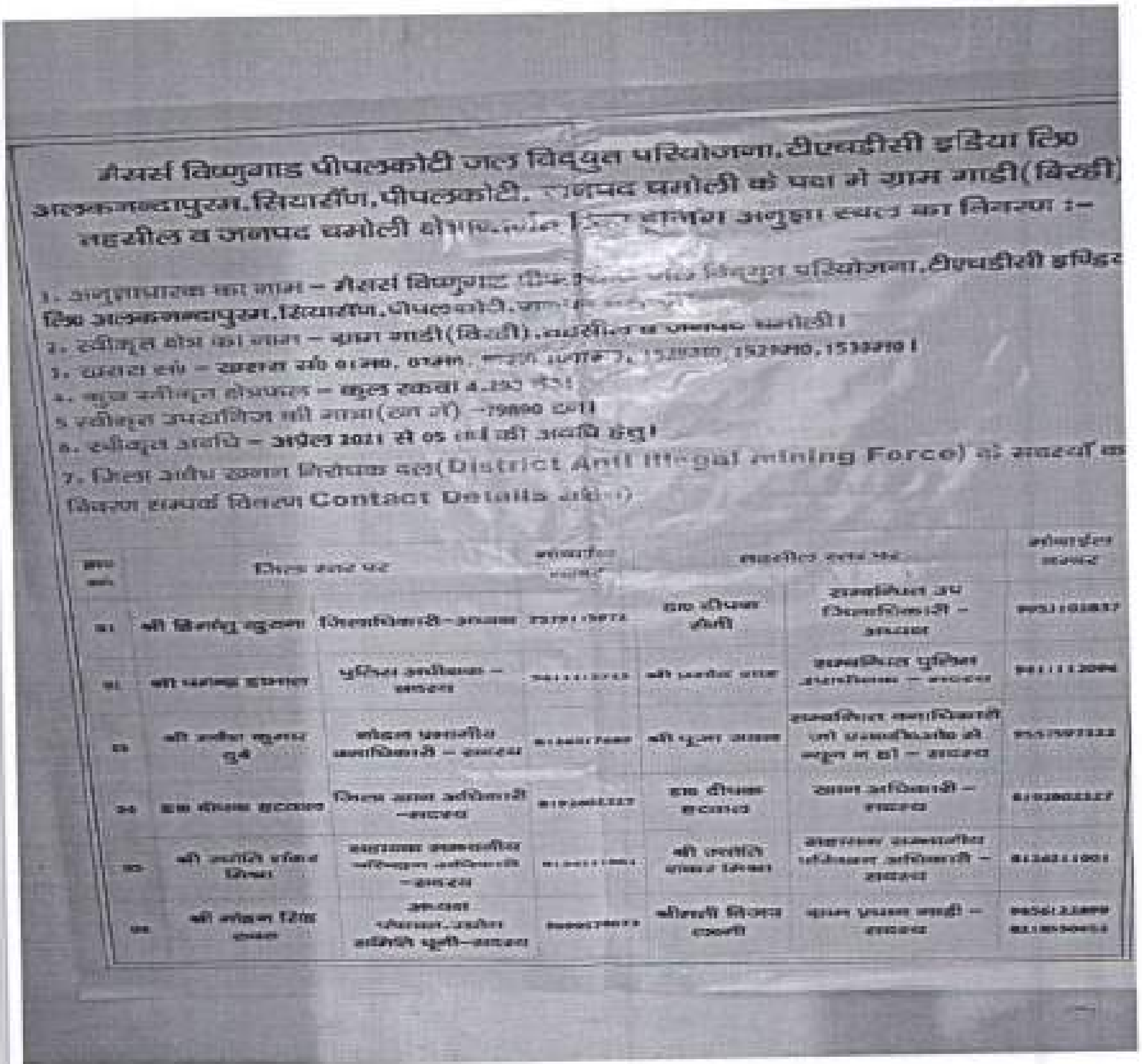

RIVER DREDGING- 2023
DISTRICT- CHAMOLI

1. Shri Dalbeer Rodhiyal

   Village:-Sarkot, Tharali, Chamoli

2. Shri Mahendra Singh S/O Shri Darban Singh

Village: - Gadi (4), Chamoli

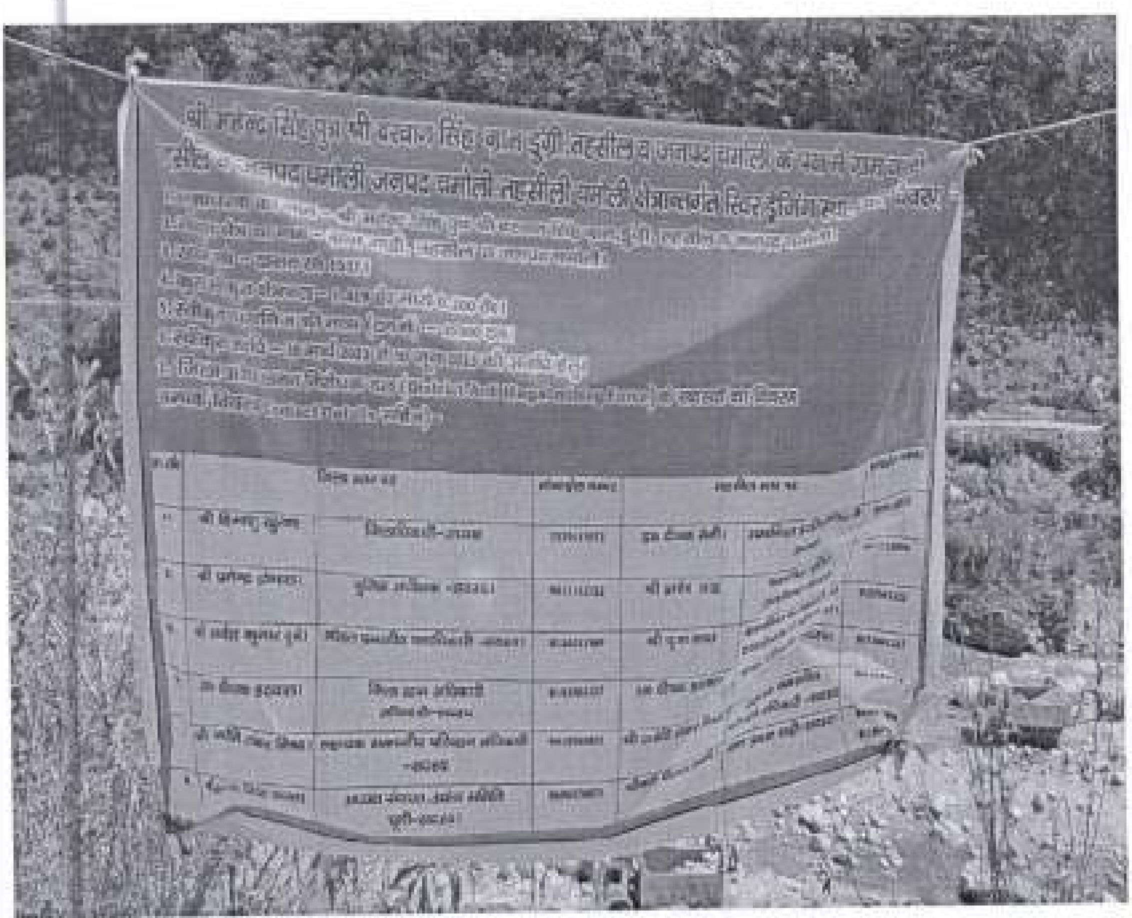

3. Shri. Raghuveer Singh Negi S/O Shri Nandan Singh Negi

Village:-Jaykandi-1, Karnaprayag, Chamoli

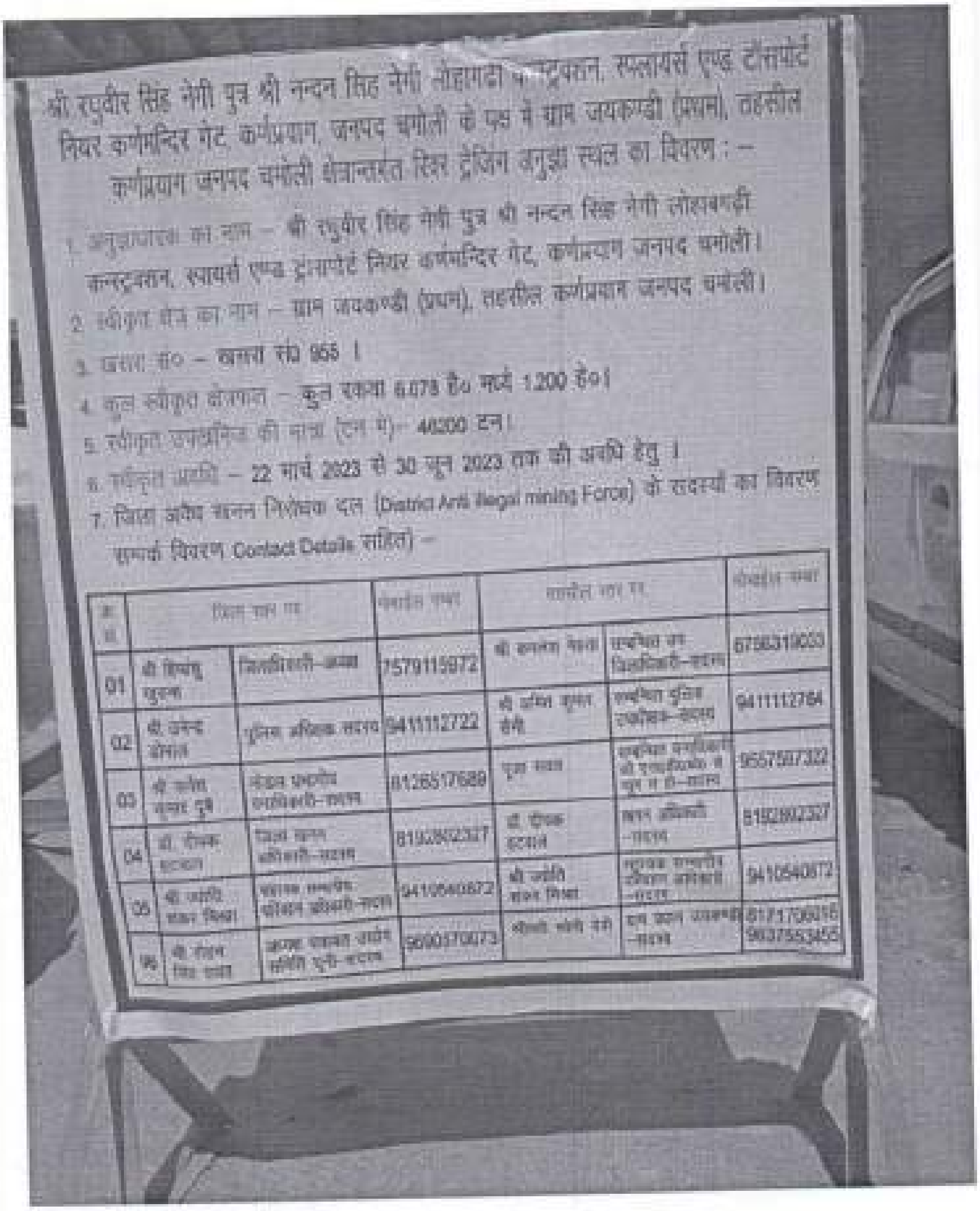

4. Shri Mahendra Singh S/O Shri Kundan Singh

Village: - Gadi (2), Chamoli

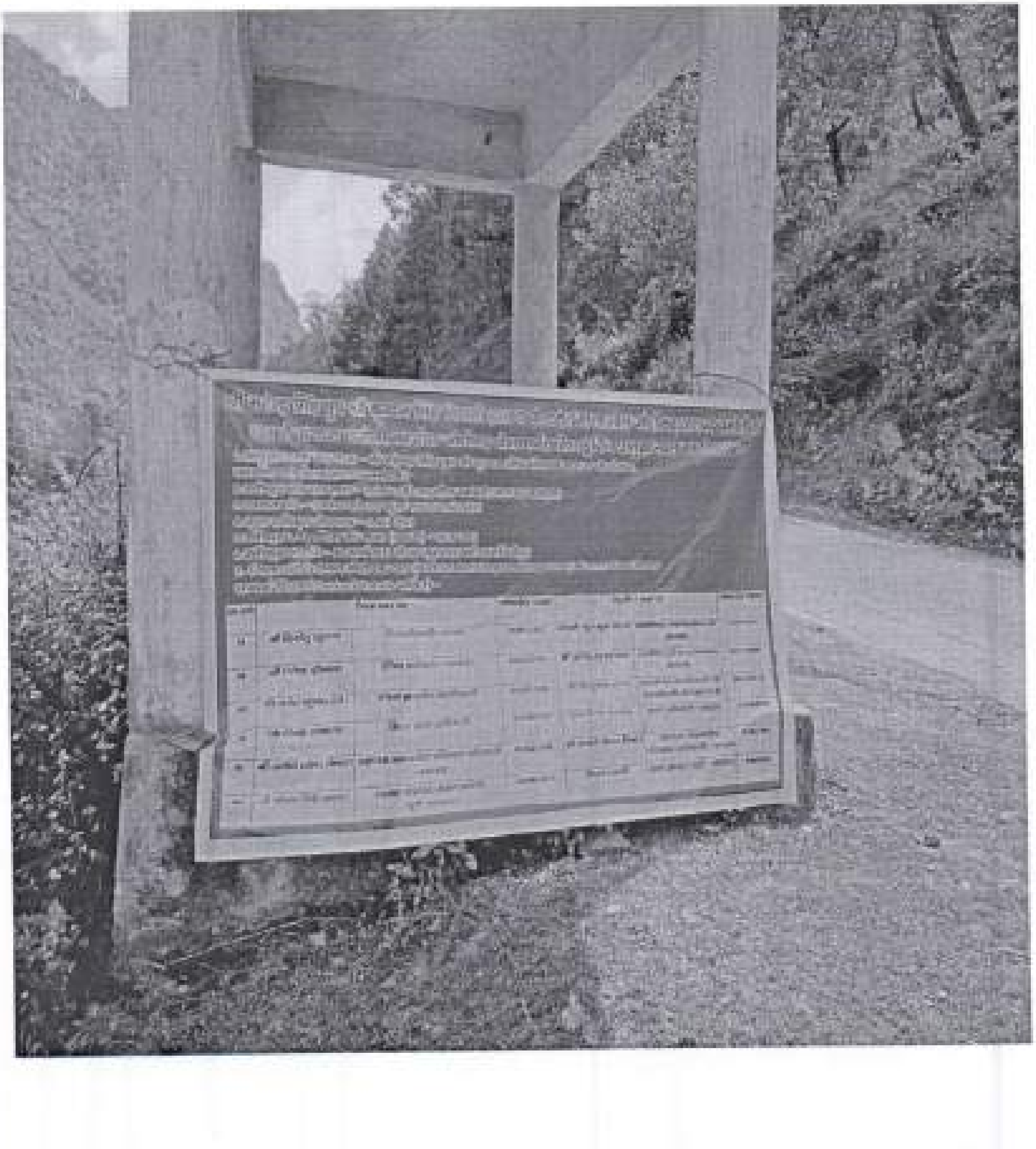

5. Shri Mahendra Singh S/O Shri Kundan Singh

Village: - Helang, Joshimath, Chamoli

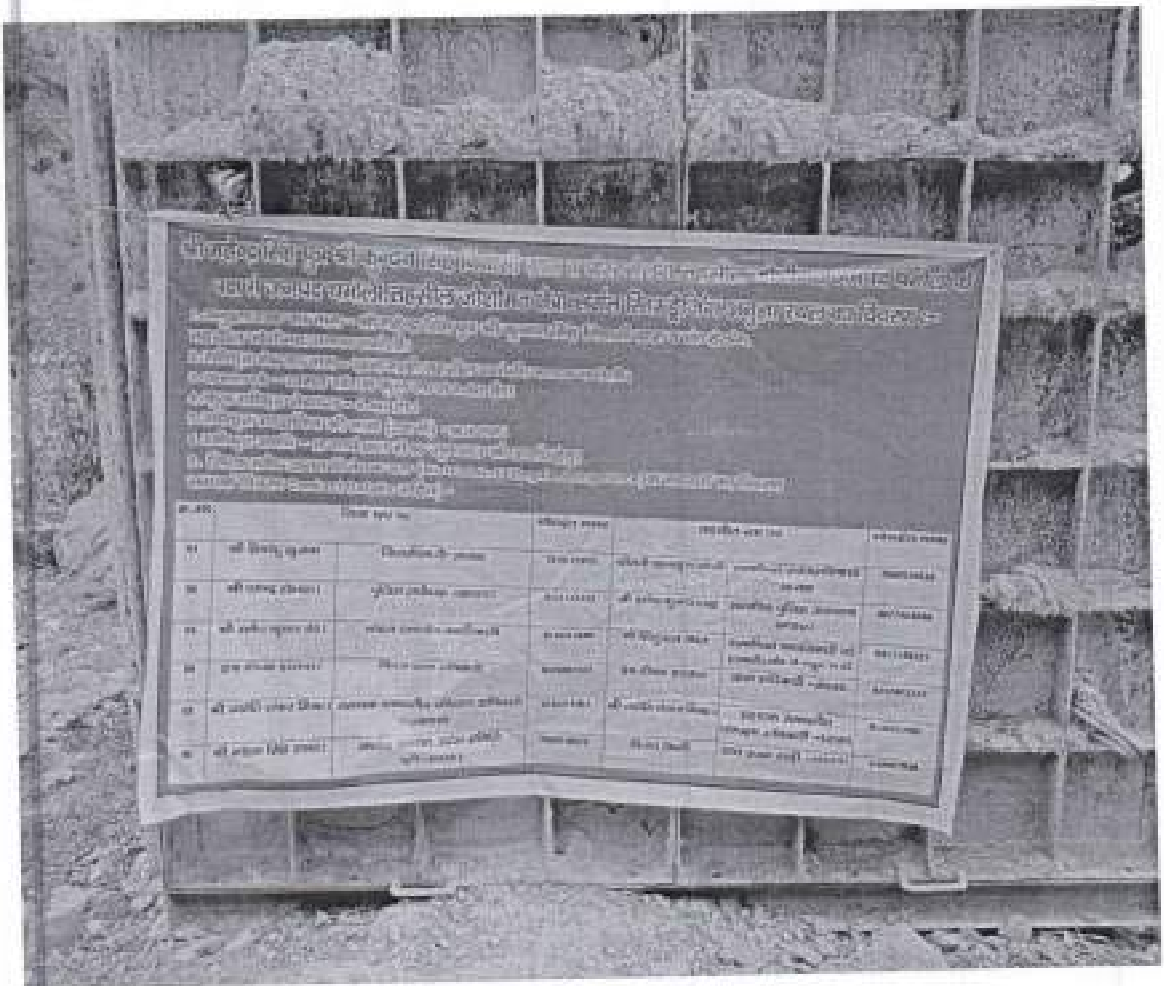

6. Shri Raghuveer Singh Negi

S/O Shri Nandan Singh Negi

Village:-Jaykandi-1, Karnaprayag, Chamoli

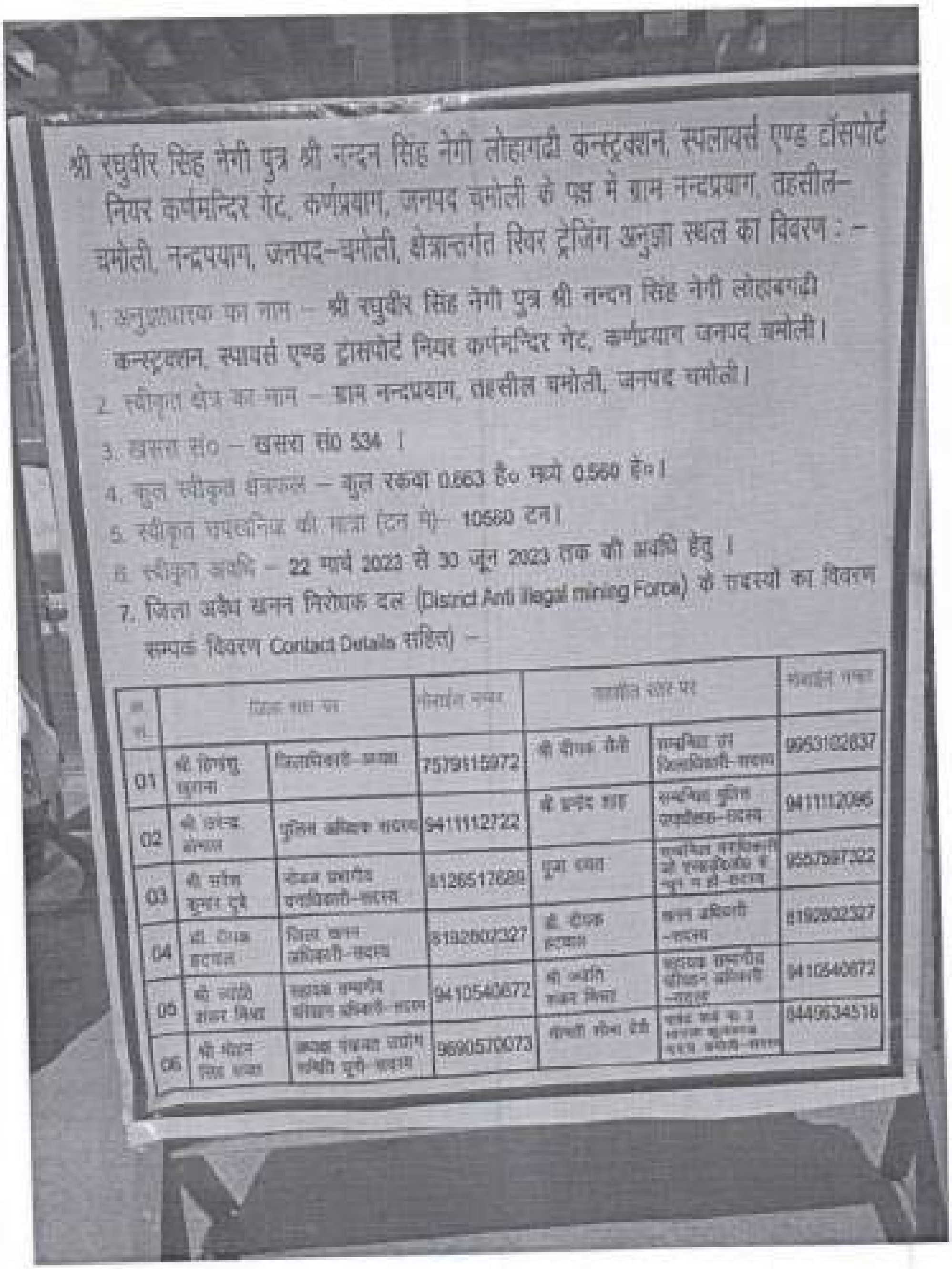

7. Shri Suryaprakash Kunwar

Village: - Kshetrapal-2, Chamoli

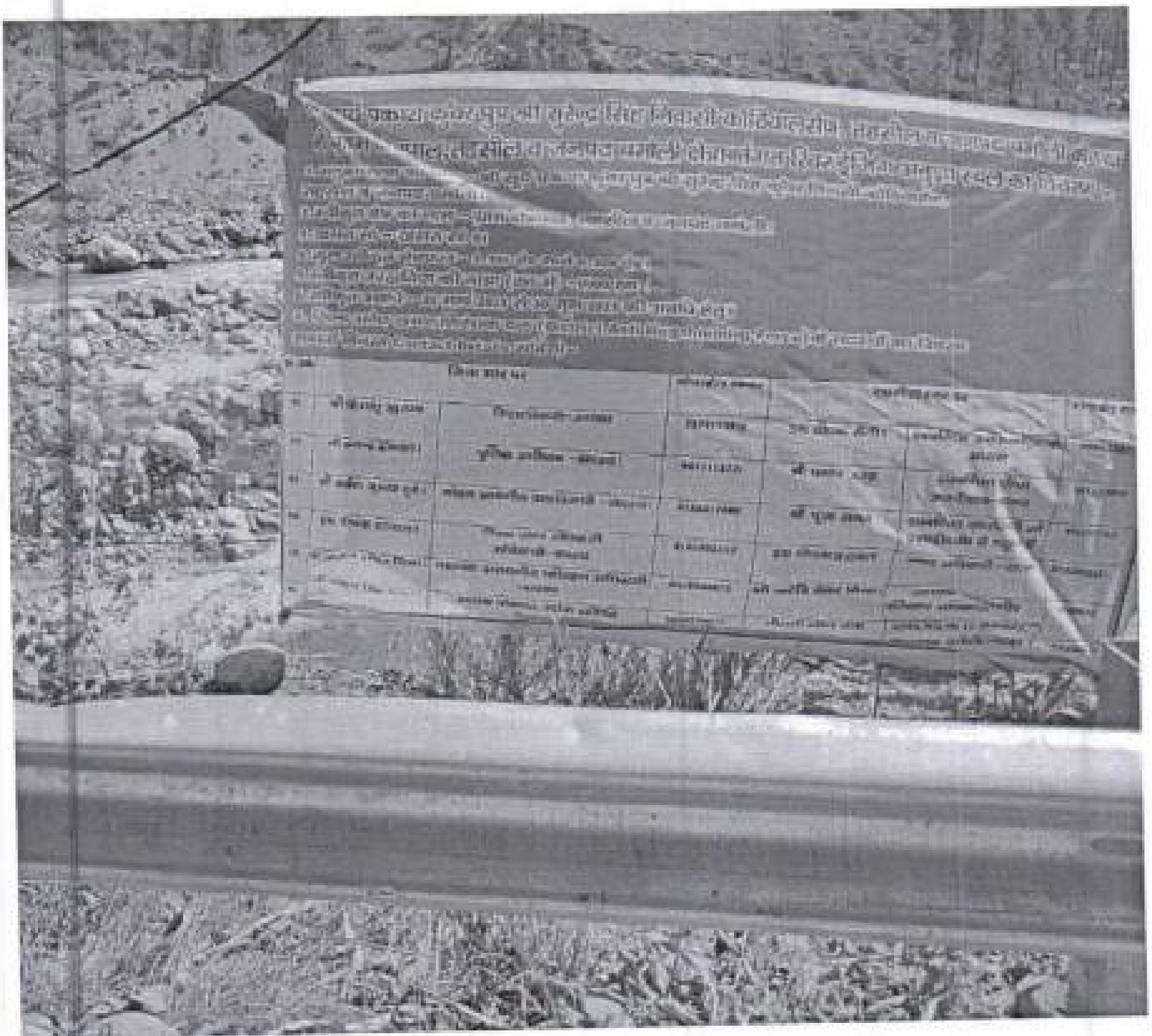

ई-मेल द्वारा

प्रेषक,

सहायक भू-वैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या-260/खनन/पौ0ग0/विविध/2023-24 दिनांक 13 जुलाई, 2023

विषयः- अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन समय तक की कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्याः-1573/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ 2023-24 दिनांक 11 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं0-17/2023 रमेशलाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा की गयी बैठकों एवं कितने स्थलों पर साइन बोर्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सन्दर्भ में कतिपय चुगान लॉटों के साइन बोर्ड के यथास्थल फोटोग्राफ इस पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। जिला कार्यालय के पत्र सं0-70/खनन/पौ0ग0/विविध/2023-24, दिनांक 13.07.2023 द्वारा जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) की बैठक आज दिनांक 13.07.2023 को आहूत की गयी है।

तद्‌नुसार सूचना महोदय को तैयार कर ई-मेल के माध्यम से (dir.ukdgm@gmail.com) सादर अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय
13.7.2023
(रवि सिंह नेगी)
जिला खान अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

संख्या:- /खनन/पौ0ग0/विविध/2023-24, तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, महोदय पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ।

जिला खान अधिकारी।

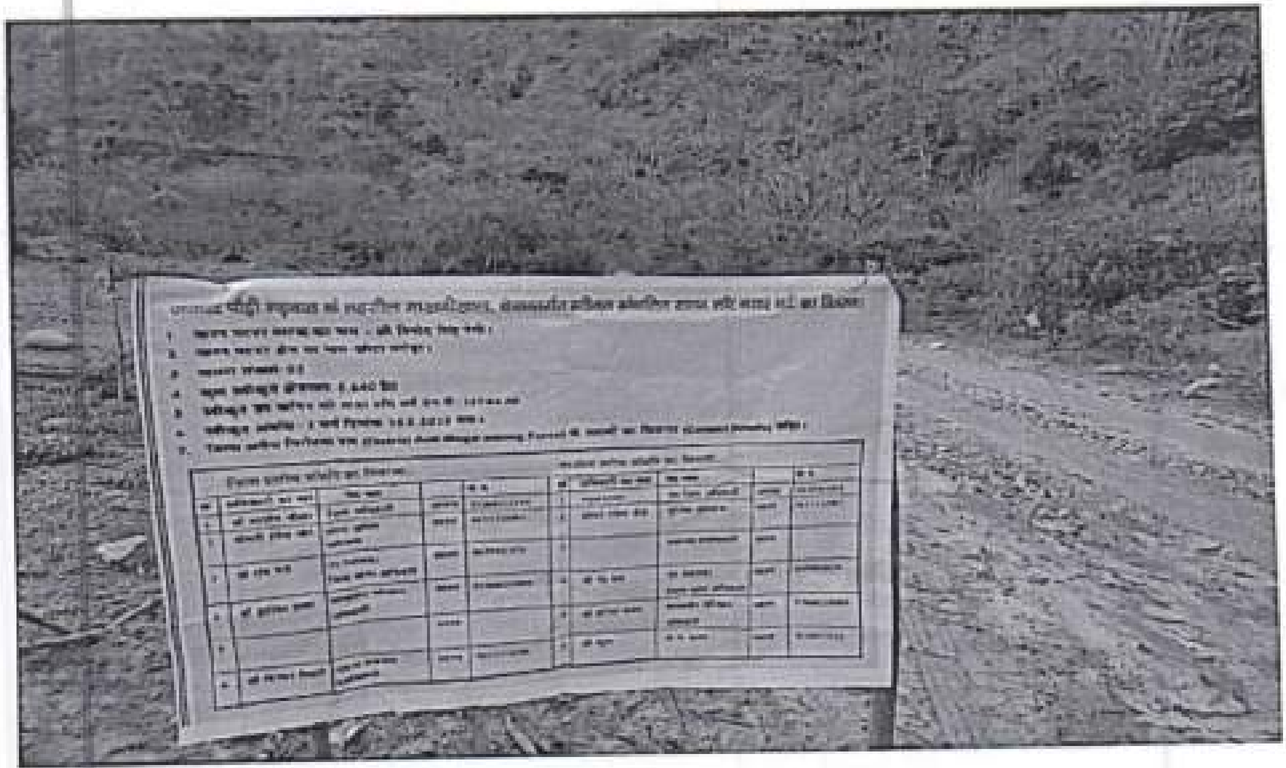

Shri Vinod Singh Negi (Chota Maroda)

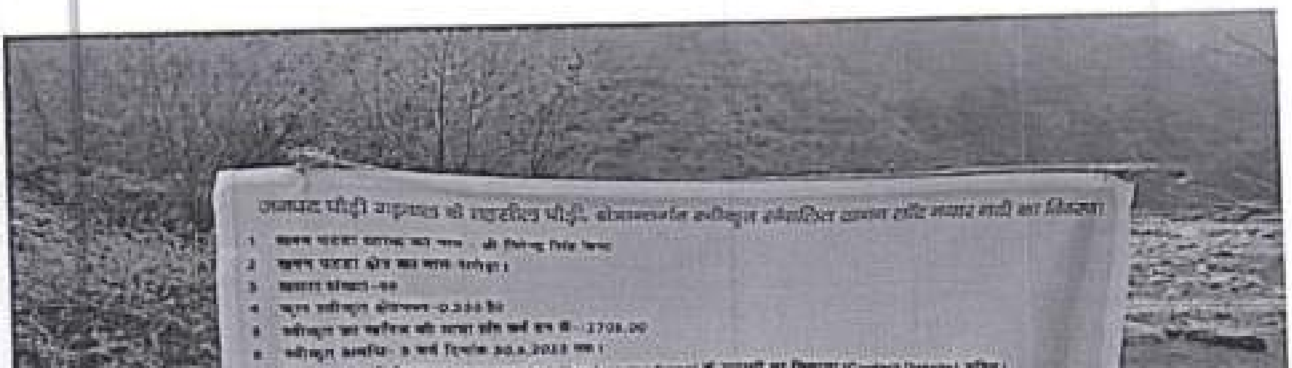

Shri Birendra Singh Bisht (Saroda)

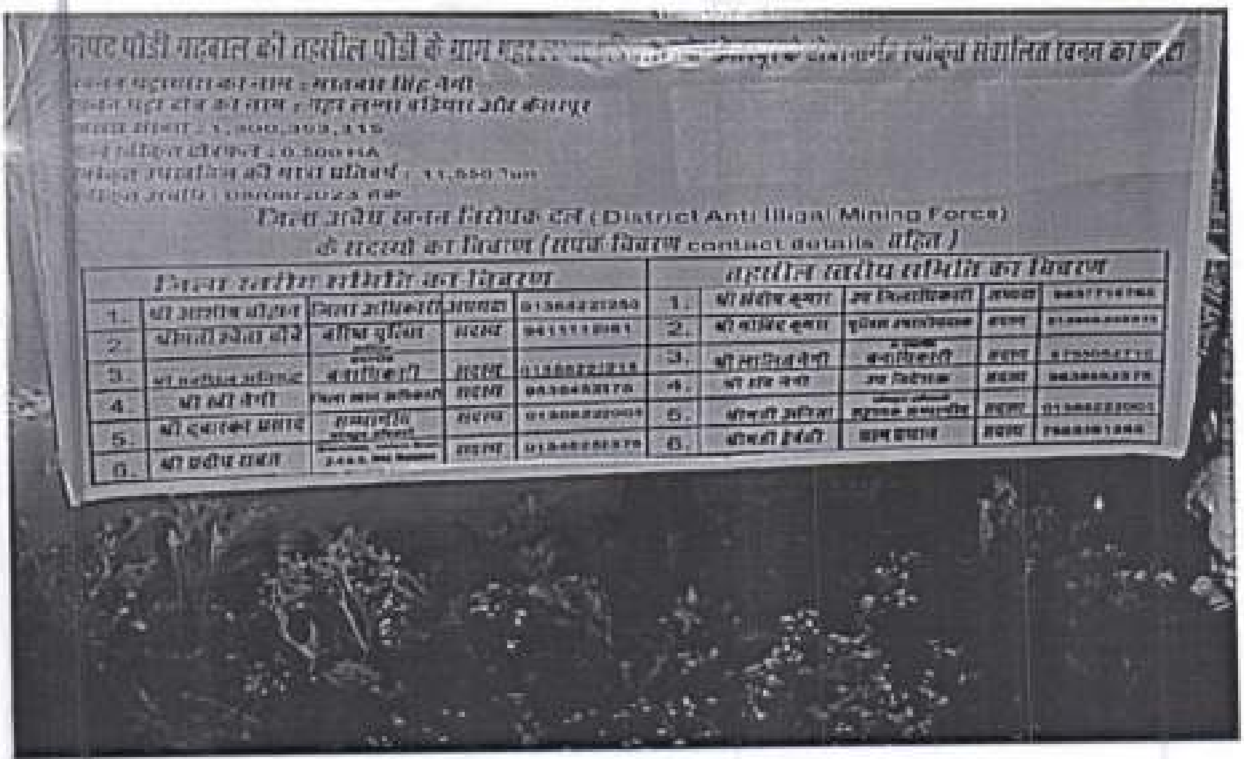

Shri Matabar Singh Negi (Kesharpur)

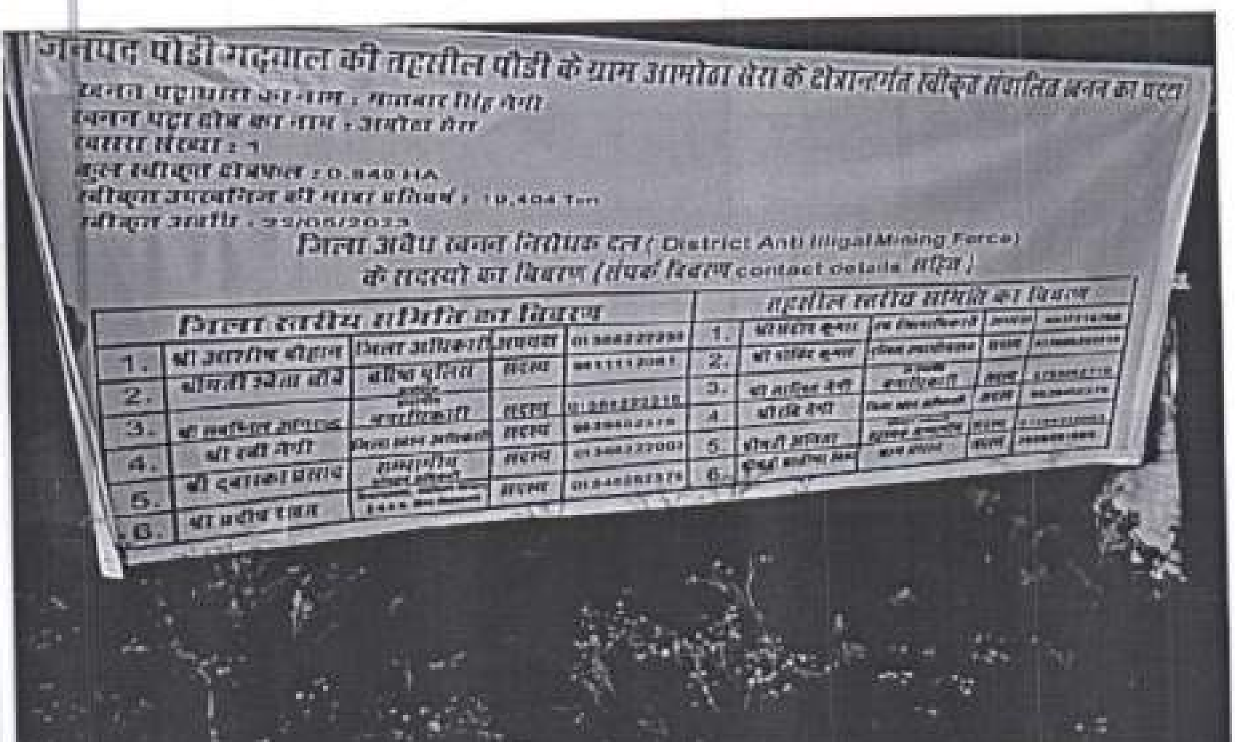

Shri Matabar Singh Negi (Amotha Sera)

Shri Bharat Bhushan (Maroda)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील पौड़ी, क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत संचालित खनन लाट नम्बर का विवरण।

1. खनन पट्टा धारक का नाम – [illegible]
2. खनन पट्टा क्षेत्र का नाम – ग्राम [illegible]
3. खसरा संख्या – [illegible]
4. कुल स्वीकृत क्षेत्रफल – [illegible] है
5. स्वीकृत उप खनिज की मात्रा प्रति वर्ष टन में – 1,12,303
6. स्वीकृत अवधि – 30.06.2023
7. जिला अवैध खनिज दल (District Anti Illegal Mining Force) के सदस्यों का विवरण (Contact Detail) सहित

जिला स्तरीय समिति का विवरण :-					तहसील स्तरीय समिति का विवरण :-				
क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद नाम		मो.न.	क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद नाम		मो.न.
1	श्री आशीष चौहान	जिला अधिकारी	जनपद	[illegible]	1	श्री आकाश जोशी	उप जिला अधिकारी	[illegible]	[illegible]
2	श्रीमती श्वेता चौबे	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	जनपद	[illegible]	2	श्रीमती श्वेता चौबे	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	जनपद	[illegible]
3	श्री रवि सैनी	उप जिलाधिकारी / जिला खनन अधिकारी	जनपद	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	जनपद	[illegible]
4	श्री द्वारिका प्रसाद	[illegible] अधिकारी	जनपद	[illegible]	4	श्री रवि सैनी	उप जिलाधिकारी / जिला खनन अधिकारी	जनपद	[illegible]
5			जनपद		5	श्री द्वारिका प्रसाद	[illegible] अधिकारी	जनपद	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	जनपद	[illegible]	6	रणवीर सिंह	[illegible]	जनपद	[illegible]

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

1. अपर पुलिस अधीक्षक, पौड़ी।
2. सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक
3. उपप्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल एवं लैन्सडॉन वन प्रभाग।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, पौड़ी/श्रीनगर/सतपुली/कोटद्वार/लक्ष्मणझुला।
5. जिला खान अधिकारी, पौड़ी।
6. संभागीय एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी।
7. विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विभाग, हे0न0ब0ग0वि0विद्यालय, श्रीनगर।

संख्या– 70 /खनन/पौ0ग0/विविध/2023–24 दिनांक 13 जुलाई, 2023

विषयः– अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) की बैठक वी0सी0 के माध्यम से आहूत कराये जाने बावत।

महोदय,

आज दिनांक 13.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं0–17/2023 रमेशलाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं0–469, दिनांक 22.03.2023 द्वारा जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन कार्यालय आदेश सं0–320, दिनांक 27.03.2023 द्वारा किया गया है।

जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) की बैठक वी0सी0 आज दिनांक 13.07.2023 सांय 5:00 बजे आहूत की जा रही है। आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि, अपने–अपने कार्यालयों से यथास्थल एवं निर्धारित समय पर समस्त सूचनाओं सहित वी0सी0 के माध्यम से आहूत बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

संख्याः– /खनन/पौ0ग0/विवध/2023–24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, महोदय पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ।

अपर जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय,भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
न्यू टकाना कालोनी, निकट शिवमन्दिर पिथौरागढ़।

पत्रॉक: 345 / भू0खनि0वि0पिथौ0 / अवै0ख0सूचना / 2023–24 दिनॉक 13 जुलाई,202

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय– **अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegle Mining Force) द्वारा अद्यतन समय तक की कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया निदेशालय के पत्र संख्या–1573 / उ0ख0 / भू0खनि0नि0 / 2023–24 दिनॉक 11 जून,2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17 / 2023 रमेशलाल / रमेश कम्बोज बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 16.03.2023 के अनुपालन में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegle Mining Force) द्वारा की गयी बैठकों एवं कितने स्थलों पर साइन बोर्ड लगाये जाने विषयक सूचना प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के अनुपालन में जनपद पिथौरागढ़ से सम्बन्धित सूचना संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भुवन चन्द्र पन्त)
अधिकारी सर्वेक्षक।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार–
प्रतिलिपि, जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(भुवन चन्द्र पन्त)
अधिकारी सर्वेक्षक।

132

[illegible] तहसील गणाई गंगोली [illegible] का विवरण-

1. [illegible]
2. [illegible] 9412096208
3. [illegible] तहसील-गणाई गंगोली, जनपद- पिथौरागढ़
4. [illegible] 1078, 1342 रकबा- 0.32 है0
5. [illegible] 23.09.2022 से 22.09.2027 (05 वर्ष)
6. [illegible] 27123 टन वार्षिक
7. [illegible] (District and Illegal Mining Force)

[illegible]

क्र.सं.	जिला स्तर		मोबाइल नं०	तहसील स्तर		मोबाइल नं०
1	श्रीमती [illegible] जोशी	जिलाधिकारी पिथौरागढ़	9410362121	श्री [illegible] सिंह [illegible]	उपजिलाधिकारी [illegible]	9837517556
2	श्री [illegible] सिंह	पुलिस अधीक्षक	9411112082	श्री [illegible] चन्द जोशी	पुलिस क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़	9411111055
3	श्री [illegible]	[illegible]	9680351025		[illegible]	9411389978
4	श्री [illegible] चन्द	सहायक [illegible] अधिकारी	9456142845	श्री [illegible] चन्द	सहायक [illegible] अधिकारी	9456142845
5	श्री [illegible]	[illegible] अधिकारी	9634110388	श्री [illegible]	[illegible] अधिकारी	9634110388
6	श्री [illegible]	[illegible]	9411117263	श्रीमती [illegible]	[illegible]	8191036846

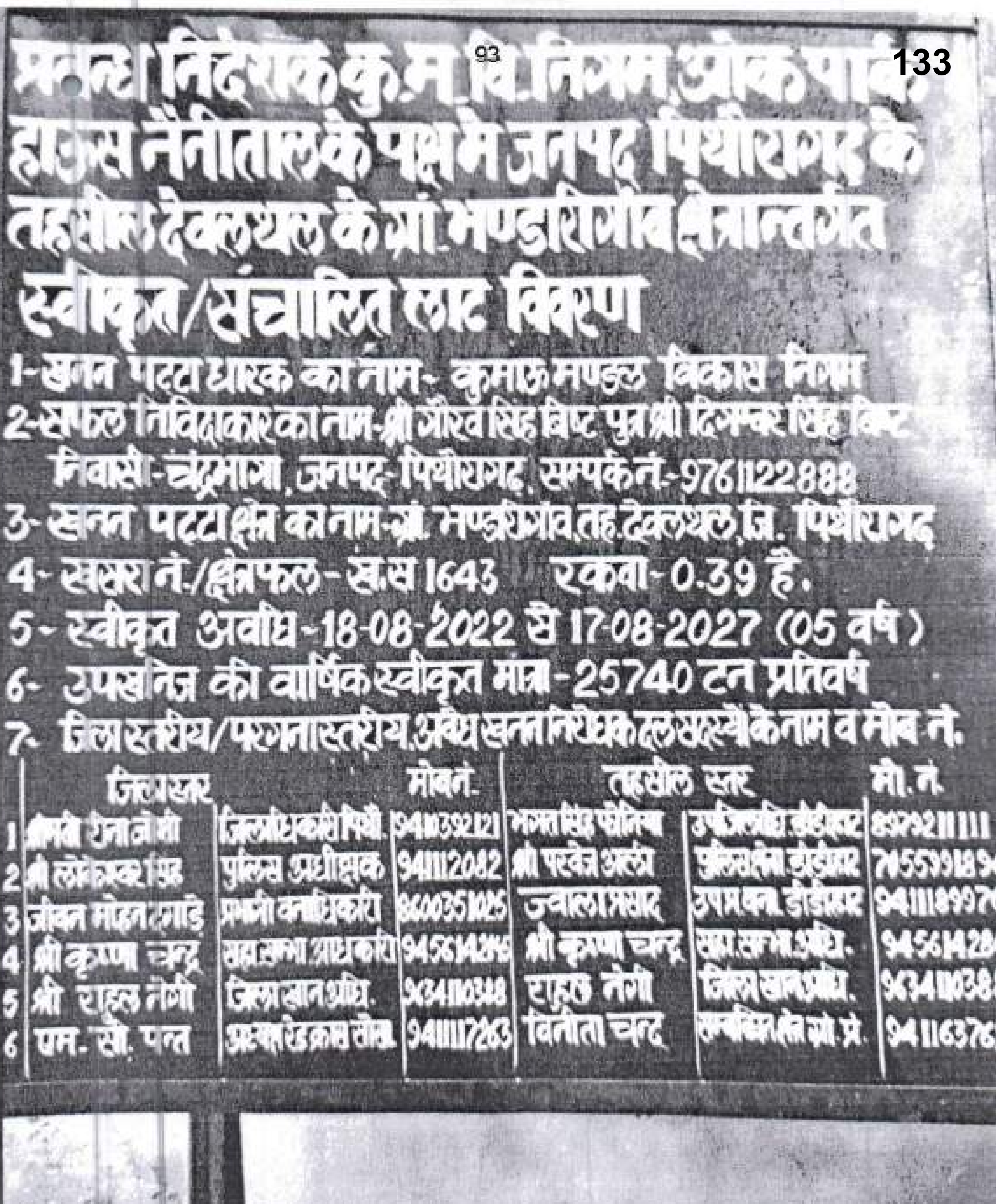
स्वीकृत/संचालित लाट विवरण
1-खनन पट्टा धारक का नाम- कुमाऊ मण्डल विकास निगम
निवासी-चंद्रभागा, जनपद- पिथौरागढ़, सम्पर्क नं.-9761122888
4- खसरा नं./क्षेत्रफल- ख.स 1643 रकबा-0.39 है.
5- स्वीकृत अवधि-18-08-2022 से 17-08-2027 (05 वर्ष)
6- उपखनिज की वार्षिक स्वीकृत मात्रा-25740 टन प्रतिवर्ष
मो.नं.
1 9410392121
2 श्री परवेज आलम पुलिस अधीक्षक 9411112082
3 ज्वाला प्रसाद 8600351025
4 श्री कृष्ण चन्द्र श्री कृष्ण चन्द्र
5 श्री राहुल नेगी जिला खान अधि. राहुल नेगी जिला खान अधि.
6 एम.सी. पन्त 9411117263 विनीता चन्द

ट्टाधारक का नाम - यू०के०एस०एस०एस०एस०लि० जाखनी के
में जनपद पिथौरागढ के तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम-मजिरकाण्डा
क्षेत्रातंर्गतस्वीकृत/संचालित लाट का विवरण

1 खनन पट्टाधारक का नाम - यू०के०एस०एस०एस०एस०लि ० जाखनी

2-सफल निविदाकार का नाम व पता - यू०के०एस०एस०एस०एस०लि ० जाखनी (अध्यक्ष)
निवासी - मजिरकाण्डा जनपद-पिथौरागढ़ मो०न० - 9412436355

3-खनन पट्टा क्षेत्र का नाम - ग्राम-मजिरकाण्डा
तहसील-पिथौरागढ़, जनपद-पिथौरागढ़

4- खसरा नं0/क्षेत्रफल - 8305,8307, ख0स0 - 148 रकवा - 0.546 हैक्टेयर

5- स्वीकृत अवधि- 29-05-2018 से 28-05-2023 तक

6-उपखनिज की वार्षिक स्वीकृत मात्रा - 6300 टन प्रतिवर्ष

7. जिला स्तरीय / परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल के सदस्यों का नाम / मो.नं.

	जिला स्तर		मो० नंबर	जिला स्तर		मो० नंबर
1	श्रीमती रीना जोशी	जिलाधिकारी पिथौ०	9410392121	श्री अनुराग आर्या	उप जिलाधिकारी	941142331
2	श्री लोकेश्वर सिंह	पुलिस अधिक्षक	9411112082	श्री पी०सी० जोशी	पुलिस क्षेत्राधिकारी	941017125
3	जीवन मोहन दगाडे	प्रभागी वनाधिकारी	8600351025	श्री ज्वाला प्रसाद	उप प्रभागीय वनाधिकारी	941118997
4	श्री कृष्णा चन्द	सहा०सम्भा० अधि.	9456142845	श्री कृष्णा चंद	सहा० सम्भागीय अधिकारी	945814284
5	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधि०	5634110388	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधिकारी	963411038
6	एम. सी. पन्त	अध्यक्ष रेडक्रास सोसा.	9411117263	श्री किरन भट्ट	संबन्धित क्षेत्र ग्राम प्रधान	941034684

1.खनन पट्टाधारक का नाम–दीपा देवी

2.सफल निविदाकार का नाम–दीपा देवी

सम्पर्क नम्बर–9027072220

3. खनन पट्टा क्षेत्र का नाम– ग्राम– राड़ीखूटी, तहसील–पिथौरागढ़, जनपद– पिथौरागढ़।

4.खसरा नं./क्षेत्रफल/ ख.सं.–1343, रकबा–3.24 है.

5.स्वीकृत अवधि– 29.08.2018 से (5 वर्ष)

6.उपखनिज की वार्षिक स्वीकृत मात्रा– 41580.00

7.जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District anti illegal mining Force) के सदस्यो का नाम/ मोबाईल नं.सहित विवरण

क्र.सं.	जिला स्तर		मोबाईल नम्बर	तहसील स्तर		मोबाईल नम्बर
1.	श्रीमती रीना जोशी	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	9410392121	श्री अनुराग आर्या	उपजिलाधिकारी,	897921111[illegible]
2.	श्री लोकेश्वर सिंह	पुलिस उपधीक्षक	941112082	श्री परवेज अली	पुलिस क्षेत्राधिकारी	7055991[illegible]
3.	श्री जीवन मोहन दगाडे	प्रभागीय वनाधिकारी	8600351025	श्री ज्वाला	उप प्रभागीय वनाधिकारी	941118997[illegible]
4.	श्री कृष्णा चन्द्र	सहा० सम्भागीय अधिकारी	9456142845	श्री कृष्णा चन्द्र	सहा. सम्भागीय अधिकारी	9456142845
5.	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधिकारी	9634110388	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधिकारी	9634110388
6.	श्री एम.सी.पन्त	अध्यक्ष ट्रेडकास सोसाइटी	9411117263	श्रीमती ज्योति देवी	ग्राम प्रधान–राड़ीखूटी	9761729454

पट्टाधारक का नाम - अभिषेक रावत के पक्ष में जनपद पिथौरागढ के तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम-जमराड़ी, तोक-रन्तड़ा क्षेत्रातंर्गतस्वीकृत/संचालित लाट का विवरण

1 खनन पट्टाधारक का नाम - अभिषेक रावत

2-सफल निविदाकार का नाम-अभिषेक रावत

3- खनन पट्टा क्षेत्र का नाम-ग्राम-जमराड़ी, तोक रन्तड़ा तहसील-पिथौरागढ़, जनपद-पिथौरागढ़

4- खसरा नं0/क्षेत्रफल - ख0स0 - 8114, 8115, 8228, 8212, 8229 रकबा - 0.482 हेक्टेयर

5- स्वीकृत अवधि- 10-07-2018 से 09-07-2023

6-उपखनिज की वार्षिक स्वीकृत मात्रा -9009 टन प्रतिवर्ष

7. जिला स्तरीय / परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल के सदस्यों का नाम / मो.नं.

	जिला स्तर		मो० नंबर	तहसील स्तर		मो० नंबर
1	श्रीमती रीना जोशी	जिलाधिकारी पिथौ०	9410392121	श्री अनुराग आर्या	उप जिलाधिकारी	9411423317
2	श्री लोकेश्वर सिंह	पुलिस अधीक्षक	9411112082	श्री नरेन्द्र पंत	पुलिस क्षेत्राधिकारी	9411111955
3	जीवन मोहन दगाड़े	प्रभागीय वनाधिकारी	8600351025	श्री ज्वाला प्रसाद	उप प्रभागीय वनाधिकारी	9411189970
4	श्री कृष्णा चन्द	सहा०सम्भा० अधि.	9456142845	श्री कृष्णा चंद	सहा० सम्भागीय अधिकारी	9458142845
5	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधि०	9634110388	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधिकारी	9634110388
6	एम. सी. पन्त	अध्यक्ष [illegible]	9411117263	श्रीमती कविता पवार	संबन्धित क्षेत्र ग्राम प्रधान	8938873818

पट्टाधारक का नाम - बिजेन्द्र सिंह के पक्ष में जनपद पिथौरागढ़ के तहसील / पिथौरागढ़
ग्राम प्रधान - श्रीमती किरन भट्ट के अन्तर्गत स्वीकृत / संचालित प्लांट का विवरण ।

1. खनन पट्टाधारक का नाम - बिजेन्द्र सिंह
2. सफल निविदाकार का नाम - सम्पर्क नं.
3. खनन पट्टा क्षेत्र का नाम - मजिरकाण्डा ग्राम मजिरकाण्डा तहसील - पिथौरागढ़ जनपद पिथौरागढ़
4. खसरा नं. / क्षेत्रफल - ख.रा. -10108 म00-076 रकबा-0.488 है.
5. स्वीकृत अवधि - 28.05.2023
6. उपखनिज की वार्षिक स्वीकृत मात्रा - 7425 टन प्रतिवर्ष
7. जिला स्तरीय / परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल के सदस्यों का नाम / मोबाइल नं. सहित विवरण

क.स.	जिला स्तर		मोबाइल नं.	तहसील स्तर		मोबाइल नं.
1.	श्रीमती रीना जोशी	जिलाधिकारी पिथौरागढ़	9410392121	श्री अनुराग आर्या	उपजिलाधिकारी	8979211111
2.	श्री लोकेश्वर सिंह	पुलिस अधीक्षक	9411112082	श्री परवेज अली	पुलिस क्षेत्र अ.	7055991896
3.	श्री जीवन मोहन दगाडे	प्रभागीय वनाधिकारी	8800359025	श्री ज्वाला प्रसाद	उप प्रभागीय वनाधिकारी	9411159970
4.	श्री कृष्णा चन्द	सहा. सम्भागीय अधिकारी	9456142845	श्री कृष्णा चन्द	सहा. सम्भागीय अधिकारी	9456142845
5.	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधिकारी	9634110388	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधिकारी	9634110388
6.	श्री. एम. सी. पन्त	अध्यक्ष ट्रेडर्स सोसाइटी	9411117263	श्रीमती किरन भट्ट	सम्बन्धित क्षेत्र ग्राम प्रधान	9410346846

पट्टाधारक का नाम - पवन कुमार माहरा के पक्ष में जनपद
पिथौरागढ के तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम-जमराड़ी,
तोक-फन्तड़ा क्षेत्रातंर्गतस्वीकृत/संचालित लाट का विवर

1 खनन पट्टाधारक का नाम - पवन कुमार माहरा

2-सफल निविदाकार का नाम व पता - पवन कुमार माहरा पुत्र श्री हुकुम सिंह माहरा
निवासी - सिनेमा लाइन जनपद-पिथौरागढ़ मो०नं० - 9997241718

3-खनन पट्टा क्षेत्र का नाम-ग्राम-जमराड़ी, तोक फन्तड़ा
तहसील-पिथौरागढ़, जनपद-पिथौरागढ

4-खसरा नं0/क्षेत्रफल - ख0स0 - 7887 रकबा - 0.255 हेक्टेयर

5-स्वीकृत अवधि- 29-05-2018 से 28-05-2023 तक

6-उखनिज की वार्षिक स्वीकृत मात्रा - 2500 टन प्रतिवर्ष

7. जिला स्तरीय / परगना स्तरीय अवैध जनन निरोधक दल के सदस्यों का नाम / मो.नं.

	जिला स्तर		मो० नंबर	तहसील स्तर		मो० नंब
1	श्रीमती रीना जोशी	जिलाधिकारी पिथौ०	9410392121	श्री अनुराग आर्या	उप जिलाधिकारी	9411423
2	श्री लोकेश्वर सिंह	पुलिस अधीक्षक	9411112082	श्री सुरेश कम्बोज	पुलिस क्षेत्राधिकारी	7055997
3	श्री [illegible] मोहन दगाडे	प्रभागी वनाधिकारी	8600351025	श्री ज्वाला प्रसाद	उप प्रभागीय वनाधिकारी	9411189
4	श्री कृष्णा चन्द	सहा०सम्भा० अधि.	9456142845	श्री कृष्णा पंत	सहा० सम्भागीय अधिकारी	9458142
5	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधि०	5634110388	श्री राहुल नेगी	जिला खान अधिकारी	963411
6	एन. सी. पन्त	[illegible]	9411117263	श्री ललित [illegible]	प्रभावित क्षेत्र ग्राम प्रधान	8938873

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
भोपालपानी, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक : 285/भू0खनि0वि0च0/अ0ख0परि0भण्डा0/2023-24 दिनांक 13 जुलाई 2023

विषय : **अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन समय तक की कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के पत्र संख्या 1573/उ0ख0/भू0खनि0नि0/2023-24 दिनांक 11 जुलाई 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव महोदय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन मे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक कितनी बैठकें आहूत की गयी तथा कितने स्थलों पर साईन बोर्ड लगाये गये है, की जनपदवार सूचना मय फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे जनपद रूद्रप्रयाग अन्तर्गत गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) की बैठक दिनांक 11.04.2023 को जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता मे सम्पन्न की गयी (बैठक कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न)। जनपद अन्तर्गत खनन/चुगान स्थलों पर लगाये गये साईन बोर्ड से सम्बन्धित सूचना फोटोग्राफ सहित पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप निदेशक/भूवैज्ञानिक
रूद्रप्रयाग/चमोली।

पृष्ठांक : /भू0खनि0वि0रू0/अ0ख0परि0भण्डा0/2023-24, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

उप निदेशक/भूवैज्ञानिक
रूद्रप्रयाग/चमोली।

/1353/2023

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.04.2023 को प्रातः 11:00 बजे जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) की आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः—

1— श्री अभिमन्यु, उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
2— श्री इन्द्र सिंह नेगी, उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली)। गूगल मीट
3— श्रीमती अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
4— श्री जितेन्द्र वर्मा, उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ। गूगल मीट
5— श्री परमानन्द राम, उप जिलाधिकारी, जखोली। गूगल मीट
5— श्री पी.के. घिल्डियाल, पुलिस उपाधीक्षक, रुद्रप्रयाग।
6— डा0 दीपक हटवाल, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, रुद्रप्रयाग।
7— श्री एन.के. ओझा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
8— श्री राहुल रोड़, खनन सहायक, जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय—ज्ञाप संख्या—469/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या—17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में जनपद स्तर तथा तहसील स्तर पर अवैध खनन निरोधक दल का गठन कार्यालय आदेश संख्या—4329/30—अवैध खनन (2022—23) दिनांक 25 मार्च, 2023 के द्वारा किया गया।

उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, रुद्रप्रयाग/चमोली द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्राप्त कर बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत सम्बोधन करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया है, कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या—17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.03.2023 को पारित आदेश के समादर में जनपद में संचालित खनन पट्टे व रिवर ड्रेजिंग खनन अनुज्ञा संक्रियाओं से संबंधित विवरण प्रदर्शित सूचना पट लगवाये गये हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान संबंधित खनन सहायक को निर्देशित किया गया कि जनपद में संचालित खनन पट्टों तथा रिवर ड्रेजिंग खनन अनुज्ञाओं के सम्पूर्ण विवरण संबंधी आदेश जनसामन्य के संज्ञानार्थ जनपद NIC केन्द्र की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रुद्रप्रयाग/खनन सहायक, जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग

उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून से वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु अवैध खनन, भण्डारण, परिवहन से रू0—1.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अवैध खनन, भण्डारण, परिवहन से माह मार्च—2023 तक रू0—35.74 लाख अर्थदण्ड की धनराशि प्राप्त की गयी है।

2/—

बैठक के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कि जनपद में अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निरन्तर कार्यवाही/निगरानी सुनिश्चित की जाये। अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायें।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग/उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग/ उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली)/उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली/बसुकेदार/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग/ उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, रूद्रप्रयाग)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद रूद्रप्रयाग तथा उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, रूद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया, कि जनपद में संचालित स्टोन क्रेशर, खनन पट्टों, रिवर ड्रेजिंग खनन अनुज्ञाओं तथा उपखनिज भण्डारण स्थलों का समय–समय पर निरीक्षण करें, तथा अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली/बसुकेदार/ उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, रूद्रप्रयाग)

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

Signed by
Mayur Dixit
Date: 17-04-2023 16:29:33

(मयूर दीक्षित),
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।।

संख्या–4411 /30–खनन (2022–23) रूद्रप्रयाग दिनांक 18 अप्रैल, ,2023

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, देहरादून।
3– पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग।
4– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
5– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली)
6– उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ/जखोली/बसुकेदार।
7– उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, रूद्रप्रयाग।
8– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

RIVER DREDGING-2023,

DISTRICT- RUDRAPRAYAG

1-Shri Bhupendra Singh Rana s/o Shri Bahadur Singh Rana

Village: - Baniyari, Rudraprayag

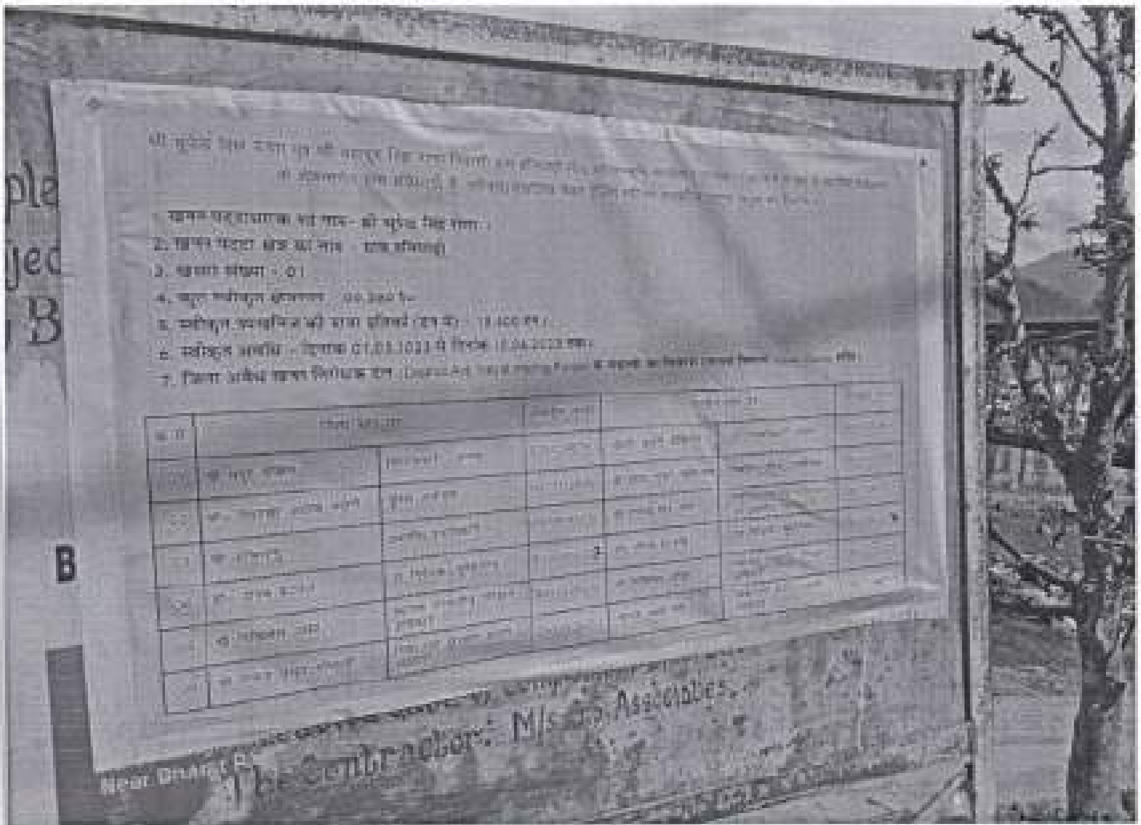

2- Shri Kushal Singh Negi s/o Chandra Singh Negi

Village: - Jalai Sursal -1, Ukhimath, Rudraprayag

3-Shikhar Trading Company,

Shri Sashi Bhushan Uniyal s/o Shri Jagatram Uniyal

Village: - Parkandi- Kakra, Jakholi, Rudraprayag

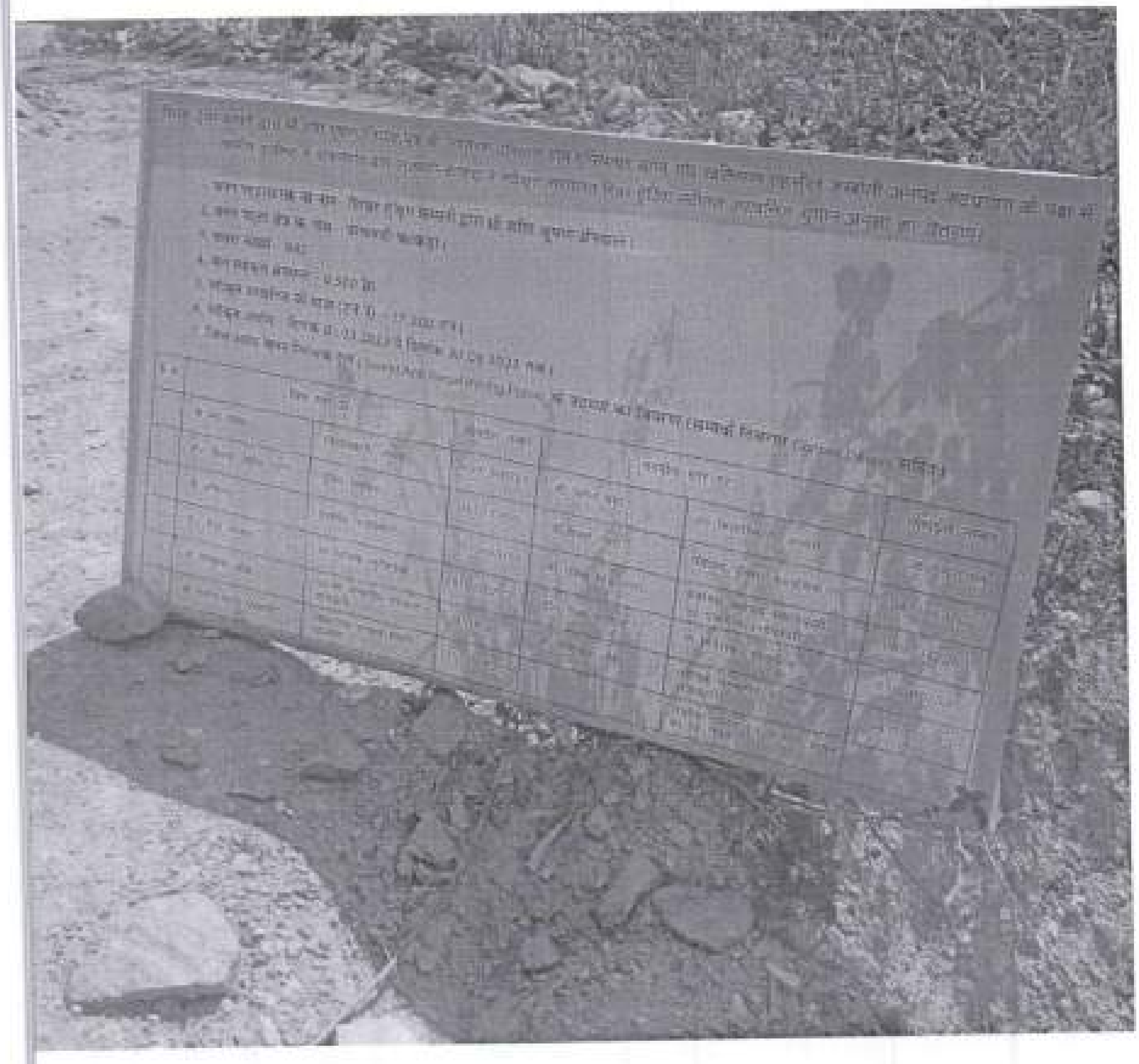

4. Shri Deepak Singh s/o Shri Narendra Singh Rawat

Village: - Jalai Sursal-2, Ukhimath, Rudraprayag

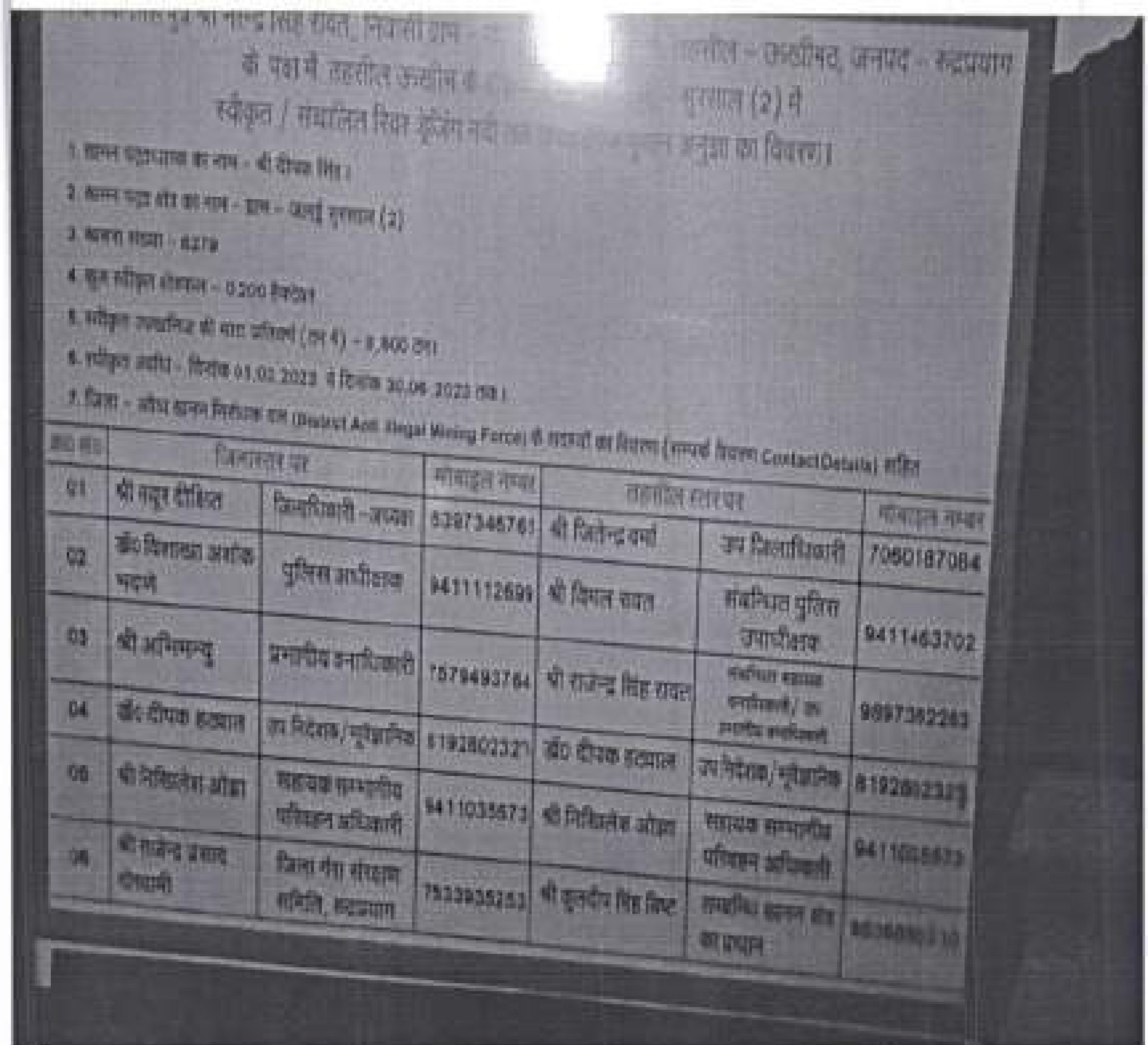

5. Shri Ranjeet Singh s/o Ghyan Singh

Village: - Massoona, Ukhimath, Rudrapraygh

6. M/S G. K. Enterprises,

Shri Harshvardhan Sati s/o Surajmani Sati

Village: - Bhatwari Sunar, Ukhimath, Rudraprayg

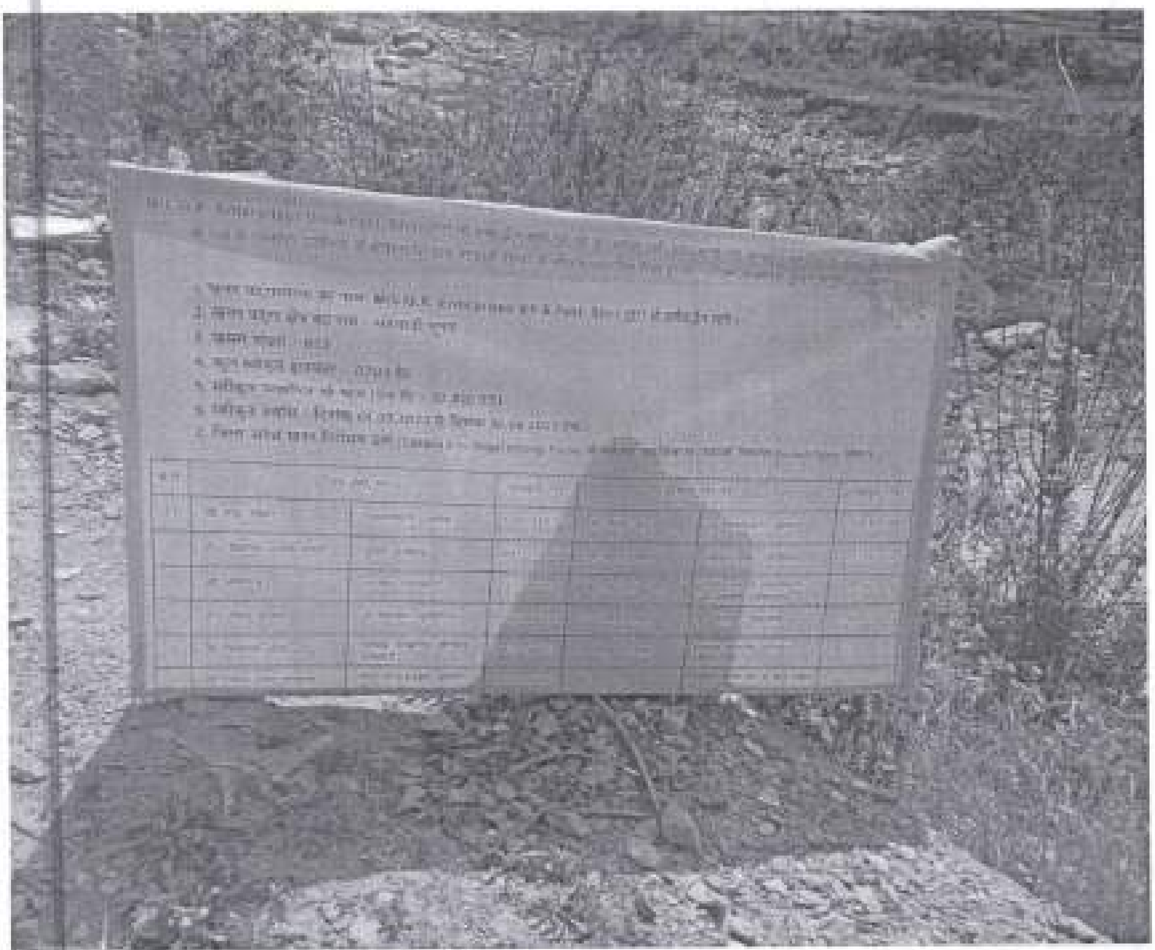

A- LEASES OF e- TENDERING AND e- AUCTION

1- Kamlesh Bhatt

Village: - Jhirmoli, Rudraprayag

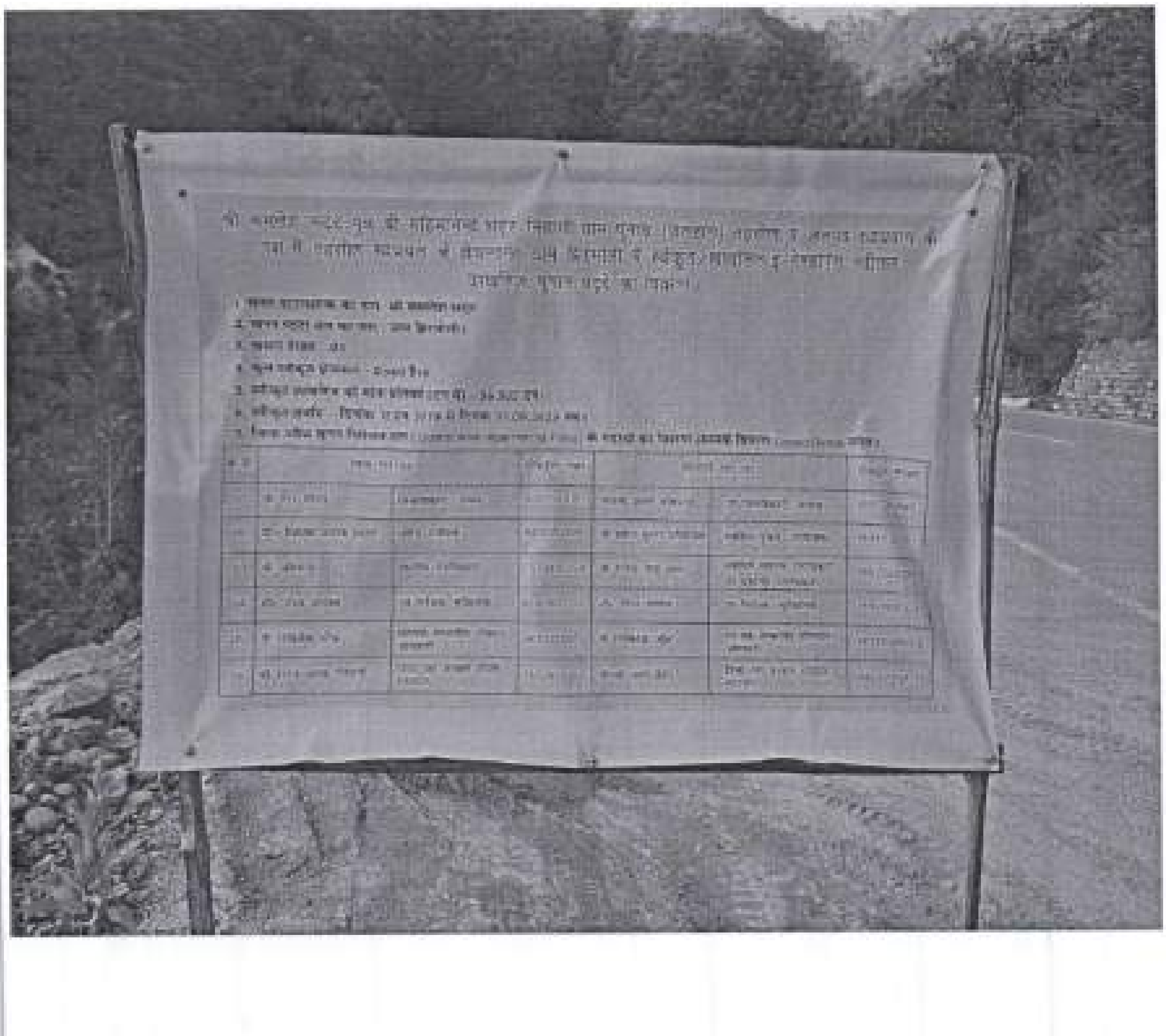

2- Shoorveer Singh

Village: - Ginwala, Rudraprayag

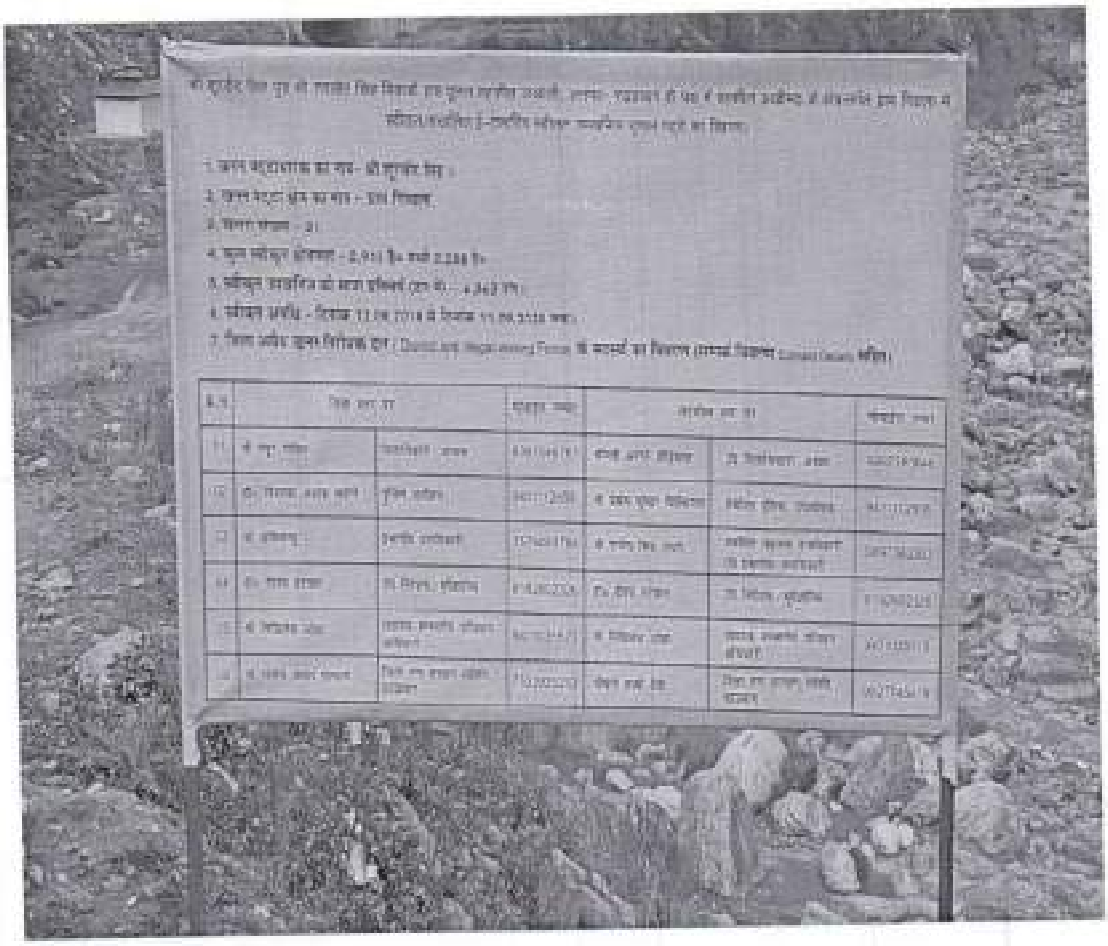

3- Dharmendra Singh

Village: - Gabni, Ukhimath, Rudraprayag

B- LEASES OF PRIVATE LAND

1- Mahaveer Singh

Village: - Giwadi, Ukhimath, Rudrapraygg

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
कार्यालय – उत्तरकाशी।

दिनाक 13 जुलाई 2023

पत्रांक 116 /भू0खनि0ई0/अवैध खनन/2023–24

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः अवैध खनन पर प्रभावी नियत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (**District Anti-Illegal Mining Force**) द्वारा अद्यतन समय तक की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1573/उ0ख0/भू0खनि0नि0/2023–24 दिनांक 11 जुलाई 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में वांछित सूचना सम्बन्धित विवरण यथा जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल की आहूत बैठकों की अद्यतन सूचना एंव कितने स्थलों पर साईन बोर्ड लगाये गये है (फोटोग्राफ सहित) तालिका बद्धकर इस पत्र के साथ तैयार कर ई–मेल के माध्यम से आई0डी0 (dir.ukdgm@gmail.com) पर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(जी0डी0 प्रसाद)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(जी0डी0 प्रसाद)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रान्तर्गत तहसील वार स्वीकृत खनन पट्टों का विवरण :-

क्र. सं0	तहसील	स्वीकृत खनन पट्टा स्थल	अवधि अशय पत्र से	[illegible] स्थल/[illegible] पर जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti-Illegal Mining Force) के सभी सदस्यों के सम्पर्क विवरण (Contact Details) सहित स्थापित किया गया है।	कितनी बैठक हुई	अभ्युक्ति	
ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा आंवटित खनन पट्टे							
1	डुण्डा	ग्राम मातली–1 तहसील डुण्डा	05.06.2018–04.06.23	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–	–
2		ग्राम मातली–2 तहसील डुण्डा	05.06.2018–04.06.23	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–	–
निजी नाप भूमि आंवटित खनन पट्टे							
1	चिन्याली	ग्राम हिटारा, तहसील चिन्यालीसौड	06.10.18–05.10.23	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–	–
2	मोरी	सान्द्र रेंज मोरी	05.01.21–04.01.26	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–	–
3		देवता रेंज मोरी	31.12.19–30.12.24	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–	–

ग्राम-मातली-1 त०-डुण्डा,जिला-उत्तरकाशी

ग्राम-मातली-2 त०-डुण्डा,जिला-उत्तरकाशी

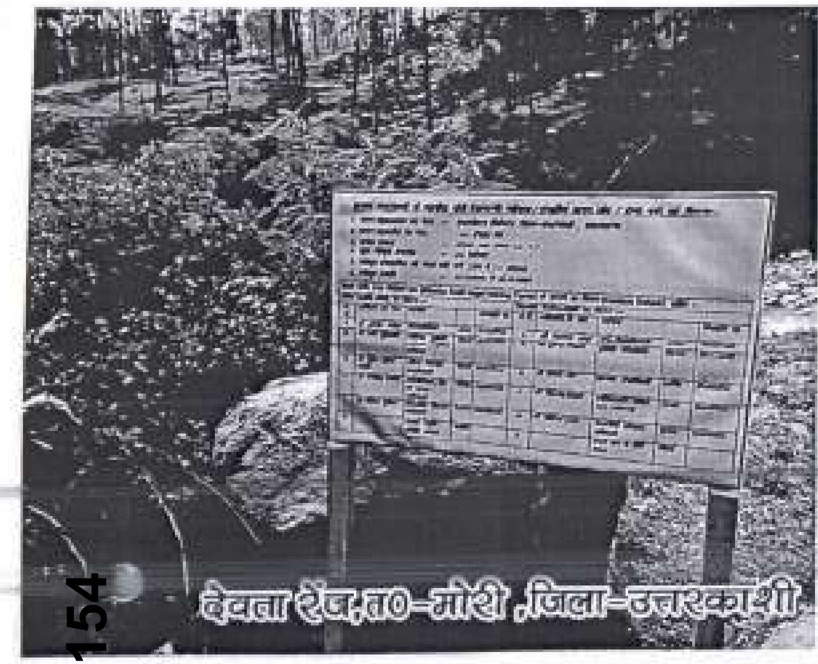
देवता रेंज,त०-मोरी ,जिला-उत्तरकाशी

सान्द्रा रेंज,त०-मोरी,जिला-उत्तरकाशी

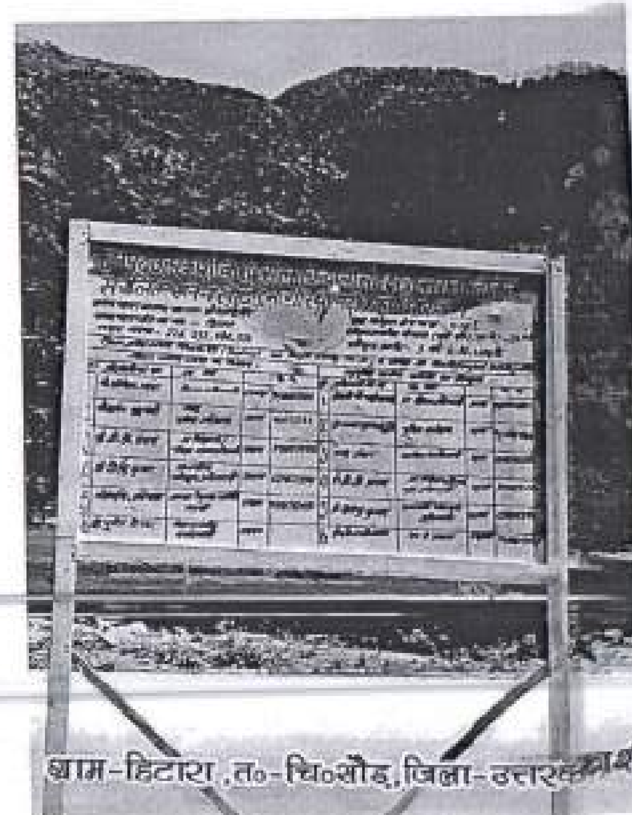
ग्राम-हिटारा ,त०-चि०सौड़,जिला-उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रान्तर्गत तहसील वार वर्ष 2023–24 में स्वीकृत रिवर ड्रैजिग अनुज्ञा का विवरण :–

क0स0	तहसील	ग्राम	अवधि	अनुज्ञा स्थल/यूनियोलों पर जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti-illegal Mining Force) के सभी सदस्यों के सम्पर्क विवरण (Contact Details) सहित स्थापित किया गया है।	कितनी बैठक हुई	अभियुक्ति
1.	डुण्डा	सिगोटी	06.04.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–
2.	डुण्डा	अस्तल–2	06.04.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–
3.	डुण्डा	मातली	06.04.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–
4.	चिन्यालीसौड	आर्च ब्रिज के नीचे(ब्लॉक के नीचे)	22.05.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–
5.	चिन्यालीसौड	गैलाडी	23.05.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–
6.	बडकोट	तिलाडी शहीद स्मारक	16.05.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–
7.	बडकोट	थान पटटी ठकराल	16.05.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–
8.	मोरी	आराकोट गैस गोदाम के पास	06.04.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–
9.	मोरी	किराणु कोटिगाड	06.04.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–
10.	मोरी	आराकोट	06.04.2023से 30 06 2023	(फोटोग्राफ संलग्न)	–	–

ग्राम-मातली,त0-डुण्डा,जिला-उत्तरकाशी

ग्राम-सिंगोटी,त0-डुण्डा,जिला-उत्तरकाशी

ग्राम-भैलाडी,त0-चि0सौड,जिला-उत्तरका

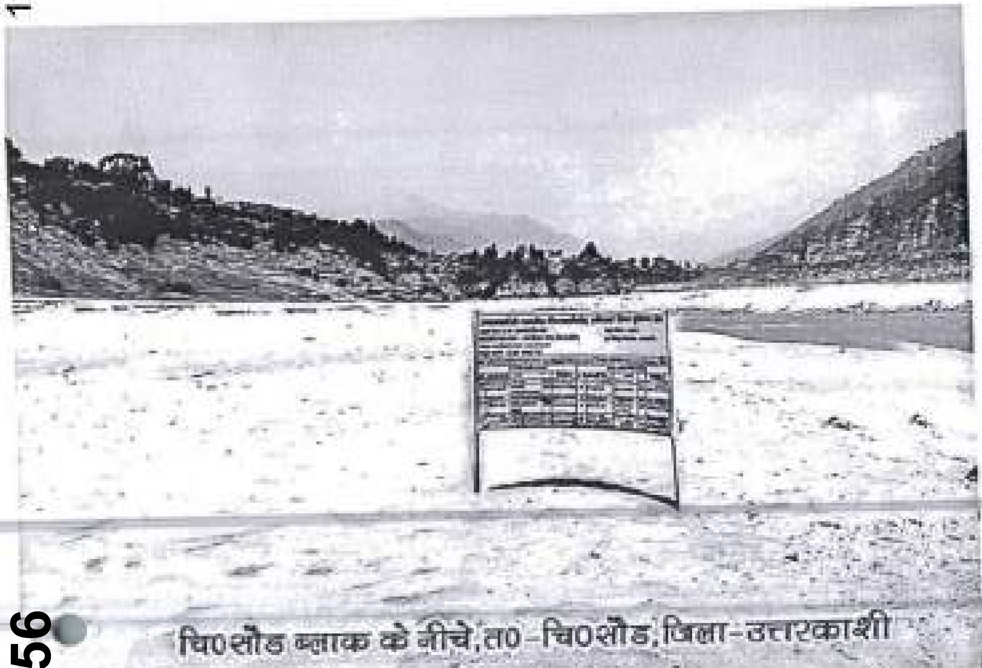
चि0सौड ब्लाक के नीचे,त0-चि0सौड,जिला-उत्तरकाशी

ग्राम-डस्ताल 2,त0-डुण्डा,जिला-उत्तरकाशी

तिलाड़ी,त0-बड़कोट,उत्तरकाशी

ग्राम-थान,त0-बड़कोट,उत्तरकाशी

उत्तरकाशी के तहसील मोरी के अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित खनन लॉट का विवरण
खनन पट्टा धारक का नाम:-जगदीप सिंह राणा
खनन पट्टा क्षेत्र का नाम:-मैस गोदाम आराकोट कुल स्वीकृत हेक्टेयर:- 0.270है०
स्वीकृत उपखनिज की मात्रा :1040 टन
स्वीकृत अवधि :14 अप्रैल से 30 जून तक
आराकोट;त0-मोरी;उत्तरकाशी

आराकोट पावर नदी;त0-बड़कोट;उत्तरकाशी

त0-मोरी;उत्तरकाशी

Annexure-F

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या : /ज0या0सं0 17/2023/भू0खनि0नि0/2023-24 दिनांक01 जून 2023

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 "रमेश लाल@रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :– 10. We also direct the State to publish the mining, as well as, dredging plans of all mining and dredging activities being undertaken in the State, on the official website of the State, so that the public at large can access the same. All such plans shall also be displayed, in the area of mining/dredging, on advertising sites/ unipoles, providing the contact details of all the members of the District Anti Illegal Mining Force. <u>The State shall also create a portal, where all complaints about illegal mining and dredging can be lodged by the public at large, and the State shall create a system for redressing all such complaints expeditiously. Steps in this regard be taken before the next date, and compliance reported on affidavit before the next date</u>"......

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन मे राज्य क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण से सम्बन्धित जनसाधारण की शिकायतें प्राप्त किये जाने व उनके त्वरित निस्तारण हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल dgmappl.uk.gov.in मे Complaint Redressal Portal तैयार होने तक उक्त से सम्बन्धित शिकायतों को श्री अनुज कपरवाण, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई0टी0 सैल, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के मोबाईल नम्बर 8192802320 पर मैसेज/वॉट्सऐप के माध्यम से दर्ज करते हुए उनका त्वरित निस्तारण किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 5332/ज0या0सं0 17/2023/भू0खनि0ई0/2022-23, दिनांक 31 मार्च 2023 निर्गत किया गया। वर्तमान मे राज्य क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण से सम्बन्धित जनसाधारण की शिकायतें प्राप्त किये जाने व उनके त्वरित निस्तारण हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल dgmappl.uk.gov.in मे Complaint Redressal Portal तैयार कर दिया गया है।

अतः भविष्य मे राज्य क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण से सम्बन्धित जनसाधारण की शिकायतें प्राप्त किये जाने व उनके निस्तारण हेतु Complaint Redressal Portal पर दर्ज करते हुए उनका त्वरित निस्तारण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक।

संख्याः 1429/ज0या0सं0 17/2023/भू0खनि0नि0/2023-24 तद्दिनांकित।

<u>प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त का परिचालन विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल dgmappl.uk.gov.in पर कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड।

01/07/2023
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक।

Annexure G

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1312 /VII-A-1/2023/09(81)/2022
देहरादून, दिनांकः 10 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 15/पी0आई0एल0/2022 मातृ सदन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.12.2022 एवं 21.04.2023 के अनुपालन में स्वतंत्र शिकायत निवारण समिति (Independent Complaint Redressal Committee) को निम्नवत गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री वी0के0 माहेश्वरी, से0नि0 न्यायाधीश।
2. श्री दरबान सिंह गर्ब्याल, से0नि0 आई0ए0एस0।
3. श्री विनोद सिंघल, से0नि0 आई0एफ0एस0।
4. श्री कल्याण सिंह रावत 'मैती', पदमश्री, पर्यावरणविद्।

10/8/23

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

संख्याः–1312 VII-A-1/2023/09(81)/2022, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञानार्थ।
2. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. गठित समिति के समस्त सदस्यगण।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

Annexure-H

Sr. No	District	CLOSED	ASSIGNED
1	Almora	9	
2	Bageshwar	47	1
3	Champawat	5	
4	Chamoli	10	
5	Dehradun	67	2
6	Haridwar	79	
7	Nainital	73	
8	New Tehri	12	
9	Pauri Garhwal	36	
10	Pithoragarh	16	
11	Rudraprayag	1	
12	UdhamSingh Nagar	62	1
13	Uttarkashi	7	
TOTAL		**424**	**4**

Annexure-1

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– /VII-A-1/2024/09(49)/2024

प्रेषक

लक्ष्मण सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 30 जुलाई, 2024

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रीमिनल) संख्या–10707/2019 "कंवर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" में दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा विभागीय ऑडिट प्रस्तर–1.7 OBS-1045031 के सन्दर्भ में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 से दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 तक सम्पादित ऑडिट रिपोर्ट में कथित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 18.12.2019 के उपरान्त भी किसी भी अवैध खननकर्ताओं पर Indial Penal Code के तहत Prevention of Damage to Public Property Act में Case दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अभिलेखित नहीं है, जिसके दृष्टिगत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 1105 (1)/VII-A-1/2024/09(49)/2024, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को उनके पत्र दिनांक 10.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL NO.1920 OF 2019
ARISING OUT OF S.L.P.(CRIMINAL) NO. 10707 OF 2019

KANWAR PAL SINGH ..... APPELLANT(S)

VERSUS

THE STATE OF UTTAR PRADESH AND ANOTHER ..... RESPONDENT(S)

JUDGMENT

SANJIV KHANNA, J.

Leave granted.

2. Kanwar Pal Singh, the appellant, impugns the order dated 22nd July 2019 whereby the High Court of Judicature at Allahabad has dismissed his petition under Section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ('Code' for short) for quashing criminal prosecution under Section 379 of the Indian Penal Code, 1860 ('IPC' for short), Rules 3, 57 and 7 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 1963, Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 ('Mines

Regulation Act' for short), and Sections 3 and 4 of the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 arising out of Crime Case No. 289 of 2018, Police Station Vindyachal, District Mirzapur, Uttar Pradesh. The appellant had also challenged, without success before the High Court, the order dated 8th February 2019 passed by the Chief Judicial Magistrate taking cognizance and summoning the appellant for trial.

3. In brief, the facts of the case are that on the basis of a complaint filed by one Mr. S.K. Pal, Surveyor, Mines Department, District Mirzapur, FIR No. 0289 dated 15th November 2018 was registered at Police Station, Vindyachal, *inter alia* recording that on 2nd November 2018, during inspection of the mining site in Village Nandni, Tehsil Sadar, District Mirzapur, the Nayab Tehsildar had noticed illegal mining whereupon a report vide letter dated 12th November 2018 was submitted to the Sub-Divisional Magistrate, Sadar. The appellant is a Director of M/s. Kanwar Enterprises Pvt. Ltd., which was granted rights to excavate sand vide mining lease over Plot No. 2/4, measuring 12.35 acre and Plot No. 2/5 measuring 12.35 acre in Village Nandni. However, it is alleged that the appellant was mining sand outside the permitted area in Village Babhni numbered as 534/2 where he had illegally excavated a pit 50 feet long, 50 feet wide and 2 meter deep.

Consequently, the District Magistrate had ordered for immediate registration of the FIR under the aforesaid provisions.

4. Though a number of contentions were raised before the High Court, the learned senior counsel for the appellant has during the course of arguments before us restricted his submissions to the violation of Section 22 of the Mines Regulation Act and the legal effect thereof. Referring to the contents of the FIR, it is submitted that the appellant has been wrongly charge-sheeted by the police for the offences, as at the best there was violation of Section 4, which is punishable under Section 21 of the Mines Regulation Act. It is highlighted that M/s. Kanwar Enterprises Pvt. Ltd. had held a valid lease for mining. As per Section 22 no court can take cognizance of the offences under the Mines Regulation Act, except on a complaint in writing by a person authorised by the Central or State Government. The State police not being authorised, could not have filed the charge-sheet/complaint. The contention predicated on Section 22 of the Mines Regulation Act is made by relying upon the judgment of this Court in ***Jeewan Kumar Raut and Another*** v. ***Central Bureau of Investigation***[1]. In the written submissions filed by the appellant, a relatively new plea and contention has been raised by relying upon the

[1] (2009) 7 SCC 526

judgments of this Court in **Belsund Sugar Company Limited** v. **State of Bihar**,[2] **Sharat Babu Digumarti** v. **Government of NCT of Delhi**[3] and **Suresh Nanda** v. **Central Bureau of Investigation**[4] to urge that the Mines Regulation Act being a special statute, prosecution for an offence under Section 379 of the IPC would not be maintainable. The judgment of this Court in **State (NCT of Delhi)** v. **Sanjay**.[5], it is submitted, is distinguishable as the FIR for the offence against illegal sand mining in **Sanjay** (supra) was registered *suo moto* due to non-production of any document to establish mining rights and therefore, the ratio in that case would apply only to cases of illegal mining where the mining lease had already been revoked or there was no subsisting mining lease.

5. We find the submission of the appellant to be untenable. In **Sanjay** (supra), a Division Bench of this Court had decided appeals preferred against the conflicting judgments of the Delhi High Court, Gujarat High Court, Kerala High Court, Calcutta High Court, Madras High Court and Jharkhand High Court on the question whether a person can be prosecuted for the offences under Sections 379/114 and other provisions of the IPC on the

---

[2] (1999) 9 SCC 620
[3] (2017) 2 SCC 18
[4] (2008) 3 SCC 674
[5] (2014) 9 SCC 772

allegations of illegal mining in view of Section 22 of the Mines Regulation Act, which reads as under:

> "22. **Cognizance of offences.—** No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder except upon complaint in writing made by a person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government."

After adverting to the provisions of the Code, namely, Sections 2(c), 2(d) and 2(h) which define 'cognizable offence', 'complaint' and 'investigation' respectively, this Court had referred to Section 4 of the Code, which reads as under:

> "4. **Trial of offences under the Indian Penal Code and other laws.—** (1) All offences under the Indian Penal Code (45 of 1860) shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained.
>
> (2) All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences."

As per sub-section (2) to Section 4, all offences under any law, other than the IPC, can be investigated, inquired into and tried under the Code, subject to any enactment regulating the manner or place of investigation, trial etc. of such offences. Section 21 of the Mines Regulation Act, it was observed, states that the offences specified thereunder are cognizable. Section 41 of the

Code was referred to elucidate that the police has the power to arrest without warrant in case of cognizable offences. Sections 149 to 152 of Chapter XI of the Code that require the police to prevent cognizable offences either by arrest or otherwise, etc. were referred, to hold that the aforementioned provisions show that a police officer of his own authority has the duty to prevent any injury attempted to be committed to any public property or national assets and also to prosecute such persons in accordance with law.

Accordingly, in ***Sanjay*** (supra) it was held that the investigation of the offences is within the domain of the police and the power of a police officer to investigate into cognizable offences is not ordinarily impinged by any fetters *albeit* the power must be exercised as per the statutory provisions and for legitimate purposes. The courts would interfere only when while examining the case they find that the police officer in exercise of the investigatory powers has breached the statutory provisions and put the personal liberty and/or the property of a citizen in jeopardy by an illegal and improper use of the powers or when the investigation by the police is not found to be *bona fide* or when the investigation is tainted with animosity. While examining the issue,

this Court in ***Sanjay*** (supra) took notice of the decision in ***H.N. Rishbud*** v. ***State of Delhi***[6] wherein this Court has held that a defect or illegality in investigation, however serious, has no direct bearing on the competence or the procedure relating to the taking of the cognizance or trial. The cardinal principle of law as noted by this Court in ***Directorate of Enforcement*** v. ***Deepak Mahajan***[7] is that every law is designed to further the ends of justice and should not be frustrated on mere technicalities. The public trust doctrine was cited and applied to underscore the principle that certain resources like air, sea, water, forests and minerals are of great importance to the people as a whole and that the government is enjoined to hold such resources in trust for the benefit of the general public and to use them for their benefit than to serve private interests.

6. This Court in ***Sanjay*** (supra) has cited several decisions wherein the challenge to the prosecution on the ground that there can be no multiplicity of offences under different enactments was resolved and answered by relying upon Section 26 of the General Clauses Act, which we would like to reproduce for the sake of convenience:

---

[6] AIR 1955 SC 196
[7] (1994) 3 SCC 440

"**26. Provision as to offences punishable under two or more enactments.—** Where an act or omission constitutes an offence under two or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the same offence."

Section 26 of the General Clauses Act permits prosecution for 'different offences' but bars prosecution and punishment twice for the 'same offence' under two or more enactments. The expression 'same offence' has been interpreted by this Court in numerous decisions viz., ***Maqbool Hussain*** v. ***State of Bombay***[8] with reference to the provisions of the Sea Customs Act and the Foreign Exchange Regulation Act, 1947; ***Om Parkash Gupta*** v. ***State of U.P.***[9] and ***State of Madhya Pradesh*** v. ***Veereshwar Rao Agnihotri***[10] with reference to Section 409 of the IPC and Section 5(2) of the Prevention of Corruption Act; ***T.S. Baliah v. ITO***[11] with reference to Section 52 of the Income Tax Act, 1922 and Section 177 of the IPC; ***Collector of Customs*** v. ***Vasantraj Bhagwanji Bhatia***[12], with reference to the provisions of the Customs Act 1962 and the provisions of the Gold (Control) Act, 1968; ***State of Bihar*** v. ***Murad Ali Khan***[13] with reference to the provisions of Sections 447, 429 and 379 of the IPC and provisions of the Wildlife

[8] AIR 1953 SC 325
[9] AIR 1957 SC 458
[10] AIR 1957 SC 592
[11] AIR 1969 SC 701
[12] (1988) 3 SCC 467
[13] (1988) 4 SCC 655

(Protection) Act, 1972; ***Avtar Singh*** v. ***State of Punjab***[14] with reference to Section 39 of the Electricity Act, 1910 and the provisions of theft under the IPC; and ***Institute of Chartered Accountants of India*** v. ***Vimal Kumar Surana***[15] with reference to the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949 and offences under Sections 419, 468, 471 and 472 of the IPC. Elucidating on the provisions of Section 4 read with Sections 21 and 22 of the Mines Regulation Act and the offence under Section 379 of the IPC, it was observed in ***Sanjay*** (supra):

> "69. Considering the principles of interpretation and the wordings used in Section 22, in our considered opinion, the provision is not a complete and absolute bar for taking action by the police for illegal and dishonestly committing theft of minerals including sand from the riverbed. The Court shall take judicial notice of the fact that over the years rivers in India have been affected by the alarming rate of unrestricted sand mining which is damaging the ecosystem of the rivers and safety of bridges. It also weakens riverbeds, fish breeding and destroys the natural habitat of many organisms. If these illegal activities are not stopped by the State and the police authorities of the State, it will cause serious repercussions as mentioned hereinabove. It will not only change the river hydrology but also will deplete the groundwater levels.
>
> 70. There cannot be any dispute with regard to restrictions imposed under the MMDR Act and remedy provided therein. In any case, where there is a mining activity by any person in contravention of the provisions of Section 4 and other sections of the Act, the officer empowered and authorised under the Act shall exercise all the powers including making a complaint before the Jurisdictional Magistrate. It is also not in dispute that the Magistrate shall in such cases take

[14] AIR 1965 SC 666
[15] (2011) 1 SCC 534

cognizance on the basis of the complaint filed before it by a duly authorised officer. In case of breach and violation of Section 4 and other provisions of the Act, the police officer cannot insist the Magistrate for taking cognizance under the Act on the basis of the record submitted by the police alleging contravention of the said Act. In other words, the prohibition contained in Section 22 of the Act against prosecution of a person except on a complaint made by the officer is attracted only when such person is sought to be prosecuted for contravention of Section 4 of the Act and not for any act or omission which constitutes an offence under the Penal Code.

71. However, there may be a situation where a person without any lease or licence or any authority enters into river and extracts sand, gravel and other minerals and remove or transport those minerals in a clandestine manner with an intent to remove dishonestly those minerals from the possession of the State, is liable to be punished for committing such offence under Sections 378 and 379 of the Penal Code.

72. *From a close reading of the provisions of the MMDR Act and the offence defined under Section 378 IPC, it is manifest that the ingredients constituting the offence are different. The contravention of terms and conditions of mining lease or doing mining activity in violation of Section 4 of the Act is an offence punishable under Section 21 of the MMDR Act, whereas dishonestly removing sand, gravel and other minerals from the river, which is the property of the State, out of the State's possession without the consent, constitute an offence of theft.* Hence, merely because initiation of proceeding for commission of an offence under the MMDR Act on the basis of complaint cannot and shall not debar the police from taking action against persons for committing theft of sand and minerals in the manner mentioned above by exercising power under the Code of Criminal Procedure and submit a report before the Magistrate for taking cognizance against such persons. In other words, in a case where there is a theft of sand and gravel from the government land, the police can register a case, investigate the same and submit a final report under Section 173 CrPC before a Magistrate having jurisdiction for the purpose of taking cognizance as provided in Section 190(1)(*d*) of the Code of Criminal Procedure."

(emphasis supplied)

7. As noticed above, in the written submissions the appellant has relied upon ***Belsund Sugar Company Limited*** (supra), ***Sharat Babu Digumarti*** (supra) and ***Suresh Nanda*** (supra) to contend that where there is a special act dealing with a special subject, resort cannot be taken to a general act. The said submission has no force in view of the ratio in ***Sanjay*** (supra) as quoted above which specifically refers to Section 26 of the General Clauses Act and states that the offence under Section 4 read with Section 21 of the Mines Regulation Act is different from the offence punishable under Section 379 of the IPC. Thus, they are two 'different' and not the 'same offence'. It would be relevant to state here that the Delhi High Court in its decision reported as ***Sanjay v. State***[18], which was impugned in ***Sanjay*** (supra), had accepted an identical argument to hold that once an offence is punishable under Section 21 of the Mines Regulation Act, the offence would not be punishable under Section 379 of the IPC. This reasoning was rejected by this Court and the judgment of the Delhi High Court was reversed. The contention relying on the same reasoning before us, therefore, must be rejected.

8. We would also reject the contention raised by the appellant in the

[18] (2009) 109 DRJ 594

written submissions that the alleged theft of sand is not punishable under Section 379 read with Section 378 of the IPC as sand is an immovable property as per Section 3 (26) of the General Clauses Act. In the present case, sand had been excavated and was thereupon no longer an immovable property. The sand on being excavated would lose its attachment to the earth, ergo, it is a movable property or goods capable of being stolen. {See Explanation 1 to Section 378 of the IPC and ***Sanjay*** (supra) as quoted above}

9. We would in the end refer to the judgment in ***Jeewan Kumar Raut*** (supra) on which considerable reliance was placed by the appellant at the time of the hearing. The said judgment was distinguished in ***Institute of Chartered Accountants*** (supra) by observing that the provisions of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 ('TOHO Act' for short) were different and were not similar to the provisions of sub-section 2 to Section 24-A, 25 and 26 of the Chartered Accountants Act as the TOHO Act is hedged with a *non-obstante* clause. We would like to further elucidate and explain that in ***Jeewan Kumar Raut*** (supra) this Court was examining the right of the appellant therein to claim statutory bail in terms of sub-section (2) to Section 167 of the

Code on the ground that the Central Bureau of Investigation ('CBI' for short) had failed to file the charge-sheet within 90 days from the date of arrest. Relying on Section 22 of the TOHO Act, which mandates filing of a complaint by a person duly authorised by a competent authority, it was observed that the TOHO Act is a special law which deals with the subjects mentioned therein, viz., offences relating to the removal of human organs, etc. Ordinarily, any person can set the criminal law into motion but the legislature keeping in view the sensitivity and importance of the subject had provided that the violations under the TOHO Act would be dealt with by the authorities specified therein. Thereafter, reference was made to Section 4 of the Code as cited above, to hold that the TOHO Act being a special Act, the matters relating to offences covered thereunder would be governed by the provisions of said Act, which would prevail over the provisions of the Code. Reference was made to clause (iv) of sub-section (3) to Section 13 of the TOHO Act which states that the appropriate authority shall investigate any complaint of breach of any of the provisions of the said Act or any rules made thereunder and take appropriate action. There is no similar provision under the Mines Regulation Act i.e. the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

10. In ***Jeewan Kumar Raut*** (supra), it was noted that the CBI has been designated as an appropriate authority under the provisions of the TOHO Act and therefore entitled to carry on investigation. In this context, it was observed that Section 22 of the TOHO Act prohibits taking of cognizance except on a complaint made by an appropriate authority and therefore the police report filed by the CBI was only a complaint petition made by an appropriate authority in terms of Section 22 of the TOHO Act. Consequently, sub-section (2) to Section 167 of the Code would not be attracted as the CBI could not have submitted a police report in terms of sub-section (2) to Section 173 of the Code. ***Jeewan Kumar Raut*** (supra) was, thus, dealing with a contention and issue entirely different from the one raised in the present case. It is undisputed that decisions of the courts cannot be blindly applied in disjunction of the factual circumstances and issues of each case. The court decisions expound on the law as applicable to the specific circumstances of each case and such exposition may not therefore be necessarily applicable to another case given its own peculiarities. Therefore, the contention predicated on the ratio in ***Jeewan Kumar Raut*** (supra) holds no merit.

11. We would again advert to the decision in ***Sanjay*** (supra) which had overruled the decision of the Calcutta High Court in ***Seema Sarkar*** v. ***State***[17] wherein the High Court held the proceedings to be invalid and illegal as the Magistrate had taken cognizance on the basis of a charge-sheet submitted by the police under Section 21(2) of the Mines Regulation Act and Section 379 of the IPC, observing that the cognizance was one that cannot be split or divided. The High Court had further observed that as the complaint was not made in terms of Section 22 of the Mines Regulation Act, the cognizance was bad and contrary to law. We have already noted the decision of the Delhi High Court which had directed that the FIR should not be treated as registered under Section 379 of the IPC but only under Section 21 of the Mines Regulation Act. These decisions of the Calcutta High Court and the Delhi High Court were reversed and set aside by this Court in ***Sanjay*** (supra) after referring to Section 26 of the General Clauses Act and the meaning of the expression 'same offence', to observe that the offence under Section 21 read with Section 4 of the Mines Regulation Act and Section 379 of the IPC are different and distinct. The aforesaid reasoning compels us to reject the contention of the appellant that the action as impugned in the FIR

[17] (1995) 1 Cal LT 95

is a mere violation of Section 4 which is an offence cognizable only under Section 21 of the Mines Regulation Act and not under any other law. There is no bar on the Court from taking cognizance of the offence under Section 379 of the IPC. We would also observe that the violation of Section 4 being a cognizable offence, the police could have always investigated the same, there being no bar under the Mines Regulation Act, unlike Section 13(3)(iv) of the TOHO Act.

12. In view of the aforesaid discussion, we would uphold the order of the High Court refusing to set aside the prosecution and cognizance of the offence taken by the learned Magistrate under Section 379 of the IPC and Sections 3 and 4 of the Prevention of Damage to Public Property Act. We would, however, clarify that prosecution and cognizance under Section 21 read with Section 4 of the Mines Regulation Act will not be valid and justified in the absence of the authorisation. Further, our observations in deciding and answering the legal issue before us should not be treated as findings on the factual allegations made in the complaint. The trial court would independently apply its mind to the factual allegations and decide the charge in accordance with law. In light of the aforesaid observations, the appeal is partly allowed, as we have

upheld the prosecution and cognizance of the offence under Section 379 of the IPC and Sections 3 and 4 of the Prevention of Damage to Public Property Act. There would be no order as to costs.

.......................................J.
(S. ABDUL NAZEER)

.......................................J.
(SANJIV KHANNA)

NEW DELHI;
DECEMBER 18, 2019.

1/229573/2024
संख्या– 1219/VII-A-1/2024/08(26)/2018 टी0सी0-2

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 01 अगस्त 2024

विषयः **प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Development and maintenance of mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–6266/उ0ख0/भू0खनि0नि0/सर्वे/2023–24, दिनांक 21.02.2024 एवं पत्र सं0–6692/उ0ख0/भू0खनि0नि0/वे0पे0/2023–24, दिनांक 07.03.2024 के कम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Development and maintenance of mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था आई0टी0आई0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम), क्षेत्रीय कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत DPR के कम में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 18 जून, 2024 में संस्तुत धनराशि रू0 94.53 करोड (पूर्व प्रदत्त अनुमोदन रुपये 61.29 करोड मात्र सहित) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:–

1. योजना के कियान्वयन हेतु सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2024 की बैठक मे दिये गये सुझावों/मन्तव्यों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
2. भविष्य में योजना का संचालन खनन निदेशालय द्वारा किये जाने के दृष्टिगत संबन्धित कार्यदायी संस्था/चयनित फर्म द्वारा खनन निदेशालय के कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाय ताकि भविष्य में योजना सुचारू रूप से संचालित हो सके।
3. योजना के कियान्वयन एवं 5 वर्षो तक सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित फर्म के साथ Service Level Agreement (SLA) हस्ताक्षर किया जाय।
4. योजना के कियान्वयन के दौरान ITDA को Loop मे रखा जाय ताकि Cloud Hosting एवं Migration के समय किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
5. व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.06.2024 के कार्यवृत्त के कमांक 5.1 से 5.14 तक राज्य योजना आयोग द्वारा दिये गये अभिमत का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. प्रश्नगत योजना के कियान्वयन में होने वाले विद्युत संयोजन एवं समस्त विद्युत बिलों का भुगतान सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
7. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं समय–समय पर निर्गत समस्त वित्तीय नियमों/शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. कार्य की लागत को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
9. आगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/चयनित फर्म का होगा।

10. परियोजना के क्रियान्वयन एवं सफल संचालन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पी०एम०यू० सेटअप करने तथा Service Level Agreement (SLA) में निर्धारित अवधि तक परियोजना का संचालन किये जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था/चयनित फर्म द्वारा समस्त उपकरण संरचनाओं को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को हस्तगत किया जायेगा।
11. Development and maintenance of mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) हेतु तैयार किये जाने वाले पोर्टल के लिये Security Audit की व्यवस्था की जायेगी।
12. प्रश्नगत योजना के प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।
13. Development and maintenance of mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) स्थापित किये जाने के उपरान्त अवैध खनन/अवैध परिवहन हेतु अवैध खननकर्ताओं द्वारा वैकल्पिक मार्ग तैयार न किये जा सके, इसके लिये विभाग द्वारा युक्तियुक्त व्यवस्था/निगरानी भी सुनिश्चित की जायेगी। अवैध खनन/अवैध परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराये जाने वाले निजी भू-स्वामियों के विरुद्ध समान रूप से दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान सं0-23 के लेखाशीर्षक 2853-02-102-04 खनन सर्विलांस या मानक मद संख्या 40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयत्र के नामे डाला जायेगा।

4. उपरोक्त के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1658/VII-A-1/2024/08(26)/2018 टी०सी०-2, दिनांक 13.10.2022 द्वारा पूर्व निर्गत स्वीकृति को निरस्त किया जाता है।

5. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित आदेश सं0-226093/2024, दिनांक 19.07.2024 मे प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.06.2024 का कार्यवृत्त।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
Signed by Brijesh Kumar Sant
सचिव
Date: 01-08-2024 16:24:18

संख्या:- 1219 /VII-A-1/2024/08(26)/2018 टी0सी0-2 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, आडिट, महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
8. मुख्य प्रबन्ध निदेशक, आई0टी0आई0 लिमिटेड, लखनऊ।
9. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10. वित्त (वित्त नियत्रण) अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

Signed by Hanuman Prasad Tiwari
आज्ञा से,
Date: 01-08-2024 18:03:25
(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव